Par 7. II. 1. 52.
5

२

संख्या १

बुधवार

९ जलाई १९५२

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

First Session

# संसदीय वाद विवाद

# लोक सभा

## शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग —१ प्रश्न और उत्तर

Preservation
13-3-9
Fumigated
On 7.11.83
Parliament Library

विषय-सूची

प्रश्नों के मौखिक उत्तर [पृष्ठ भाग २३६३—२४०७]
प्रश्नों के लिखित उत्तर [पृष्ठ भाग २४०७—२४५२]

(मूल्य ४ आने)

422 PSD

## लोक सभा

बुधवार, ९ जुलाई, १९५२

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महादय अध्यक्ष–पद पर आसीन थे]

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

### अतिरिक्त विभागीय एजेन्ट

*१५८२. **सरदार हुक्म सिंह**: क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या वर्ष १९५१ अथवा १९५२ में अतिरिक्त विभागीय एजेन्टों को दिये जाने वाले भत्तों में वृद्धि की गई थी;

(ख) अतिरिक्त विभागीय एजेन्टों की संख्या क्या है; तथा

(ग) क्या वर्ष १९५१ अथवा १९५२ में इन एजेन्टों में से किसी को डाक तथा तार विभाग की स्थायी सेवा में रख लिया गया है ?

**संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) १३ जून, १९५२ को श्रीमती रेणु चक्रवर्ती द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १७३ के भाग (ख) के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर में गैर-विभागीय एजेन्टों को दिये जाने वाले मूल भत्तों के सम्बन्ध में सूचना दे दी गई थी। गत मास, अतिरिक्त विभागीय वितरण एजेन्टों का अधिकतम मूल भत्ता





१५ रुपये से बढ़ा कर २५ रुपये कर देने तथा अतिरिक्त विभागीय सब-पोस्टमास्टरों और अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टरों को, जिन्हें अतिरिक्त विभागीय पोस्टमास्टरों के साधारण कार्यों के अतिरिक्त डाक ले जाने या बांटने का भी कार्य करना पड़ता है, १० रुपये तक का अतिरिक्त भत्ता देने की मंजूरी दे दी गई थी ।

(ख) प्राप्त हुई नवीनतम सूचना के अनुसार ३० अप्रैल, १९५२ को अतिरिक्त विभागीय एजेन्टों की संख्या ५७,११८ थी ।

(ग) जी हां, ८५ ।

**सरदार हुक्म सिंह**: छुट्टी अथवा अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में क्या उन्हें कोई विशेषाधिकार प्राप्त हैं ?

**श्री राजबहादुर** : क्योंकि वे सरकार के पूर्ण कालिक कर्मचारी नहीं हैं अतः छुट्टी इत्यादि के सम्बन्ध में जो विशेषाधिकार हैं वे उन्हें प्राप्त नहीं हैं ।

**सरदार हुक्म सिंह**: भर्ती के लिये विभाग द्वारा जो परीक्षायें ली जाती है क्या वे उन में बैठने के पात्र हैं ?

**श्री राज बहादुर** : जी हां, किन्तु कुछ शर्तों के अधीन। यदि वे कुछ शर्तों को पूरा करते हैं तो बैठ सकते हैं ।

**सरदार हुक्म सिंह**: क्या यह सत्य है कि यदि अतिरिक्त विभागीय सेवा का कोई पोस्टमास्टर स्थायी रूप से सेवा में आना

चाहे तो यह आवश्यक है कि वह पहले डाकिया बने ?

**श्री राज बहादुर :** जी नहीं, श्रीमान्। यह बात नहीं है। यदि वह स्थायी सेवा में आना चाहते हैं तो उन्हें परीक्षा में बैठना होगा तथा न्यूनतम शिक्षा योग्यता भी रखनी होगी जो कि मैट्रीकुलेशन परीक्षा है।

**सरदार हुक्म सिंह :** पदोन्नति अथवा वेतनवृद्धि के सम्बन्ध में क्या उन्हें कोई सुविधा दी गई है अथवा उन्हें केवल भत्ते पर ही काम करना पड़ता है ?

**श्री राज बहादुर :** जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं यह लोग सरकार के अंशकालिक कर्मचारी हैं और इसलिये जहां तक पदोन्नति सम्बन्धी सुविधाओं का सम्बन्ध है उन पर कुछ और प्रकार के नियम लागू होते हैं।

**श्री वैलायुधन :** यदि एजेन्टों को विभाग में सम्मिलित कर लेना हो तो किन योग्यताओं की आवश्यकता है ?

**श्री राज बहादुर :** जब तक वे परीक्षाओं में सफल नहीं हो जाते तब तक वे एजेन्ट ही रहेंगे।

**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति।

**श्री ईश्वर रेड्डी :** मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या मंत्रालय ने डाक कर्मचारी संघ द्वारा भेजा गया इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त किया है कि मूल वेतन में वृद्धि .....

**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति। अभ्यावेदनों का फैसला यहां नहीं किया जाता है। आप चाहें तो उन के सम्बन्ध में मंत्रालय से सीधी पूछताछ कर सकते हैं।

**डाक लिफ़ाफ़ों के लिये गोंद**

*१५८३. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या संचरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) डाक लिफाफों अथवा टिकटों में प्रयोग किये जाने वाले बढ़िया गोंद की उपयुक्तता के सम्बन्ध में भारत के विभिन्न जलवायु वाले प्रदेशों में डाकघरों के प्रभारी पोस्ट मास्टरों द्वारा भेजी गई रिपोर्टों पर क्या विचार किया जा चुका है; तथा

(ख) यदि किया जा चुका है तो पोस्ट मास्टरों को जो नमूने के रूप में गोंद भेजा गया था क्या उसे स्वीकार कर लिया गया है ?

**संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। वह उपयुक्त नहीं पाया गया।

**सरदार हुक्म सिंह :** मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या किसी अन्य पदार्थ के सम्बन्ध में वह ब्रिटिश फर्म जांच कर रही है जिस से हम ने पहले उस के अनुसन्धानों के सम्बन्ध में परिणाम ज्ञात किये थे ?

**श्री राज बहादुर :** ब्रिटिश फर्म ने एक ऐसा गोंद दिया था जिसे अरबी गोंद कहते हैं किन्तु वह उपयुक्त नहीं पाया गया। अब भारत सुरक्षा प्रेस, नासिक, के मास्टर ने डेक्सट्रीन नामक गोंद की सिफारिश की है तथा हम ने यह पाया है कि उस से संतोषजनक परिणाम निकले हैं।

**सरदार हुक्म सिंह :** मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इस फर्म को छोड़ कर भारत में इस विषय पर पृथक रूप से अनुसंधान किया जा रहा है ?

**श्री राज बहादुर :** जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, भारत सुरक्षा प्रेस के मास्टर ऐसा अनुसन्धान कार्य करते हैं।

**वन महोत्सव**

*१५८४. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या इस वर्ष तीसरा वन महोत्सव मनाने का विचार है; तथा

(ख) पहले दो महोत्सवों के दौरान में जो पेड़ लगाये गये थे उन में से कितने लगे रहे हैं ?

**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां ।

(ख) सन् १९५० की रिपोर्ट से पता चलता है कि लगाये गये पेड़ों में से कम से कम तिहाई अब भी लगे हुए हैं । वर्ष १९५१ के सम्बन्ध में समस्त रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई हैं ।

**सरदार हुक्म सिंह** : जहां तक पहले वन महोत्सव का सम्बन्ध है हमें बताया गया था कि लगाये गये तीन करोड़ पेड़ों में से पहले जाड़े मौसम में एक करोड़ पेड़ लगे रहे थे । करोड़ पेड़ों का क्या हुआ ?

**श्री करमरकर** : हमारे नवीनतम आगणनों पता लगता है कि पहले वर्ष में कुल ४ करोड़ ४३ लाख पेड़ लगाये गये थे सिज में से १ करोड़ ७०-लाख लगे रहे । प्रतिशतक ३८.४ था । सरकार के पास इस सम्बन्ध में और कोई सूचना नहीं है ।

**सरदार हुक्म सिंह** : दूसरे वर्ष लगाये गये पेड़ों का क्या हुआ ? पहले जाड़े के पश्चात् कितने पेड़ या कितने प्रति शत पेड़ लगे रहे ?

**श्री करमरकर** : कुल ३ करोड़ ११ लाख १२ हजार पेड़ लगाये गये थे । अनुमान लगाया जाता है कि १ करोड़ से अधिक पेड़ लगे रहे।

**सरदार हुक्म सिंह** : यह एक महोत्सव अथवा दोनों महोत्सवों के सम्बन्ध में आंकड़े हैं ?

**श्री करमरकर** : दूसरे महोत्सव के सम्बन्ध में हैं ।

**श्री बी० शिवा राव** : मैं देखता हूं कि हेस्टिंग्स रोड पर बहुत से पेड़ काट डाले गये हैं । क्या मंत्रालय के विचार से नई दिल्ली में बहुत अधिक पेड़ हैं ?

**श्री करमरकर** : मैं आप का यह संदेश निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री तक पहुंचा दूंगा ।

**अध्यक्ष महोदय** : अब हमें दूसरा प्रश्न लेना चाहिये ।

### सरकारी यात्रा संस्थाओं का अन्तर्राष्ट्रीय संघ

*१५८५. **श्री एस० एन० दास** : (क) क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकारी यात्रा संस्थाओं के अन्तर्राष्ट्रीय संघ के प्रादेशिक आयोग की पहली बैठक नई दिल्ली में निर्धारित समय पर हुई थी ?

(ख) यदि हुई थी तो बैठक में किन विषयों पर विचार किया गया था ?

(ग) आयोग की बैठक में किन किन देशों ने भाग लिया था ?

**रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री)** : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग). मैं माननीय सदस्य का ध्यान २ जून, १९५२ को तारांकित प्रश्न संख्या ३३८ के भाग (ख) के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर की ओर आकर्षित करना चाहूंगा ।

**श्री एस० एन० दास** : श्रीमान्, मैं ज्ञात कर सकता हूं कि आयोग स्थापित हो जाने के पश्चात् से प्रादेशिक आयोग का क्या कार्यकरण रहा है ?

**श्री एल० बी० शास्त्री** : प्रादेशिक आयोग ने अब तक बहुत कुछ नहीं किया है । कार्य बढ़ाने के संबंध में निश्चित कार्यवाही करने का अब विचार है ।

**श्री एस० एन० दास** : श्रीमान्, मैं ज्ञात कर सकता हूं कि इस आयोग में कौन कौन से देशों के प्रतिनिधि हैं ?

**श्री एल० बी० शास्त्री :** आस्ट्रेलिया, कम्बोडिया, लंका, भारत, इंडोनीशिया, जापान, न्यूजीलेंड, पाकिस्तान, फिलिपाइन्स, ब्रह्मा, हांगकांग, मलाया, सिंगापुर, थाईलेंड तथा कुछ और देश भी ।

**श्री पुन्नूस :** श्रीमान्, मैं ज्ञात कर सकता हूं कि सरकार को इस सम्मेलन के लिये कुल कितना खर्च उठाना पड़ा था ?

**श्री एल० बी० शास्त्री :** लगभग ८००० रुपये ।

**पर्यटक यातायात संगठन**

***१५८६. श्री एस० एन० दास :** क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९४९-५०, १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में पर्यटक यातायात संगठन तथा उससे सम्बद्ध कार्यालयों तथा समितियों को चलाने के लिये सरकार द्वारा व्यय की गई कुल राशि ;

(ख) इन संस्थाओं तथा समितियों को स्थापित कर के उन के परिणाम ज्ञात करने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही ;

(ग) भारत के रिजर्व बैंक द्वारा पर्यटक आय के सम्बन्ध में किया जाने वाला न्यादर्श अधीक्षण क्या पूरा हो चुका है ; तथा

(घ) यदि पूरा हो चुका है तो अधीक्षण की उपपत्तियां क्या हैं ?

**रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) :** (क) पर्यटक यातायात संगठन तथा मंत्रणा समितियों के सम्बन्ध में सन् १९४९-५०, १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में क्रमशः १५०० रुपये १,०५,९३५ रुपये तथा १,२५, ७५० रुपये की कुल राशि व्यय की गई थी ।

(ख) प्रादेशिक पर्यटक अधिकारियों, अवैतनिक प्रादेशिक पर्यटक अधिकारियों तथा विदेश स्थित भारतीय दूतावासों से सावधिक रिपोर्टें मांगी जाती हैं । कभी कभी वैयक्तिक पर्यटकों से भी इस सम्बन्ध में रिपोर्ट आती रहती हैं कि भारत में पर्यटक सुविधाओं के बारे में उनका क्या विचार है । सीमा शुल्क के समाहर्त्ता के साथ भारत में आने वाले पर्यटकों के बारे में आंकड़े संग्रह करने के लिए विशेष प्रबन्ध कर दिया गया है । इन आंकड़ों से पता लगता है कि पर्यटक यातायात में वृद्धि हो रही है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) उत्पन्न ही नहीं होता ।

**श्री एस० एन० दास :** श्रीमान्, ज्ञात कर सकता हूं कि क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की स्थिति में हैं कि इन वर्षों में भारत में आने वाले पर्यटकों की संख्या क्या है ?

**श्री एल० बी० शास्त्री :** लगभग २० हजार ।

**श्री बी० शिवा राव :** प्रश्न के भाग (क) के संबंध में—इस में से कितनी राशि न्यू यार्क में केन्द्र खोलने में व्यय की गई है ?

**श्री एल० बी० शास्त्री :** अब तक हमने न्यूयार्क में कोई विशेष केन्द्र नहीं खोला है। किंतु उस दिन हम ने न्यू यार्क में एक नया केन्द्र खोलने का निश्चय किया है ।

**श्री एस० सी० सामन्त :** मैं ज्ञात कर सकता हूं कि जिन पर्यटक अधिकारियों को नियुक्त करने का विचार था क्या वे नियुक्त किये जा चुके हैं ?

**श्री एल० बी० शास्त्री :** जी हां वे नियुक्त किये जा चुके हैं ?

**श्री वैलायुधन** : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या भारत में यात्रा करने वाले पर्यटक मद्य-निषेध नियमों से मुक्त हैं ?

**श्री एल० बी० शास्त्री** : जी हां ।

**सरदार हुक्म सिंह** : इस उद्योग के फलस्वरूप कितना विनिमय प्राप्त हुआ था ?

**श्री एल० बी० शास्त्री** : भारत का रिजर्व बैंक न्यादर्श अधीक्षण कर रहा है तथा अभी तक हमें रिजर्व बैंक की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

**श्री सारंगधर दास** : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि न्यूयार्क में प्रस्तावित केन्द्र खोले जाने के अतिरिक्त क्या भारत में पर्यटक यातायात को प्रोत्साहन देने के लिये योरुप में कोई अन्य ऐजेंसियां भी हैं ?

**श्री एल० बी० शास्त्री** : इस संबंध में हमारे विदेश स्थित दूतावास काफी कार्य कर रहे हैं तथा उन से हमें बहुत सहायता मिल रही है ।

### भारत-ईरान वायु संधि

***१५८७. श्री एस० सी० सामन्त** : क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या प्रस्तावित भारत-ईरान वायु संधि के संबंध में वार्ता समाप्त हो चुकी है ;

(ख) यदि समाप्त हो चुकी है तो उसका परिणाम क्या रहा ; तथा

(ग) भेजे गये भारतीय प्रतिनिधि मंडल में कौन कौन व्यक्ति थे तथा इस वार्ता के लिये कितनी राशि व्यय की गई ?

**संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) तथा (ख) माननीय सदस्य का ध्यान १० जून, १९५२ को डा० राम सुभग सिंह द्वारा पूछे गये प्रश्न संख्या ६६१ के भाग (ख) तथा (ग) के संबंध में दिये गये उत्तरों की ओर आकर्षित किया जाता है । इस के अतिरिक्त और कोई बात नहीं हुई ।

(ग) प्रतिनिधि मंडल में भारत सरकार के संचरण मंत्रालय के उप सचिव श्री पी० के० राय तथा साथ में सलाहकार के रूप में हिमालयन एवेशन के श्री एस० बुजाको वैस्की थे । वार्त्ता के संबंध में सरकार को ३,३१० रुपये की राशि व्यय करनी पड़ी थी ।

**श्री एस० सी० सामन्त** : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या ईरान अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक नभश्चरण संगठन का एक सदस्य हैं ?

**श्री राज बहादुर** : मेरे विचार से ऐसा ही है किंतु मैं इसके संबंध में पूर्णत: निश्चित नहीं हूं ।

**श्री एस० सी० सामन्त** : : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या असैनिक नभश्चरण समझौतों के समस्त मामलों में ऐसे प्रतिनिधि मंडल भेजे जाते हैं ?

**श्री राज बहादुर** : हमेशा बातचीत करने के पश्चात् ही ऐसे समझौते किये जाते हैं ।

**श्री एस० सी० सामन्त** : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या ऐसे समझौतों के संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक नभश्चरण संगठन की बैठकों में बातचीत होती है ?

**श्री राज बहादुर** : यह समझौते संबद्ध देशों के विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों या प्रतिनिधियों के द्वारा किये जाते हैं ।

### रेलवे के छापेखाने

***१५८८. श्री एस० सी० सामन्त** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या रेलवे के छापेखानों तथा उस में लगी छपाई मशीनों के संबंध में कोई जांच की गई है ;

(ख) यदि की गई है, तो किस ने की है ;

(ग) जांच करने वालों की उपपत्तियां तथा सिफारिशें क्या हैं ; तथा

(घ) रेलवे छापेखानों के अतिरिक्त अन्य छापेखानों में कितने मूल्य का काम कराया गया ?

**रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री)** : (क) से (ग) । जांच का काम प्रारम्भ कर दिया गया है । भारत सरकार के लेखन सामग्री तथा छपाई विभाग के प्रविधिक परामर्शदाता श्री जे० डब्लू० एच० एलविन जांच करेंगे ।

(घ) वर्ष १९५०-५१ में २४·६४ लाख रुपये तथा वर्ष १९५१-५२ में २५·८१ लाख रुपये ।

**श्री एस० सी० सामन्त** : भारत में कितने रेलवे के छापेखाने हैं तथा वे कहां कहां स्थित हैं ?

**श्री एल० बी० शास्त्री** : मुझे पूर्व-सूचना चाहिये ।

**श्री वैलायुधन** : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या रेलवे विभाग रेलवे छापेखानों के अतिरिक्त ग़ैर-सरकारी छापेखानों को भी छापने के लिये काम देता है ?

**श्री एल० बी० शास्त्री** : जी हां ।

**श्री नम्बियार** : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार को, रेलवे के छापेखानों में काम करने वाले ऐसे कर्मचारियों द्वारा भेजे गये अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिन के मामलों के संबंध में बहुत दिनों से निश्चय नहीं किया गया है ?

**अध्यक्ष महोदय** : जहां तक संभव हो अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा किये गये अभ्यावेदनों को यहां प्रश्न का विषय न बनाया जाये । उन की गुणों के आधार पर परीक्षा की जानी चाहिये ।

**श्री नम्बियार** : मैं ज्ञात करना चाहता हूं कि क्या कार्यवाही की गई है ।

**अध्यक्ष महोदय** : अब आप प्रश्न को बदल रहे हैं ।

**श्री एस० सी० सामन्त** : क्या माननीय मंत्री हमें यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस जांच के कब तक समाप्त हो जाने की संभावना है ?

**श्री एल० बी० शास्त्री** : इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है । किंतु अब तक श्री एलविन केवल बम्बई स्थित रेलवे छापेखानों की जांच कर सके हैं तथा हम आशा करते हैं कि अन्य स्थानों के संबंध में उन की रिपोर्ट एक महीने में या कुछ और अधिक दिनों में प्राप्त हो जायेगी ।

## जनगणना रिपोर्ट

***१५८९. श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे

(क) सन् १९५१ की जनगणन रिपोर्ट कब तक छापी तथा प्रकाशित की जायेगी तथा जनता को कब तक उपलब्ध हो सकेगी ;

(ख) उसे भागों में प्रकाशित किया जायेगा अथवा एक साथ ही (अर्थात्, अखिल भारत, राज्य तथा जिला आधार पर) ;

(ग) यदि अलग अलग प्रकाशित की गई तो भागों का विषय क्या होगा ;

(घ) क्या पेशेवार आबादी भी सम्मिलित की जायेगी ; तथा

(ङ) जनगणना संबंधी आंकड़ों को अधिक यथार्थ बनाने के संबंध में क्या कोई अग्रेत्तर कार्यवाही की गई है ?

**गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू):** (क) २३ जून, १९५२ को प्रो० अग्रवाल द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १११५ के भाग (क) के संबंध में दिये गये उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

(ख) तथा (ग) वर्ष १९५१-५२ के लिये गृह कार्य मंत्रालय की रिपोर्ट के पैरा ५९ की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिस की एक प्रति सदन के पुस्तकालय में मौजूद है ।

(घ) जी हां । सन् १९५२ के भारत जनगणना पत्र संख्या १ की सारिणी ३ में अपेक्षित सूचना दी हुई है ।

(ङ) जनगणना पूर्ण हो जाने के पश्चात् तुरन्त ही एक न्यादर्श अधीक्षण किया गया था जिस से पता लगता है कि भारतीय जनगणना का कार्य काफी यथार्थता तक पहुंच गया है ।

**श्री एस० सी० सामन्त :** मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या गत सामान्य निर्वाचन के लिये किये गये न्यादर्श अधीक्षण तथा १९५१ की जनगणना के बीच बहुत अधिक अन्तर था ?

**डा० काटजू :** मैं पूर्वसूचना चाहता हूं ।

**श्री एस० सी० सामन्त :** क्या यह सत्य नहीं है कि जम्मू और काश्मीर में जनगणना नहीं की गई थी और यदि नहीं की गई थी तो सम्बन्धित आंकड़ों को किस प्रकार से जोड़ा जायेगा ?

**डा० काटजू :** जब जनगणना की जायेगी तक आंकड़े सम्मिलित कर लिये जायेंगे ।

**श्री एस० सी० सामन्त :** भाग (ख) के सम्बन्ध में—आसाम के आदिमजाति वाले राज्यों के सम्बन्ध में कोई जनगणना नहीं की गई थी, क्या मैं ज्ञात कर सकता हूं कि उन के सम्बन्ध में आंकड़े किस प्रकार तैयार किये जायेंगे तथा उन्हें जनगणना रिपोर्ट में किस प्रकार सम्मिलित किया जायेगा ?

**डा० काटजू :** यदि जनगणना नहीं की गई है तो आंकड़े सम्मिलित नहीं किये जायेंगे, जब तक कि उन्हें अनुमान के आधार पर ही न सम्मिलित करना हो ।

**अध्यक्ष महोदय :** अच्छा होगा कि अब हम अगले प्रश्न को लें ।

**मैसूर में अकाल-ग्रस्त क्षेत्र**

*१५९०. **श्री एम० वी० कृष्णप्पा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) मैसूर राज्य के अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों अर्थात् कोलार तथा तुमकुर में, जो कि मद्रास राज्य में रायलसीमा से लग हुये हैं, सहायता कार्य के लिये क्या कोई कार्यवाही की है ; तथा

(ख) उन क्षेत्रों में भारत सरकार द्वारा सहायता के लिये मंजूर की गई राशि ?

**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) :** (क) जी हां ।

(ख) कुछ भी नहीं । फिर भी, मैं यह कह दूं कि प्रधान मंत्री ने २५,००० रुपये की राशि भेजी है जिस का कोलार ज़िले में उपयोग किया जा रहा है ।

**श्री एम० वी० कृष्णप्पा :** क्या यह सत्य है कि मैसूर सरकार ने उसी प्रकार की सहायता की याचना की थी जिस प्रकार की रायलासीमा को दी जा रही है, किन्तु केन्द्र ने उसे अस्वीकार कर दिया है ?

**श्री करमरकर :** मैं इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि मैसूर ने भारत सरकार से सहायता के लिये याचना की थी । मैं इसका पता लगाऊंगा ।

**श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि मद्रास तथा मैसूर दोनों की सरकारों ने केन्द्र से इस बात के सम्बन्ध में अभ्यावेदन किया था कि अस्थायी सहायता के अतिरिक्त अकाल से बचने के लिये केन्द्र को ढेंकली (लिफ्ट) सिंचाई तथा नलकूपों द्वारा अन्तरभूमि से पानी निकालने की अल्पकालिन तथा दीर्घकालीन योजनायें बना कर उनकी सहायता करनी चाहिये ?

**श्री करमरकर** : दीर्घकालीन योजनाओं के सम्बन्ध में मैं पूर्वसूचना चाहूंगा ।

**श्री एम० एस० गुरुपाद स्वामी** : क्योंकि मैसूर में अब भी अकाल पड़ रहा है इसलिये क्या सरकार मैसूर सरकार को और अधिक धन देने के प्रश्न पर विचार कर रही है जिससे कि सहायता कार्य किया जा सके ?

**श्री करमरकर** : सरकार इस पर विचार करेगी, किन्तु इस समय तो मैसूर सरकार ही पर्याप्त कार्यवाही कर रही है जैसे मुफ्त में खाना देना, कृषि के लिये ऋण देना तथा इसी प्रकार की अन्य बातें करना ।

**श्री वीरस्वामी** : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार भुखमरी से लोगों को बचाने के लिये अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों में, ग़रीब लोगों को अनाज मुफ्त में देने या उतने कम मूल्य पर, जितने में वे लोग ख़रीद सकें, देने की व्यवस्था करेगी ?

**अध्यक्ष महोदय**: शान्ति, शान्ति । प्रश्न न केवल लम्बा है बल्कि कुछ अस्पष्ट भी है ।

**श्री शिवनंजप्पा** : क्या सरकार ने किसी गैर-सरकारी सहायता समिति को प्रोत्साहित किया है ?

**श्री करमरकर** : मेरे पास कोई सूचना नहीं है किन्तु राज्य सरकार उपयुक्त कार्यवाही कर रही है ।

**चपड़ा के मूल्यों में कमी**

*१५९१. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) जनवरी, १९५२ के भारतीय चपड़ा के मूल्यों के मुकाबले अब मूल्यों में कितनी प्रति शत की कमी हुई है ; तथा

(ख) चपड़ा के मूल्यों में कमी होने के क्या कारण हैं ?

**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर)** : (क) लगभग ५० प्रतिशत ।

(ख) मुख्य कारण हैं—विश्व मांग में कमी होना तथा आन्तरिक चपड़ा बाजार में सट्टेबाज़ी होना ।

**डा० राम सुभग सिंह** : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि मूल्यों में कमी होने का क्या प्रभाव पड़ा है ।

**श्री करमरकर** : जब मूल्यों में आधी कमी होती है तो उद्योग को उतना ही कम मिलता है किन्तु फिर भी वह चलता ही रहता है ।

**डा० राम सुभग सिंह** : सन् १९५०-५२ में हम ने कितनी मात्रा तथा कितने मूल्य पर निर्यात की ?

**श्री करमरकर** : सन् १९४९-५० में हम ने १३ हजार टन से कुछ अधिक चपड़ा औसतन १३० रुपये प्रति मन के हिसाब से निर्यात किया । सन् १९५०-५१ में २१.६ हजार टन औसतन १३९ रुपये प्रति मन के हिसाब से निर्यात किया । जून, १९५० में कलकत्ते में इसका दाम गिर कर ७० रुपये प्रति मन हो गया था ।

**डा० राम सुभग सिंह** : प्रति वर्ष चपड़ा से बनी हम कितनी वस्तुयें तथा किस मूल्य पर आयात करते हैं ?

**श्री करमरकर** : मैं इस की पूर्वसूचना चाहता हूं ।

**त्रावनकोर-कोचीन में राष्ट्रीय राजमार्ग (पुल)**

*१५९२. **श्री ए० एम० टामस** : (क) क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग योजना के अन्तर्गत त्रावनकोर-कोचीन में कितने बड़े पुल बनाये जायेंगे ?

(ख) वे कहां बनाये जायेंगे ?

(ग) इस कार्य के लिये कुल कितनी पूंजी रखी गई है ?

(घ) क्या किसी पुल को बनाने का काम प्रारम्भ कर दिया गया है ?

**रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री)** : (क) दो ।

(ख) एक तो एन० एच० संख्या ४७ पर अलवाय के समीप पैरियर नदी के सीधे हाथ पर तथा दूसरा इस राजपथ के पश्चिमी तट विस्तार पर अरूर के बन्द नालों पर ।

(ग) पंच-वर्षीय योजना में दोनों पुलों के लिये ४० लाख रुपये की व्यवस्था की गई है ।

(घ) अभी तक नहीं ।

**श्री ए० एम० टामस** : क्या सरकार को यह ज्ञात है कि राष्ट्रीय राजमार्ग का यह भाग त्रावनकोर-कोचीन के तटीय प्रदेश से गुजरता है जो कि नारियल जटा उद्योग में मंन्दी आ जाने के कारण इस समय सब से अधिक प्रभावित क्षेत्र है ?

**श्री एल० बी० शास्त्री** : हो सकता है ऐसा ही हो ।

**श्री ए० एम० टामस** : उक्त बात को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार का विचार इन पुलों को बनाने का कार्य जल्दी आरम्भ करने का है ?

**श्री एल० बी० शास्त्री** : इन पुलों को बनवाने के लिये हम स्वयं ही जल्दी कर रहे हैं और यदि माननीय सदस्य की इच्छा हो तो मैं इस बारे में और भी हिदायतें भेज सकता हूं ।

**श्री ए० म० टामस**: इन राष्ट्रीय राजपथ पुलों के सम्बन्ध में क्या भारत सरकार तथा सम्बद्ध राज्य सरकार के बीच पत्रव्यवहार हो रहा है ।

**श्री एल० बी० शास्त्री** : जी हां ।

**श्री एन० पी० दामोदरन** : में ज्ञात कर सकता हूं कि किसी सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग किस प्रकार घोषित किया जाता है तथा त्रावनकोर कोचीन में इस प्रकार से घोषित की गई कितनी सड़कें हैं ?

**श्री एल० बी० शास्त्री** : जहां तक मुझे ज्ञात है त्रावनकोर और कोचीन को मिलाने वाली सड़क को छोड़ कर और किसी को भी राष्ट्रीय राजमार्गों में सम्मिलित नहीं किया गया है ।

**श्री वैलायुधन**: वहां की लगभग भुखमरी की सी स्थिति को ध्यान में रखते हुये क्या त्रावनकोर-कोचीन सरकार ने वहां पर इन दोनों पुलों को बनवाने का काम शीघ्र आरम्भ करने का निवेदन किया था ?

**अध्यक्ष महोदय**: कुछ सीमा तक इस का उत्तर दिया जा चुका है । उन्होंने कहा है कि वह इस सम्बन्ध में और हिदायतें भेजने के लिये तैयार हैं ?

**श्री ए० एम० टामस** : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि राज्य सरकार तथा यातायात मंत्रालय के बीच होने वाले पत्रव्यवहार का क्या परिणाम रहा है ?

**श्री एल० बी० शास्त्री** : मैं पूर्वसूचना चाहता हूं ।

**त्रावनकोर-कोचीन में डाकखाने**

*१५९३. **श्री ए० एम० टामस** : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि त्रावनकोर-कोचीन में, भारत सरकार द्वारा अंचल पद्धति को अपने हाथों में लेने के पश्चात् कितने डाकखाने खोले गये हैं ?

**संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर)** :

(१) शहरी डाकखाने—८ ।

(२) देहाती डाकखाने—२५६ ।

**श्री ए० एम० टामस** : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इस क्षेत्र में प्रत्येक २,००० व्यक्तियों के लिये एक डाकखाना बनाने का लक्ष्य पूरा हो गया है ?

**श्री राज बहादुर** : हम ने २५६ देहाती डाकखाने खोल दिये हैं तथा इस से लगभग हमारा लक्ष्य पूरा हो जाता है ।

**श्री ए० एम० टामस** : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या नये खोले गये डाकखाने आत्म-निर्भर हैं ?

**श्री राज बहादुर** : इस समय यह बतलाना बहुत कठिन है क्योंकि अभी तो वे ५ वर्षों के लिये प्रयोगात्मक रूप से खोले गये हैं ।

**श्री ए० एम० टामस** : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि जब यह डाकखाने केन्द्र ने अपने अधिकार में लिये थे तो वहां डाक की दर क्या थी ?

**श्री राज बहादुर** : प्रश्न का सम्बन्ध नये खोले गये डाकखानों से था । माननीय सदस्य ने अब जो प्रश्न पूछा है मैं उस के लिये पूर्वसूचना चाहता हूं ।

**श्री पी० टी० चाको** : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या उन अतिरिक्त विभागीय अंचल मास्टरों को, जो अंचल विभाग के डाक विभाग में मिलाये जाने के समय सेवायुक्त थे, डाक सेवा में ले लिया गया था ?

**श्री राज बहादुर** : जितने व्यक्तियों को डाक सेवा में रखने के योग्य पाया गया, रख लिया गया है ।

**श्री ए० एम० टामस** : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या यह आशा की जाती थी कि वित्तीय समयोजन हो जाने के पश्चात् भी त्रावनकोर-कोचीन में उस समय की डाक की दरें चालू रहेंगी ?

**श्री राज बहादुर** : उन्हें केवल थोड़े समय के लिये चालू रहने दिया गया था और वह भी विशेष मामला समझ कर ।

**हालैण्ड से मालगाड़ी के डब्बे**

*१५९४. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय** : (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार ने हालैण्ड से कुल कितने मालगाड़ी के डब्बों को मंगाने का आर्डर दिया था तथा किस मूल्य पर ?

(ख) अब तक इन में से कितने डब्बे भारत आ चुके हैं ?

(ग) क्या यह सत्य है कि अन्य देशों में इस से सस्ते डब्बे उपलब्ध थे ?

**रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री)** : (क) सन् १९५१-५२ के कार्यक्रम के अनुसार हालैण्ड से अनुमानतः १ करोड़ ८० हजार रुपये की लागत के मीटर गाज वाले १,००० बन्द डब्बों (एम सी प्रकार के) का आर्डर दिया गया था ।

(ख) ३१ मई, १९५२ तक भारत में २०४ डब्बे प्राप्त हो चुके हैं ।

(ग) जी नहीं ।

**पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय** : यह जो खरीदारी की गई है यह रेलवे के जरिये से की गई है या सप्लाई मिनिस्ट्री के जरिये से ?

**श्री एल० बी० शास्त्री** : जहां तक सप्लाई डिपार्टमेंट का ताल्लुक है उस में जो हमारे डाइरेक्टर जनरल लन्दन में रहते हैं उनके जरिये पहले सारी कार्रवाई होती है। उसके बाद फिर रेलवे के अफ़सरान उसमें शामिल होते हैं।

**पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय** : क्या इस खरीदारी के लिये कोई टेंडर भी मांगा गया था।

**श्री एल० बी० शास्त्री** : जी हां, टेंडर मांगे गये थे और करीब १९ फर्मों ने टेंडर दिये थे।

**श्री वैलायुधन** : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि इन डब्बों को खरीदने के सम्बन्ध में भारत सरकार की ओर से किसने बातचीत की थी ?

**श्री एल० बी० शास्त्री** : भारत भाण्डार विभाग लन्दन, के महासंचालक तथा रेलों के लिये हमारे वित्तीय आयुक्त ने।

**पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय** : जो ट्रक्स अभी आने को हैं उन की कब तक आने की उम्मीद है ?

**श्री एल० बी० शास्त्री** : यह कहना तो मुश्किल है जिस तरह से पिछली मांगें पूरी हुई हैं वह कुछ बहुत आशाजनक नहीं हैं और उस में काफी देर लगी है।

**पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय** : क्या अपने देश में किसी कम्पनी के जरिये से ट्रक्स बनवाने का प्रबन्ध है ?

**श्री एल० बी० शास्त्री** : जी हां।

**श्री वैलायुधन** : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या यह सब डब्बे एक ही फर्म से खरीदे गये थे या विभिन्न फर्मों से ?

**श्री एल० बी० शास्त्री** : विभिन्न फर्मों से।

**भारतीय व्यापारी जहाज़ी बेड़ा**

*१५९५. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय** : (क) क्या यातायात मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस समय भारतीय व्यापारी जहाज़ी बेड़े में कितने जहाज़ हैं ?

(ख) भारत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये कितने और जहाज़ों की ज़रूरत है ?

(ग) गत एक वर्ष में भारत में कितने जहाज़ बनाये गये तथा उनका वज़न और लागत क्या थी ?

**रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री)** : (क) इस समय भारतीय व्यापारी जहाज़ी बेड़े में १०८ जहाज़ हैं।

(ख) पुनर्निर्माण समिति की नौपरिवहन नीति सम्बन्धी उपसमिति ने अनुमान लगाया था कि २० लाख टन वज़नी भारतीय जहाज़ों (लगभग ३०० जहाज़) से तटीय व्यापार की सम्पूर्ण और निकटवर्ती तथा सुदूरवर्ती व्यापार की समुचित आवश्यकतायें पूरी की जा सकती हैं।

(ग) जून, १९५१ से अब तक विशाखापटनम् के जहाज़ी कारखाने में २ जहाज़ बनाये गये हैं जिन में से प्रत्येक का वज़न ८,००० टन है। इन में से एक का मूल्य ६२·९२ लाख रुपये है। दूसरे जहाज़ के लिये ६४:६५ लाख रुपये के निर्धारित मूल्य पर आर्डर दिया गया था किन्तु साथ ही जहाज़ में काम में लाई जाने वाली लकड़ी इस्पात तथा मशीनों की लागत के सम्बन्ध

में कुछ बचाव खण्ड भी रख दिये गये थे। किन्तु अभी तक कुल वास्तविक लागत का हिसाब नहीं लगाया गया है।

**पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय:** गत वर्ष कितने जहाज़ खरीदे गये और किन मुल्कों से ?

**श्री एल० बी० शास्त्री:** यह मैं इस वक्त नहीं बतला सकता।

**पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय:** गत वर्ष में कितने जहाज़ बेचे गये ?

**श्री एल० बी० शास्त्री:** हम ने तो यहां से कोई ऐसा जहाज़ बेचा नहीं जो हमारे काम आ सके।

**श्री वैलायुधन:** मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या किसी जापानी विशेषज्ञ ने भारत सरकार के सामने इस से सस्ते दामों पर जहाज़ बनाने का प्रस्ताव रखा था ?

**अध्यक्ष महोदय:** मुझे अच्छी तरह याद पड़ता है कि इसी प्रकार का पहले भी एक प्रश्न पूछा जा चुका है।

**श्री केलप्पन:** तटीय व्यापार का कितना प्रति शत माल भारतीय व्यापारी जहाज़ों द्वारा ढोया जाता है ?

**श्री एल० बी० शास्त्री:** लगभग ९३ प्रति शत।

**श्री धुलेकर:** जो जहाज़ हिन्दुस्तान में बनते हैं क्या वह हाई सीज़ (महासागर) पर चल सकते हैं या वे केवल कोस्टल एरिया (तटीय क्षेत्र) में जाते हैं ?

**श्री एल० बी० शास्त्री:** जी हां, दोनों जगहों पर चलते हैं।

**राज्यों में सेवाओं का समयोजन**

*१५९७. **श्री सी० आर० इय्युन्नी:** क्या राज्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या राज्यों में सेवाओं का समयोजन समाप्त हो चुका है; तथा

(ख) यदि नहीं, तो उस के कारण क्या हैं ?

**गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू):** (क) तथा (ख)। वर्ष १९५१-५२ के लिये राज्य मंत्रालय की रिपोट में सेवाओं के समयोजन के सम्बन्ध में सामान्य स्थिति बताई गई है, इस की एक प्रति माननीय सदस्य को पहले ही दी जा चुकी है।

**श्री सी० आर० इय्युन्नी:** मैं ज्ञात कर सकता हूं कि त्रावनकोर-कोचीन राज्यों के सम्बन्ध में यह समयोजन कब हुआ ?

**डा० काटजू:** इस सम्बन्ध में कुछ पत्र व्यवहार हुआ था; ९ अप्रैल, १९५२ को आदेश जारी किये गये थे।

**श्री सी० आर० इय्युन्नी:** मेरा प्रश्न था के त्रावनकोर तथा कोचीन के बीच समयोजन कब हुआ ?

**डा० काटजू:** मेरा उत्तर था कि आदेश जारी किय जा चुके हैं; समयोजन उस के तुरन्त पश्चात् हो जायेगा।

**श्री ए० एम० टामस:** श्रीमान्, मैं ज्ञात कर सकता हूं कि विभिन्न समयोजित राज्यों की सेवा समयोजना के सम्बन्ध में क्या सरकार केवल निष्क्रिय नीति अपना रही है अथवा राज्य मंत्रालय क्रियाशील नीति अपना रहा है ?

**अध्यक्ष महोदय:** "निष्क्रिय नीति" तथा "कि याशील नीति" का क्या अर्थ होता है ?

**श्री ए० एम० टामस:** कहने का तात्पर्य यह है कि राज्य मंत्रालय इस मामले में कोई दिलचस्पी ले रहा है कि नहीं कि समयोजन का कार्य शीघ्र से शीघ्र समाप्त हो जाये।

**डा० काटजू :** राज्य मंत्रालय को केवल इस में दिलचस्पी है कि समयोजन हो जाये; किन्तु, वास्तव में, यह मामला राज्य सरकारों ही से सम्बन्ध रखता है ।

**श्री पी० टी० चाको :** मैं ज्ञात कर सकता हूं कि उन विभागों के कर्मचारियों को, जिन्हें केन्द्रीय सरकार ने अपने हाथों में ले लिया था, जैसे आय-कर विभाग, क्या उन्हीं शर्तों पर सेवा में रखा गया है जैसा कि केन्द्रीय सरकार के उस विभाग के अन्य कर्मचारियों पर लागू होती हैं ?

**डा० काटजू :** मैं इस की पूर्व सूचना चाहता हूं ।

**श्री सी० आर० इय्युन्नी :** मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या कोचीन राज्य के सरकारी कर्मचारियों तथा त्रावनकोर के सरकारी कर्मचारियों का समयोजन हो चुका है ?

**डा० काटजू :** मुझे ज्ञात हुआ है कि कोचीन सरकार के कर्मचारियों ने इस आशय के अनेक अभ्यावेदन भेजे हैं कि उचित रूप से समयोजन नहीं हुआ है । इन पर विचार किया जायेगा ।

**श्री सी० आर० इय्युन्नी :** मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या संविधान के अनुच्छेद ३७१ के अनुसार राज्यों के प्रशासन के सम्बन्ध में केन्द्र का सामान्य नियंत्रण है ?

**अध्यक्ष महोदय :** वह किस विशेष-सूचना को ज्ञात करना चाहते हैं । वह अनुच्छेद ३७१ की ओर ध्यान आकर्षित करवा रहे हैं ।

**श्री सी० आर० इय्युन्नी :** मैं ज्ञात कर सकता हूं कि उन की शिकायतों को दूर करने के सम्बन्ध में क्या केन्द्र द्वारा कोई कार्यवाही की गई है ?

**डा० काटजू :** प्रक्रिया यह है कि हम ऐसी समस्त शिकायतों को राज्य सरकारों के पास जांच के लिये भेजते हैं तथा बाद में आवश्यक कार्यवाही करते हैं ।

**राघोपुर—परतापगंज रेलवे लाइन**

*१५९८. **श्री एल० एन० मिश्र :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि उत्तर बिहार में पुर्णिया तथा भागलपुर जिलों में फारबेसगंज से भपतिआही तक परतापगंज तथा राघोपुर हो कर एक रेलवे लाइन जाती थी ;

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो उक्त रेलवे लाइन का परित्याग कब कर दिया गया था तथा ऐसा करने के कारण क्या थे; तथा

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त रेलवे लाइन को पुनः चालू करने का है ?

**रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) :** (क) केवल भपतिआही तथा परतापगंज घाट के बीच रेलवे लाइन थी, किन्तु प्रतापगंज तथा फारबेसगंज के बीच कोई रेलवे लाइन नहीं थी ।

(ख) कोसी नदी के पश्चिम की ओर बढ़ने के कारण परतापगंज तथा भपतिआही के बीच की लाइन को सन् १९११ तथा १९२७ के बीच धीरे धीरे बन्द कर दिया गया ।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

**श्री एल० एन० मिश्र :** क्योंकि अब वह क्षेत्र कोसी की बाढ़ से मुक्त है इसलिये क्या वहां पर पुनः रेलवे लाइन चालू करने का विचार है ?

**श्री एल० बी० शास्त्री :** इस समय सरकार इस मामले पर विचार नहीं कर रही है । जब तक कोसी नदी पर नियंत्रण नहीं कर लिया जाता है तथा उस के धारा प्रवाह को एक निश्चित दिशा में बांध नहीं लिया जाता है

तब तक उस क्षेत्र में कोई ऐसी लाइन बनाना सम्भव नहीं हो सकेगा जो हर मौसम में काम दे सके।

**श्री एल० एन० मिश्र**: क्या यह सत्य है कि भारत की केन्द्रीय पटसन समिति तथा बिहार सरकार ने इन रेलवे लाइनों को पुनः बिछाने के लिये निवेदन किया है।

**श्री एल० बी० शास्त्री**: बिहार सरकार ने कुछ पत्र व्यवहार किया था। किन्तु केन्द्रीय यातायात पर्षद् ने यह निश्चय किया कि इस समय इस परियोजना को हाथ में लेना सम्भव नहीं था।

**ग्राम सुधार परियोजनायें**

***१५९९. सेठ गोविन्द दास: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५२-५३ में कौन कौन सी ग्राम सुधार परियोजनायें आरम्भ की जायेंगी ?**

**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर)**: सन् १९५२-५३ में ऐसी १५ मंजूर की गई विकास परियोजनाओं को आरम्भ किया गया है या की जायेंगी जिन्हें फोर्ड फाउन्डेशन से आर्थिक सहायता प्राप्त है। उत्तर प्रदेश, बम्बई, पश्चिमी बंगाल, मैसूर, मध्य प्रदेश, आसाम, बिहार, उड़ीसा, हैदराबाद, पैप्सू, मध्य भारत, विन्ध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, भोपाल तथा त्रावनकोर-कोचीन में से प्रत्येक में एक परियोजना रखी जायेगी।

इस के अतिरिक्त, सामूहिक विकास योजना के अन्तर्गत ५५ सामूहिक परियोजनायें चुन ली गई हैं जिन पर अक्तूबर, १९५२ से काम आरम्भ होगा तथा सन् १९५५-५६ तक समाप्त होगा।

**सेठ गोविन्द दास**: इन योजनाओं के सम्बन्ध में जब निर्णय किया गया था तब क्या भिन्न भिन्न प्रदेशों की सरकारों से भी राय ली गई थी ?

**श्री करमरकर**: जी हां।

**सेठ गोविन्द दास**: जब यह राय आ गई और इस के बाद केन्द्रीय सरकार ने इस के सम्बन्ध में निर्णय किया तो क्या उस वक्त भिन्न भिन्न प्रदेशों के कृषि मंत्री या मुख्य मंत्री मौजूद थे जिन की सलाह से अन्तिम निर्णय हुआ ?

**श्री करमरकर**: इस के बारे में नोटिस (पूर्व सूचना) चाहिये।

**श्री वैलायुधन**: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इन ग्राम सुधार परियोजनाओं को भारत सरकार को अधिक अन्न उपजाओं योजना से किस प्रकार समयोजित किया जायेगा ?

**श्री करमरकर**: स्वभावतः इस कार्यक्रम की मुख्य योजनाओं में अधिक अन्न उपजाओ योजना भी एक है। मुख्य उद्देश्य किसानों की हर प्रकार से सहायता करना है तथा मुख्य पहलुओं में से अधिक अन्न उपजाओ भी एक पहलू है।

**सेठ गोविन्द दास**: किस किस योजना पर कितना कितना रुपया खर्च होगा, इसके सम्बन्ध में कुछ निश्चय हुआ है ?

**श्री करमरकर**: इस के बारे में जो फोर्ड फाउन्डेशन की संस्था काम कर रही है उस के बारे में एक नोट में टेबुल में रख रहा हूं। वह बहुत ही लम्बी है। कम्युनिटी प्रौजैक्ट के बारे में अभी इन्फार-मेशन नहीं है।

**श्री एच० एन० मुखर्जी**: इन परियोज-नाओं के कार्यान्वित करने के बारे में अमेरिकन कर्मचारियों को सहायता देने के सम्बन्ध में क्या फोर्ड फाउन्डेशन ने कोई शर्तें रखी हैं ?

**श्री करमरकर** : वे हमारे सामने रूपरेखा रखते हैं। इस मामले में पहल करना हमारे हाथ में है तथा सम्पूर्ण योजना हमारी निगरानी में कार्यान्वित की जाती है।

**श्री अच्युतन** : क्या विकास परियोजना सामूहिक परियोजना से भिन्न है ?

**श्री करमरकर** : मेरे विचार से यह एक ही हैं।

### सचिवालय कर्मचारी कल्याण तथा सुविधा समिति

*१६००. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय** : (क) क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि भारत सरकार ने अस्थायी संसद् की आंक समिति द्वारा रखे गये इस सुझाव को, कि एक सचिवालय कर्मचारी कल्याण तथा सुविधा समिति बनाई जाये, कार्यान्वित करने का निश्चय किया है ?

(ख) यह समिति किन किन कार्य-कलापों का संगठन करेगी ?

(ग) आंक समिति ने कैन्टीनें खोलने का जो प्रस्ताव रखा था क्या उस पर अमल किया गया है ?

(घ) यदि अमल किया गया है तो सचिवालय कर्मचारियों की आवश्यकतायें उस से कहां तक पूरी होती हैं तथा क्या यह योजना सफल रही है ?

**गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू)**: (क) जी हां।

(ख) यह विचाराधीन है।

(ग) कुछ कैन्टीनें पहले ही से काम कर रही हैं तथा अन्य को खोलने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

(घ) उन से सचिवालय कर्मचारियों को स्वास्थ्यप्रद तथा सस्ता जलपान मिलता है। जहां तक मुझे मालूम है योजना सन्तोषजनक रूप से कार्य कर रही है।

**पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय** : क्या इन कैनटीनों में जो चीजें बिकती हैं उन पर सेल्स टैक्स लगता है या नहीं ? अगर लगता है तो किस दर से लगता है ?

**रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री)**: जनरल एडवाइज़री कमेटी (सामान्य परामर्शदात्री समिति) ने यह फैसला किया है कि जो चीज़ खाने पीने की बेची जाती हैं उस पर सेल्स टैक्स न लिया जाय और उस पर से सेल्स टैक्स माफ़ कर दिया गया है। सिर्फ़ १०० रुपये पर आठ आना लिया जाता है।

**पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय** : कितने उस में से वैजीटेरियन (शाकाहारी) हैं और कितने नानवैजीटेरियन (मांसाहारी) हैं ? इन में जनरल स्टोर रखने का प्रबन्ध हो गया है या नहीं ?

**डा० काटजू** : मैं आनरेबिल मेम्बर से अर्ज़ करूंगा कि वह वहां जा कर खुद देख लें तो उन को मालूम हो जायेगा कि वहां पर क्या क्या चीजें रक्खी गई हैं।

**श्री नम्बियार** : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि केन्द्रीय वेतन आयोग ने कल्याण सम्बन्धी जो सिफारिशें की थीं उन के अनुसार केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को विशेषाधिकार टिकट देने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रश्न का इस से क्या सम्बन्ध है ?

**श्री वेलायुधन** : कोई उत्तर नहीं ?

**अध्यक्ष महोदय** : कोई उत्तर नहीं।

**पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय** : जहां तक मैं ने देखा है जनरल स्टोर की चीजें वहां नहीं है, उम्मीद है जल्दी होंगी।

**डा० काटजू :** आशा है कि वह स्टोर आप की आशा को जल्दी पूरी करेंगे । मैं आप की आशा को वहां तक पहुंचा दूंगा और वह लोग उसी तरह से इन्तजाम करेंगे।

**आंक समिति की दूसरी रिपोर्ट**

***१६०३. प्रो० अग्रवाल :** क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सचिवालय के पुनर्संगठन के सम्बन्ध में आंक समिति की जो दूसरी रिपोर्ट है उस के सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ; तथा

(ख) इस प्रकार पुनर्संगठन करने से किस सीमा तक मितव्ययता होगी ?

**गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) :** (क) समिति की दूसरी रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के अनुसार जो प्रगति हुई थी उस की रिपोर्ट वित्त राज्य मंत्री ने संसद् को ८ जून, १९५१ तथा १८ सितम्बर, १९५१ को सदन पटल पर रखे गये दो विवरणों में दे दी थी। इन सिफारिशों के सम्बन्ध में जो अग्रेतर प्रगति हुई है तथा जिन के सम्बन्ध में और कार्यवाही की जानी थी, उस का एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या १]**

(ख) रिपोर्ट में जो सिफारिशें की गई हैं उन का सम्बन्ध अधिकतर भारत सरकार के सचिवालय के संगठन, तरीकों तथा कार्य की प्रक्रिया से है तथा कार्य में शीघ्रता लाने और कुशलता बढ़ाने के दृष्टि-कोण से ही यह की गई हैं। इस के फल-स्वरूप किस सीमा तक मितव्ययता होने की संभावना है यह बतलाना सम्भव नहीं है । कुछ भी हो इस सम्बन्ध में सरकार ने जो कार्यवाही की है उस का परिणाम कुछ समय के बाद ही ज्ञात हो सकेगा।

**प्रो० अग्रवाल :** पैरा ३ में जो महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई थीं उन में से एक यह भी थी कि अतिरिक्त तथा संयुक्त सचिवों के पद उड़ा दिये जायें । मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है ?

**डा० काटजू :** अतिरिक्त तथा संयुक्त सचिव नियुक्त करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कम से कम संख्या में उन को नियुक्त किया जाये।

**प्रो० अग्रवाल :** पैरा ५ में यह सिफारिश की गई थी कि इस बात का प्रयत्न किया जाना चाहिये कि सरकार के अन्तर्गत काम करने वाले किसी भी प्रधिकारी को ३,००० रुपये से अधिक वेतन न मिले। मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है ?

**डा० काटजू :** मेरे विचार से यह सामान्य नियम है कि किसी भी नये पद के लिये ३,००० रुपये से अधिक वेतन न दिया जाये । पुराने अधिकारियों को जो संवैधानिक प्रत्याभूतियां दी गई हैं वे तो माननीय सदस्यों को ज्ञात ही हैं।

**प्रो० अग्रवाल :** पैरा १६ में वित्तीय नियंत्रण के सम्बन्ध में यह कहा गया था कि छोटी छोटी बातों के सम्बन्ध में तो कड़ा वित्तीय नियंत्रण रखा जाता है तथा कदाचित् बड़ी बडी बातों के सम्बन्ध में ढिलाई से काम लिया जाता है । मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार ने इस सिफारिश विचार किया है ?

**डा० काटजू :** श्रीमान्, मेरे विचार से इस से वित्तमंत्री बहुत नाराज होंगे। क्योंकि छोटी बड़ी सभी बातों पर कड़ा नियंत्रण रखा जाता है।

**पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय :** क्या यह सही है कि किफ़ायतशारी के बजाये खर्चा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है ?

**डा० काटजू :** मेम्बर साहब ने जो सवाल किया है कि खर्चा बढ़ता जाता है, तो उन को भी यह मालूम होना चाहिये कि अगर खर्चा बढ़ता जाता है तो काम भी बढ़ता जाता है, अब यह ' जो इतना बड़ा हाउस हो गया है, तो यहां का भी खर्चा पहले से बढ़ गया है ।

**पंडित सी० एन० मालवीय :** सन् १९५० में ज्वाइंट सेक्रेटरीज़ और ऐडीशनल सेक्रेटरीज़ की तादाद कितनी थी और अप्रैल सन् १९५२ में ज्वाइंट सेक्रेटरीज़ और ऐडीशनल सेक्रेटरीज़ की तादाद कितनी हो गई ?

**डा० काटजू :** मुझे इस समय संख्या याद नहीं है, लेकिन अगर माननीय मेम्बर मुझ से इस बारे में पूछेंगे, तो मैं उन को यह तादाद बता दूंगा ।

**श्री बी० एस० मूर्ति :** मैं ज्ञात कर सकता हूं कि बचत होने के अलावा क्या इस से कार्यक्षमता में वृद्धि हुई है ?

**डा० काटजू :** हम इसी की तो आशा कर रहे हैं ।

**केन्द्रीय तथा अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती**

*१६०४. **श्री कृष्ण चन्द्र :** क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या समस्त केन्द्रीय तथा अखिल भारतीय प्रशासनिक तथा सचिवालय सेवाओं के लिये संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से भर्ती की जाती है ;

(ख) वे सेवाएं कौन सी हैं जिन के लिये संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श न लेकर सरकार सीधी भर्ती करती है ; तथा

(ग) संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श पर क्या अस्थायी नियुक्तियां भी की जाती हैं ?

**गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) :** (क) तथा (ख). कुछ निर्दिष्ट पदों को छोड़ कर, जो बहुत ही टैकनिकल हैं या विशेष प्रकार के हैं तथा जिन के सम्बन्ध में संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श) विनियम की अनुसूची में उल्लेख कर दिया गया है तथा जिस की एक प्रति पुस्तकालय में भी प्राप्त हो सकती है, अखिल-भारतीय सेवाओं तथा केन्द्रीय सेवा श्रेणी १ तथा श्रेणी २ तथा भारत सरकार के सचिवालय तथा सम्बद्ध कार्यालयों की मंत्रीय सेवा के लिये संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात् ही भर्ती की जाती है । अधीनस्थ सेवाओं के पदों के लिये आयोग से परामर्श किये बिना ही उन प्राधिकारियों द्वारा भर्ती की जाती है जिन को ऐसी नियुक्तियां करने का सरकार ने अधिकार दे दिया है ।

(ग) जी हां, केवल उन मामलों में जहां अधिकारी को एक वर्ष से अधिक रखने की सम्भावना नहीं होती है ।

**श्री कृष्ण चन्द्र :** जब किसी विशेष मंत्रालय में स्थान खाली होते हैं तो क्या उन को भरने के लिये गृह मंत्रालय को सूचना दी जाती है अथवा सम्बद्ध मंत्रालय को ही ऐसी नियुक्तियां करने का अधिकार प्राप्त है ?

**डा० काटजू :** क्या माननीय सदस्य अस्थायी पदों का निर्देश कर रहे हैं ?

**श्री कृष्ण चन्द्र :** जी हां, श्रीमान् ।

**डा० काटजू :** यदि अस्थायी पद एक वर्ष से कम अवधि के लिये होते हैं तथा वित्त विभाग भी उस से सहमत हो जाता है तो, जहां तक मुझे ज्ञात है, गृह मंत्रालय को कोई निर्देश नहीं किया जाता है ।

**श्री कृष्ण चन्द्र:** क्या विभिन्न मंत्रालयों में इस प्रकार के अस्थायी पद बनाने के लिये गृह मंत्रालय की पहले ही मंजूरी ले ली जाती है ?

**डा० काटजू:** मेरे विचार से ऐसा नहीं है।

**श्री दाभी :** मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार प्रत्येक मामले में संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श मानने के लिये बाध्य है ?

**डा० काटजू:** मेरा सुझाव है कि माननीय सदस्य संविधान को पढ़ें। सामान्यतः उसकी सलाह मान ली जाती है। संविधान में यह नहीं दिया हुआ है कि उस की सलाह मानी ही जानी चाहिये।

**अध्यक्ष महोदय:** क्या वह भाग (ख) का उत्तर पढ़ने की कृपा करेंगे ?

**डा० काटजू:** यहां मेरे पास केवल भाग (क) (ख) तथा (ग) हैं। मैं ने उन्हें सदन के समक्ष पढ़ दिया है :

> "(ग) जी हां, केवल उन मामलों में जहां अधिकारी को एक वर्ष से अधिक रखने की संभावना नहीं होती है।"

**श्री वैल्लयुधन:** अस्थायी नियुक्तियों के सम्बन्ध में, मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या यह अस्थायी पद आगे चल कर अर्ध-स्थायी तथा बाद में स्थायी कर दिये जाते हैं जिस का परिणाम यह होता है कि अनुसूचित जातियों के लिये रक्षित अभ्यंश पूर्णतः भुला दिये जाते हैं ?

**डा० काटजू:** इस पेचीदा प्रश्न के लिये पूर्वसूचना चाहिये।

**श्री बी० एस० मूर्ति:** वर्ष १९५१-५२ में क्या कोई मामले ऐसे भी हुए हैं जिन में सरकार संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों से सहमत न हुई हो ?

**डा० काटजू:** लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट में इसका हमेशा उल्लेख होगा।

**श्री केलप्पन:** क्या नये लोगों के मुकाबले उन लोगों को मान्यता दी जाती है जो पहले काम कर चुके होते हैं ?

**डा० काटजू:** मेरे विचार से यह बात नहीं है। होता यह है कि जब कोई पद स्थायी कर दिया जाता है या उस की अवधि एक वर्ष से अधिक बढ़ा दी जाती है तो लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाता है। वे विज्ञापन निकालते हैं तथा उस व्यक्ति को भी प्रार्थनापत्र भेजने की अनुमति दे दी जाती है जो इस समय अस्थायी पद पर काम करता होता है तथा यह उस की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह प्रार्थनापत्र भेजे या न भेजे। केवल यही बात है।

**सरदार हुक्म सिंह:** क्या संघ लोक सेवा आयोग से द्वितीय वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है ?

**डा० काटजू:** अगला प्रश्न इसी सम्बन्ध में है।

**डा० जयसूर्य:** क्या माननीय मंत्री महोदय का ध्यान किसी ऐसे मामले की ओर गया है जिस में लोक सेवा आयोग ने अपने निर्णय के न माने जाने के विरुद्ध शिकायत की है ?

**डा० काटजू:** मैं ने ऐसा सुना है।

### अनुसूचित क्षेत्रों में सड़कें

*१६०५. **श्री संगण्णा:** क्या गृह कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) गत पांच वर्षों में मैदानी क्षेत्रों से यातायात स्थापित करने के लिये प्रत्येक राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में कितनी लम्बी सड़कें बनाई गईं ; तथा

(ख) उक्त अवधि में प्रत्येक राज्य द्वारा ऐसी सड़कें बनवाने पर कितनी राशि व्यय की गई ?

**गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू)** : इस मामले का मुख्यत: सम्बन्ध राज्य सरकारों से है। भारत सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है।

**विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र**

*१६०६. **श्री दाभी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि पांच विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र तथा १५ विकास ब्लाक भारत के विभिन्न भागों में फोर्ड फाउन्डेशन तथा भारत सरकार के बीच हुए समझौते के अन्तर्गत स्थापित किये जाने हैं ; तथा

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो बम्बई राज्य में वे स्थान कौन से हैं जहां विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये हैं या खोले जाने का विचार है तथा बम्बई राज्य में वे स्थान कौन से हैं जहां घने विकास ब्लाक लागू किये गये हैं या लागू किये जाने वाले हैं ?

**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां।

(ख) फोर्ड फाउन्डेशन की सहायता से कृषि संस्था, आनन्द में एक विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र खोल दिया गया है।

प्रकीर्ण विकास ब्लाक भी आनन्द ही में खोला जायेगा तथा उसे आनन्द प्रशिक्षण केन्द्र से सम्बद्ध कर दिया जायेगा। गुजरात के चारोतर क्षेत्र में आनन्द से ९ मील के घेरे में आने वाले १०० गांवों में यह लागू होगा।

**श्री दाभी** : विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र में किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा वह किसे दिया जायेगा ?

**श्री करमरकर** : विकास परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रशिक्षण देने के लिये जिन ग्राम कार्यकर्त्ताओं की आवश्यकता है उन्हें प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र में ६ मास से ९ मास तक कृषि, सहयोग तथा ग्राम सहभागिता, स्वास्थ्य, आरोग्य-विज्ञान, सफ़ाई तथा प्रौढ़ शिक्षा में प्रशिक्षण दिया जायेगा।

**श्री दाभी** : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि प्रशिक्षण कौन देंगे ?

**श्री करमरकर** : प्रशिक्षण देने के लिये उपयुक्त शिक्षक रखे जाते हैं।

**डा० पी० एस० देशमुख** : फोर्ड फाउन्डेशन ने वास्तव में इन केन्द्रों को कितनी सहायता दी है तथा राज्य सरकारों और केन्द्र ने कितनी सहायता दी है ?

**श्री करमरकर** : मैं इस प्रश्न की पूर्वसूचना चाहता हूं, फिर भी, मुझे पता लगा है कि प्रशिक्षण का कुल खर्च २,३९,००० रुपये है जो कि प्रति वर्ष १,३०,००० रुपये के पूंजीगत व्यय तथा १,०९,००० रुपये के आवर्तक व्यय में विभाजित किया गया है तथा मुझे यह भी मालूम हुआ है कि तीन वर्ष तक प्रशिक्षण केन्द्रों का पूरा खर्च फोर्ड फाउन्डेशन सहन करेगा। पहले दो वर्षों के दौरान में विकास परियोजनाओं का कुल खर्च फोर्ड फाउन्डेशन उठायेगा तथा तीसरे वर्ष का खर्च फोर्ड फाउन्डेशन तथा भारत सरकार तथा राज्य सरकारें बराबर २ सहन करेंगी। चौथे तथा पांचवें वर्ष का खर्च भारत सरकार तथा राज्य सरकारें बराबर बराबर सहन करेंगी। विकास परियोजनाओं के सम्बन्ध में जो वास्तविक धन राशि व्यय होगी, उस को बतलाने के लिये मैं पूर्वसूचना चाहता हूं।

**श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या मैं मद्रास राज्य के सम्बन्ध में प्रशिक्षण केन्द्रों तथा विकास ब्लाकों की संख्या तथा उन के खोले जाने के स्थानों के नाम जान सकता हूं ?

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न का सम्बन्ध विशेषरूप से बम्बई राज्य से है।

**श्री बी० एस० मूर्ति :** श्रीमान्, प्रश्न का भाग (क) सामान्य बातों के सम्बन्ध में है ।

**अध्यक्ष महोदय :** क्या आप आंकड़े बतला सकते हैं ?

**श्री करमरकर :** उपलब्ध सूचना से जहां तक मैं पता लगा पाया हूं पांच प्रशिक्षण तथा विकास केन्द्र यू० पी०, बम्बई, पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश तथा मैसूर में हैं । मद्रास के सम्बन्ध में मैं पूर्वसूचना चाहूंगा ।

**श्री दाभी :** उन प्रशिक्षार्थियों का क्या होगा जिन्हों ने प्रशिक्षण समाप्त कर लिया होगा ? क्या सरकार उन्हें नौकर रख लेगी ?

**श्री करमरकर :** सम्बद्ध विकास परियोजनाओं में इन प्रशिक्षार्थियों को नौकर रखने का विचार है ।

**श्री बी० एस० मूर्ति :** मैं ज्ञात कर सकता हूं कि मद्रास राज्य को अन्य राज्यों के समान ही क्यों नहीं समझा गया है ?

**अध्यक्ष महोदय :** उन्हों ने जो कुछ कहा है उस से समझने या न समझने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । उन्हों ने केवल इतना कहा है कि उन के पास आंकड़े नहीं हैं ।

**अस्पताल**

*१६०९. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी :

(क) आसाम तथा मनीपुर के आदिमजाति क्षेत्रों में इस समय कितने अस्पताल तथा औषधालय हैं तथा उन में काम करने वालों की संख्या क्या है ;

(ख) उक्त क्षेत्रों में कितनी कोढ़ी बस्तियां हैं ; तथा

(ग) उक्त क्षेत्रों में कितने ईसाई अस्पताल हैं ?

**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) :** (क) से (ग) तक । अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या २]

**श्री रिशांग किशिंग :** मैं ज्ञात कर सकता हूं कि कितनी कोढ़ी बस्तियों का प्रबन्ध सरकार करती है तथा कितनी का ईसाई मिशन ?

**राजकुमारी अमृत कौर :** सरकार आसाम आदिमजाति क्षेत्र में तीन तथा मनीपुर में दो कोढ़ी बस्तियों का प्रबन्ध करती है ।

**श्री रिशांग किशिंग :** प्रबन्ध ईसाई मिशन करते हैं या सरकार ?

**राजकुमारी अमृत कौर :** मैं ने समझा कि वह यह ज्ञात करना चाहते हैं कि कितनी बस्तियों का प्रबन्ध सरकार करती है । सरकार आसाम आदिमजाति क्षेत्रों में ३ का तथा मनीपुर में दो का प्रबन्ध करती है तथा ईसाई मिशन आसाम आदिमजाति क्षेत्रों में ५ का तथा मनीपुर में दो का प्रबन्ध करते हैं ।

**श्री रिशांग किशिंग :** ईसाई मिशन जिन कोढ़ी बस्तियों का प्रबन्ध करते हैं उन्हें सरकार क्या सहायता देती है ?

**राजकुमारी अमृत कौर :** मेरे पास कोई सूचना नहीं है किन्तु मेरे विचार से कोई सहायता नहीं दी जाती है ।

**श्री रिशांग किशिंग :** क्या यह सत्य है कि इन क्षेत्रों के अधिकतर अस्पतालों में दवाइयों, डाक्टरों, उपयुक्त क्वार्टरों तथा मेज़ कुर्सी इत्यादि की कमी है ?

**राजकुमारी अमृत कौर :** मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई है ?

**श्री बी० एस० मूर्ति :** श्रीमान्, मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या आसाम में कोढ़ की बीमारी बढ़ती जा रही है तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार जहां तक

संभव हो सके प्रत्येक अस्पताल में इस के लिये विशेष प्रबन्ध कराने की कृपा करेगी ?

**अध्यक्ष महोदय**: वह प्रश्न का उत्तर दे सकती हैं किन्तु यह तो कार्यवाही करने के लिये सुझाव है ।

**राजकुमारी अमृत कौर**: सरकार तो इस सम्बन्ध में बहुत कुछ करना चाहती है किन्तु सवाल पैसे का आ जाता है ।

**मनीपुर में सड़कें**

*१६१०. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत आसाम तथा मनीपुर में सड़कों के विकास के सम्बन्ध में सरकार ने कौन सी योजनायें बनाई हैं ;

(ख) स्वतंत्रता प्राप्त हो जाने के पश्चात् से उक्त क्षेत्रों में ऐसी कितनी सड़कें बना कर तैयार कर दी गई हैं जिन पर मोटर इत्यादि चलाई जा सकती हैं ; तथा

(ग) उक्त आदिमजाति क्षेत्रों में सड़कें बनवाने पर सरकार ने कुल कितनी राशि व्यय की है ?

**रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री)** : (क) अनुमानतः माननीय सदस्य आसाम तथा मनीपुर के आदिमजाति क्षेत्रों में सड़कों के विकास का निर्देश कर रहे हैं ।

इन दो राज्यों के आदिमजाति क्षेत्रों में सड़कों के विकास के सम्बन्ध में योजनायें अभी तक बन कर तैयार नहीं हुई हैं ।

(ख) तथा (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा यथासमय सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

**श्री रिशांग किशिंग**: क्या यह सत्य है कि देहाती स्वयंसेवकों द्वारा बनाई गई सड़कें, जो कि लम्बाई में लगभग २०० मील हैं तथा जिनकी देखभाल सरकार के ऊपर है, बिल्कुल ही भुला दी गई हैं ?

**श्री एल० बी० शास्त्री**: मुझे इस के सम्बन्ध में कुछ भी ज्ञात नहीं है, किन्तु अब क्योंकि सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है इस लिये हम इस मामले की जांच करेंगे ।

**श्री रिशांग किशिंग**: क्योंकि बिना लाभ की कामना किये हुए आदिमजाति के लोग सड़कों के बनाने में अधिक दिलचस्पी रखते हैं अतः क्या भविष्य में सरकार की नीति इन ठेकों को आदिमजाति की संस्थाओं को देने की है ?

**श्री एल० बी० शास्त्री**: जब ठेके दिये जाते हैं, तो टेन्डर मांगे जाते हैं, अतः टेन्डरों अथवा ठेकों को केवल आदिमजाति के लोगों तक सीमित रखना कठिन होगा ।

**श्री बी० एस० मूर्ति**: आदिमजाति के लोगों की सहकारिता श्रम संस्थाओं को ठेके देने में सरकार को क्या अड़चन है ?

**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति । यह सब तो सुझाव देना है ।

**श्री पी० टी० चाको**: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार को यह मालूम है कि माननीय सदस्य श्री रिशांग किशिंग को संसद् भवन तक आने के लिये ८० मील पैदल चल कर बैल गाड़ी के लिये उपयुक्त सड़क पर पहुचना पड़ता है ?

**अध्यक्ष महोदय**: शान्ति, शान्ति ।

**मनीपुर तथा त्रिपुरा के लिये परामर्शदात्री परिषद्**

*१६११. **श्री रिशांग किशिंग**: क्या **राज्य** मंत्री ५ जून १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५३२ के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर का निर्देश करके यह बतलायेंगे :

(क) परामर्शदात्री परिषद् के कब तक नियुक्त किये जाने की सम्भावना है ;

(ख) परामर्शदाता परिषद् में कितने सदस्य होंगे ; तथा

(ग) परिषद् के सदस्यों को चुनने में किस प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा ?

**गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू)**: (क) से (ग). इन सब मामलों पर सक्रियरूप से विचार किया जा रहा है तथा सरकार को आशा है कि इन प्रबन्धों के सम्बन्ध में अन्तिम निश्चय शीघ्र ही हो जायेगा ।

**श्री एच० एन० मुखर्जी** : क्या सरकार को यह ज्ञात है कि त्रिपुरा के निर्वाचन-मंडल के समस्त सदस्यों ने, जिस में कांग्रेसी सदस्य भी सम्मिलित हैं, परामर्शदाता परिषद् की नियुक्ति के सम्बन्ध में आपत्ति उठाई है ?

**डा० काटजू** : इन सब मामलों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ।

## भूमि सेना

*१३१२. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भूमि रूपान्तर कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमि सेना का संगठन आरम्भ कर दिया गया है ; तथा

(ख) यदि आरम्भ कर दिया गया है तो सेना को किस आधार पर संगठित किया जा रहा है ?

**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर)** : (क) कृषि विकास के लिये जन उत्साह का लाभ उठा कर भूमि सेना संगठन आरम्भ करने के सम्बन्ध में राज्य सरकारों तथा कुछ संस्थाओं से निवेदन किया गया है तथा कुछ राज्यों ने ऐसी भूमि सेनायें संगठित भी कर ली हैं ।

(ख) भूमि सेना में ऐसे समस्त वर्गों के व्यक्ति होंगे जो गांव के विकास में दिलचस्पी रखते हैं तथा जो अपने उत्साह को कृषि विस्तार तथा विकास में लगाने के लिये तैयार हैं ।

**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या यह सेना स्वयं-सेवकों से संगठित की जायेगी अथवा इस में काम करने वालों को वेतन भी दिया जायेगा ?

**श्री करमरकर** : कल्पना की गई है कि भूमि सेना में काम करने वाले सरकारी तथा ग़ैर-सरकारी दोनों ही प्रकार के कार्यकर्ता होंगे जो ज़िलों में होने वाले विस्तार कार्य में वास्तव में भाग ले रहे हैं ; कालेजों के विद्यार्थी होंगे, विशेषकर राज्यों के कृषि कालेजों के विद्यार्थी तथा जनता के लोग होंगे जिन में संसद् तथा राज्य विधान सभाओं के ऐसे सदस्य भी शामिल होंगे जो इस प्रकार के कार्य में भाग लेने को तैयार होंगे ।

**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि दस वर्षीय भूमि रूपान्तर कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं जिस के अन्तर्गत यह भूमि सेना संगठित की जा रही है ?

**श्री करमरकर** : म इस सम्बन्ध में पूर्वसूचना चाहूंगा ।

**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि दस वर्ष के अन्त में कितना उत्पादन करने का लक्ष्य बनाया गया है ?

**श्री करमरकर** : मैं इस की भी पूर्व-सूचना चाहूंगा ।

**श्री एम० एस० गुरूपादस्वामी** : श्रीमान्, मैं ज्ञात कर सकता हूं कि भूमि सेना के ठीक ठीक कृत्य क्या हैं ?

**श्री करमरकर** : कार्यकलाप हर प्रकार से कृषि सम्बन्धी हैं ।

**श्री सांरगधर दास** : क्या मंत्री महोदय हमें यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कितने राज्यों में यह सेनाएं संगठित की गई हैं, उनमें

काम करने वालों की अनुमानतः संख्या क्या है तथा अब तक कितनी भूमि का कृष्यकरण किया जा चुका है ।

**श्री करमरकर** : मेरे पास यहां सात राज्यों के सम्बन्ध में सूचना है : दिल्ली भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था, पश्चिमी बंगाल राज्य, बम्बई राज्य, विन्ध्य प्रदेश, भोपाल राज्य तथा आसाम राज्य द्वारा संगठित की गई यूनिटें । आरम्भ में, भूमि सेना की ऐसी यूनिटों को, जिन्हें अब तक कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं दिया गया है, यनिटों का संगठन करने वाले प्राधिकारियों द्वारा तदर्थ कार्य सौंप दिया गया है । कुछ स्थानों में उन्होंने नाले खोदे हैं, सड़कें बनाई हैं, पेड़ लगाये हैं, घासपात साफ किया है तथा अन्य इसी प्रकार के कृषि सम्बन्धी कार्य किये हैं ।

---

## प्रश्नों के लिखित उतर

### व्यापारिक फसलें

***१५९६. श्री एस० वी० रामस्वामी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि खाद्य नियंत्रण के लागू हो जाने के पश्चात् से व्यापारिक फस्लों की खेती खाद्य फस्लों की तुलना में अधिक बढ़ गई है ; तथा

(ख) यदि बढ़ गई है तो इस वृद्धि को रोकने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई)** : (क) सन् १९५० में समयोजित उत्पादन के आरम्भ किये जाने तक खाद्य फस्लों के लिये प्रयोग की जाने वाली भूमि को व्यापारिक फस्लों में परिवर्तित करने की कोई शासकीय योजना नहीं थी । फिर भी इस कार्यक्रम के अन्तर्गत एक योजना बनाई गई जिसके अनुसार यदि आवश्यकता पड़े तो खाद्यान्न वाली फस्लों (चावल, बाजरा तथा रागी) की ३७.३ लाख एकड़ भूमि को पटसन तथा रूई की फसलों में वर्ष १९५०-५१ तथा वर्ष १९५१-५२ में परिवर्तित किये जाने के लिये सरकार तैयार थी जिस से इन दो महत्वपूर्ण व्यापारी फस्लों का उत्पादन बढ़ सके । भूमि का खेतीवार व्यापक परिमाप न होने के कारण किसी निश्चित आगणन पर पहुंचना कठिन है कि सम्बद्ध दो वर्षों में, वास्तव में, कितनी भूमि खाद्यान्न की फस्लों से रूई और पटसन की खेती में विकर्षित की गई । फिर भी जो आंकड़े उपलब्ध हैं उनके आधार पर मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि उन १६ राज्यों में, जिन में खाद्यान्न की फस्लों को पटसन और रूई की फसलों में विकर्षित करने की योजनायें थीं, अधिक से अधिक इन दो वर्षों में केवल १७.४ लाख एकड़ भूमि को इस प्रकार विकर्षित किये जाने की सम्भावना विकर्षित की जा सकती है । अन्य राज्यों में अथवा अन्य फस्लों में विकर्षित करने की कोई योजना नहीं थी यद्यपि प्राकृतिक कारणों से ऐसा कुछ विकर्षण हो गया था । उपरोक्त कारणों से इस प्रकार हुए विकर्षण का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है । फिर भी, यदि मोटे रूप से देखा जाये तो देश भर में इन दो वर्षों में खाद्यान्न की फस्लों से जितनी भूमि ५ महत्वपूर्ण व्यापारिक फस्लों में अर्थात् पटसन, रूई, तिलहन, गन्ना तथा तम्बाकू में विकर्षित की गई है वह ३३,००,००० एकड़ से अधिक नहीं हो सकती । वास्तव में, जितनी भूमि विकर्षित की गई होगी उस की तो उपरोक्त आंकड़ों से भी कम होने की संभावना है क्योंकि यह आंकड़े तो इस बढ़े हुए अनुमान पर आधारित हैं कि इन व्यापारिक फस्लों में जो कुछ भी वृद्धि हुई है वह खाद्यान्न की फस्लों को कम करके हुई है न कि अन्य फस्लों को कम करके या

ऊसर भूमि को जोत कर या दोहरी फस्लें पैदा करके या दो फस्लों के बीच फस्लें पैदा करके ।

(ख) उत्पन्न ही नहीं होता ।

**उत्तर प्रदेश द्वारा केन्द्र को खाद्यान्न का नियतन**

*१६०१. **श्री गणपति राम :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) दिसम्बर, १९५२ तक की राशनिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने खाद्यान्न का कोई स्टाक समाहारित किया है ;

(ख) कमी वाले राज्यों में वितरण करने के हेतु क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने उस स्टाक का कुछ भाग केन्द्र को भी नियत किया है ; तथा

(ग) यदि नियत किया है तो विभिन्न प्रकार के खाद्यान्नों की कितनी मात्रा इस प्रकार से नियत की गई है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) :** (क) राशनिंग सम्बन्धी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये इस वर्ष १९ जून, १९५२ तक राज्य सरकार ने ४,५२,००० टन खाद्यान्न समाहारित किया ।

(ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) अब तक राज्य सरकार ने १५,००० टन चावल, १५,००० टन बाजरा तथा २,३०० टन जौ निर्यात करने का प्रस्ताव रखा है ।

**उत्तरी अण्डमान के जंगल**

*१६०२. **श्री झुनझुनवाला :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) उत्तरी अण्डमान के जंगल में काम करने के लिये किन शर्तों पर टेन्डर मांगे गये थे ;

(ख) अन्तिम ठेका किन शर्तों पर दिया गया है ;

(ग) ठेका किस को दिया गया है तथा

(घ) जिन शर्तों पर ठेका दिया गया था क्या वह फर्म उन शर्तों के अनुसार कार्य कर रही है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) :** (क) तथा (ख). उत्तरी अण्डमान के लाइसैन्स के समझौते की एक प्रति सदन के पुस्तकालय में रखी जाती है । टेन्डर की सूचना पृष्ट ९ पर छपी हुई है ।

(ग) मैसर्स पी० सी० रे एन्ड कम्पनी (इन्डिया) लिमिटेड, कलकत्ता ।

(घ) जी हां ।

**गन्ना (विनाश)**

*१६०७. **श्री बी० एन० राय :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि कुछ राज्यों में गन्ने की खड़ी फस्ल को इसलिये जलाया जाने वाला है क्योंकि सम्बद्ध चीनी फैक्टरियों के प्रबन्धकों ने बचा हुआ गन्ना पेरने से इन्कार कर दिया है ;

(ख) उस को विनाश से बचाने के सम्बन्ध में क्या सरकार ने कोई कार्यवाही की है ; तथा

(ग) यदि की है तो क्या कार्यवाही की है तथा उसका परिणाम क्या रहा है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) :** (क) अब तक राज्य सरकारों से जो रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं उन से पता लगता है कि खेतों में ऐसा गन्ना बिल्कुल नहीं छोड़ा जायेगा जिसे जलाना पड़े ।

(ख) तथा (ग). अधिक उत्पादन होने तथा अधिक माल जमा हो जाने तथा उपलब्ध गन्ने को पेरने में असमर्थ होने के कारण कुछ फैक्टरियों ने वित्तीय कठिनाइयों का उल्लेख किया था। इस कठिनाई को दूर करने तथा फैक्टरियों को समस्त उपलब्ध गन्ने को पेरने के लिये प्रोत्साहित करने के वास्ते भारत सरकार ने १९ अप्रैल, १९५२ को विशेष आदेश जारी कर के फैक्टरियों को एक रुपया प्रति मन से अधिक का मूल्य बाद में देने की अनुमति दे दी थी। इसके अलावा गर्मियों का मौसम आ जाने के कारण क्योंकि फैक्टरियों को चीनी की प्राप्ति कम होने लगी थी इसलिये उत्तर प्रदेश तथा पंजाब की सरकारों को विशेषरूप से इस बात का अधिकार दे दिया गया था कि १ मई के पश्चात् पेरे गये गन्ने पर वे समुचित छट दे दें। उत्तर प्रदेश सरकार ने बतलाया है कि इन कार्यवाहियों के फलस्वरूप उस राज्य के रक्षित क्षेत्रों में पेरे बिना कोई गन्ना नहीं बचेगा।

**सरकारी कृषि फ़ार्म**

*१६०८. **श्री बी० एन० राय:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत सरकार के अन्तर्गत सीधे कितने एकड़ के फार्म हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष में नये फार्मों में खेती करने का है ; तथा

(ग) यदि है तो कितने एकड़ों में तथा किन किन स्थानों पर ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) :** (क) मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाली संस्थाओं तथा वस्तु समितियों के पास लगभग ३,४०० एकड़ में।

(ख) कोई भी नहीं।

(ग) उत्पन्न ही नहीं होता।

**मवेशियों की गणना**

*१६१३. **श्री मूलन सिन्हा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या अखिल-भारतीय मवेशी गणना रिपोर्ट संकलित हो कर प्रकाशित हो चुकी है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) :** अभी तक नहीं, किन्तु भारत में मवेशियों और मुर्गियों आदि के जो अस्थायी आंकड़े हैं उन्हें **"एग्रीकलचुरल सिचुएशन इन इंडिया"** नामक पत्रिका के मई, १९५२ वाले अंक में प्रकाशित किया जा चुका है।

**पंचायत बोर्ड निर्वाचन**

*१६१४. **श्री मुनिस्वामी :** क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि डाक विभाग के अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों के पंचायत बोर्ड निर्वाचन में भाग लेने पर पाबन्दी लगा दी गई है, और यदि लगा दी गई है, तो इस के क्या कारण हैं ?

**संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) :** जी हां, किन्तु मामले पर पुन: विचार किया जा रहा है।

**आदिमजाति के व्यक्तियों का उद्धार**

*१६१५. **श्री आर० बी० शाह:** क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में आदिमजाति के व्यक्तियों के उद्धार के लिये मध्य प्रदेश सरकार को कितनी धन-राशि दी गई थी ;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने उस राशि का पूरा पूरा उपयोग किया है ; तथा

(ग) यदि नहीं किया है तो इसका क्या कारण है ?

**गृह कार्य तथा राज्य-मंत्री (डा० काटजू) :** (क) १९५०-५१—कुछ भी नहीं।

१९५१-५२—१२ लाख रुपये।

(ख) तथा (ग), सूचना अभी तक उपलब्ध नहीं है।

### रेलवे स्कूल

*१६१६. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५१-५२ में कार्य करने वाले रेलवे स्कूलों की कुल संख्या क्या है ;

(ख) उन में से कितने टैकनिकल स्कूल हैं ?

**रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) :** (क) तथा (ख) :—

| | |
|---|---|
| (१) शिक्षा सम्बन्धी . . | १४४ |
| (२) रेलवे कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण स्कूल .. .. .. | ३० |
| कुल | १७४ |

### अनसूचित क्षेत्रों का प्रशासन

*१६१७. **श्री बलवन्त सिन्हा महता :** क्या राज्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भाग 'ख' में के राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के सम्बन्ध में विभिन्न राजप्रमुखों ने राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्टें दे दी हैं अथवा नहीं ;

(ख) क्या 'भोमत' को, जो कि राजस्थान भर में सांस्कृतिक तथा आर्थिक रूप से सब से पिछड़ा हुआ है अनुसूचित क्षेत्रों में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में कोई सिफारिश की गई है ; तथा

(ग) क्या सरकार का विचार इसे अनुसूचित क्षेत्रों में सम्मिलित करने का है ?

**गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) :** (क) अब तक केवल मध्य भारत के राज्य-प्रमुख ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट दी है।

(ख) जी हां।

(ग) जब तक पिछड़े हुये लोगों का आयोग ऐसे प्रश्नों की जांच नहीं कर लेता, तब तक अनुसूचित क्षेत्रों में किसी प्रकार का परिवर्तन न करने का सरकार ने निश्चय किया है।

### कांडला पत्तन

*१६१८. **श्री अच्युतन :** क्या यातायात मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) कांडला पत्तन को बनाने की अनुमानित लागत क्या है तथा वहां पर काम करने वाले ऐसे अधिकारियों की संख्या क्या है जिनका वेतन प्रति माह २०० रुपये से अधिक है ;

(ख) निर्माण कार्य कब आरम्भ किया गया था तथा अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ग) कोचीन बन्दरगाह के निर्माण काल में जो अधिकारी वहां पर कार्य कर रहे थे उन की संख्या की तुलना में यहां पर कार्य करने वाले अधिकारियों की संख्या कैसी बैठती है ;

(घ) उक्त श्रेणी के कितने अधिकारी इस समय कोचीन बन्दरगाह में कार्य कर रहे हैं ;

(ङ) कांडला बन्दरगाह बनाने का कार्य किस फ़र्म को सौंपा गया है तथा उस फ़र्म को ही यह कार्य क्यों सौंपा गया है; तथा

(च) कोचीन बन्दरगाह को किस फ़र्म ने बनाया था ?

**रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) :** (क) कांडला बन्दरगाह परियोजना की अनुमानित लागत १२.९५

करोड़ रुपये रखी गई है । अब तक ऐसे ५८ पदों की मंजूरी दी गई है जिनका वेतन कम से कम २०० रुपये या उस से अधिक है ।

(ख) परियोजना के तीन भाग हैं । पहले भाग में प्रारम्भिक बातें शामिल हैं जैसे समुद्री, भूमि सम्बन्धी, हवाई तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी परिमाप, भूमि परीक्षण, भूमि का बरमे से छेद कर के परीक्षण करना इत्यादि । इन सब पर सितम्बर, १९४९ में कार्य आरम्भ किया गया था तथा समाप्त किया जा चुका है । दूसरे भाग में सड़कें, पुल, रेलवे लाइन, कार्यालय की इमारतें, कर्मचारियों के लिए मकान, पानी तथा बिजली वितरण हैं । इन के सम्बन्ध में कार्य हो रहा है । तीसरे भाग का सम्बन्ध मुख्य बन्दरगाह के कार्यों से है जिस में जहाज़ों में सामान लादने और उतारने का स्थान, माल लाने ले जाने के शेड, गोदाम, तैरती हुई सूखी गोदी, जहाज़ पर से यात्रियों के उतरने चढ़ने का स्थान तथा तेल भरने और निकालने का स्थान तथा समुद्र में खड़े जहाज़ों से बन्दरगाह में समान लाने और ले जाने वाले छोटे छोट जहाज़ तथा देशी नावें सम्मिलित हैं । इन कार्यों को पूरा करने के लिये तथा उनके नमूनों के सम्बन्ध में टेंडर मांगे जा चुके हैं तथा उन पर विचार किया जा चुका है । आशा की जाती है कि इन की कार्यान्विति के सम्बन्ध में अन्तिम ठेके शीघ्र दे दिये जायेंगे ।

(ग) कोचीन बन्दरगाह के निर्माण काल में प्रति मास २०० रुपये से अधिक पाने वाले ४० अधिकारी काम करते थे ।

(घ) ४७ ।

(ङ) जैसा पहले ही बताया जा चुका मामला विचाराधीन है ।

(च) कोचीन बन्दरगाह का निर्माण कार्य विभागीय रूप से कार्यान्वित होकर चार भागों में २० वर्ष की अवधि में पूरा हुआ था किन्तु प्रत्येक अवस्था पर योजना और नक्शों का परीक्षण लन्दन में एक समिति करती थी जिस में लन्दन के परामर्शक इंजीनियरों की तीन फ़र्मों के सदस्य सम्मिलित थे ।

**डाक तथा तार कर्मचारियों की सेवा शर्तों की जांच करने के लिये समिति**

*१६१९. **श्री एच० एन० मुखर्जी :** क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) डाक तथा तार कर्मचारियों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में जांच करने के लिये वर्ष १९४८ में क्या कोई विशेषज्ञ समिति बनाई गई थी ; तथा

(ख) यदि बनाई गई थी तो क्या समिति की सिफारिशों पर कोई कार्यवाही की गई है ?

**संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) जी हां ।

(ख) कुछ सिफारिशों के सम्बन्ध में वर्ष १९५० में आदेश जारी कर दिये गये थे ; शेष सरकार के विचाराधीन हैं तथा उन पर भी शीघ्र ही निर्णय कर दिया जायेगा ।

**कंचरापाड़ा रेलवे वर्कशाप**

*१६२०. **श्री एच० एन० मुखर्जी :** क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि कंचरापाडा रेलवे वर्कशाप तोड़ दिया जायेगा तथा उस की मशीनें उत्तर प्रदेश के किसी स्थान पर ले जाई जायेंगी ?

**रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) :** जी नहीं ।

**हैदराबाद में चीनी का उत्पादन**

*१६२१. **श्री तेलकीकर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) भारत में चीनी के कुल उत्पादन के मुकाबले में हैदराबाद राज्य में शक्कर नगर (बोधन) स्थित चीनी फैक्टरियों ने कुल कितनी चीनी का उत्पादन किया (टनों और प्रतिशतता के हिसाब से) ;

(ख) क्या यह सत्य है कि चीनी का अधिक उत्पादन होने के कारण राज्य के गुड़ उत्पादकों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा है ; तथा

(ग) यदि पड़ा है तो क्या सरकार का विचार राज्य से अधिक मात्रा में चीनी और गुड़ का निर्यात करने की अनुमति देने का है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई)** : (क) १९५१-५२ में ३८,४९७ टन या भारत में कुल उत्पादन का २.६ प्रति शत ।

(ख) क्योंकि वर्ष १९५१-५२ में हैदराबाद राज्य में हुए गुड़ उत्पादन के वास्तविक आंकड़े अब तक उपलब्ध नहीं हैं अतः यह निर्धारित करना कठिन है कि चीनी के उत्पादन में हुई वृद्धि का गुड़ के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा है ।

(ग) हैदराबाद की फैक्टरियों से चीनी का निर्यात अभ्यंश निश्चित नहीं किया गया है । गुड़ के निर्यात का अभ्यंश प्रादेशिक आधार पर निर्धारित किया गया है ।

**बिहार में खाद्य स्थिति**

*१६२२. **श्री आर० एन० सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) बिहार में खाद्य स्थिति सम्बन्धी नवीनतम रिपोर्ट क्या है ;

(ख) ३१ मई, १९५२ को बिहार सरकार के पास खाद्यान्नों का कितना स्टाक था तथा प्रति मास उस में से कितना भाग निकाल लिया जाता है ; तथा

(ग) खाद्यान्नों के सम्बन्ध में बिहार की मांग कितनी है तथा केन्द्र द्वारा आगामी ६ महीनों के लिये खाद्यान्न का कितना अभ्यंश नियत किया गया है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई)** : (क) राज्य सरकार से प्राप्त नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार बिहार में खाद्य स्थिति संतोषजनक है ।

(ख) ३० मई, १९५२ को बिहार सरकार के पास स्टाक में १,२५,७४७ टन खाद्यान्न था । इस समय सरकारी स्टाक से प्रति मास ११,७०० टन खाद्यान्न निकाला जाता है ।

(ग) नवम्बर, १९५१ में राज्य सरकार ने अनुमान लगाया था कि वर्ष १९५२ के लिये उनके पास ६,९३,५०० टन की कमी होगी । बाद में, फरवरी, १९५२ में यह आगणन घटा कर ५,६०,००० टन कर दिया गया था किन्तु वर्ष के पहले ८ महीनों में उन्होंने केवल ३०,००० टन की मांग की है जो कि उन्हें दे दिया गया है । शेष वर्ष के लिये बिहार सरकार की जो आवश्यकताएं होंगी उनको भारत सरकार पूर्ण रूप से पूरा करेगी ।

**श्रेणी ४ के कर्मचारी**

*१६२३. **श्री आर० एस० तिवारी** : क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या कोई ऐसा नियम है जिसके अनुसार सरकार श्रेणी ४ के कर्मचारियों को भर्ती करती है ?

**गृह कार्य तथा राज्य-मंत्री (डा० काटजू)** : पुनःसंस्थापन तथा सेवा योजनालयों के सदा निदेशलय द्वारा श्रेणी ४ के कर्मचारियों

की भर्ती की जाती है। श्रेणी ४ के कर्मचारियों के कुछ वर्गों (चपरासियों और उन से ऊँचे) की भर्ती केलिये हाल ही में माध्यमिक स्कूल तक की पढ़ाई को न्यूनतम शिक्षा योग्यता रखा गया है। सरकारी सेवा में भर्ती होने के लिये आयु सम्बन्धी जो सामान्य सीमायें रखी गई हैं वही श्रेणी ४ के कर्मचारियों पर भी लागू होती हैं।

**संघ लोक सेवा आयोग**

*१६२४. **श्री झूलन सिन्हा :** क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि संविधान् के अनुच्छेद ३२३ के अन्तर्गत संघ लोक सेवा आयोग को जो अपनी रिपोर्ट देनी पड़ती है क्या वर्ष १९५१-५२ के लिए वह बन कर तैयार हो गई है जिससे उसे संसद् के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके ?

**गृह कार्य तथा राज्य-मंत्री (डा० काटजू) :** रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। ऐसा समझा जाता है कि वह तैयार की जा रही है।

**गांवों के लिये टैलीफ़ोन**

*१६२५. **श्री आर० एस० तिवारी :** (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि टैलीफोन तथा तार व्यवस्था से प्रति वर्ष कितनी आय होती है तथा इन में से प्रत्येक पर कितना व्यय होता है ?

(ख) जिस प्रकार ग्रामों में तार देने की सुविधायें दे दी गई हैं, क्या उसी प्रकार टैलीफोन की भी व्यवस्था कर दी गई है ?

(ग) क्या ग्रामों में टैलीफोन लगाने की कोई योजना है ?

**संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) वर्ष १९५०-५१ में (नवीनतम वर्ष यही है जिस के सम्बन्ध में वास्तविक आंकड़े उपलब्ध हैं) टलीफोन तथा तार व्यवस्था जो आय प्राप्त हुई तथा उसके उपर जो व्यय हुआ वह इस प्रकार है :

| | आंकडे हजार रूपये में आय | व्यय |
|---|---|---|
| १ तार शाखा | ५,९४,६५ | ५,१६,३८ |
| २ टैलीफोन शाखा | ९,०८,७३ | ५,२६,४७ |

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं। १ अप्रैल, १९५१ से आरम्भ होने वाली पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव रखा गया है कि समस्त ऐसे स्थानों तक टैलीफोन की व्यवस्था कर दी जाये जहां ऐसी परियोजना के लाभदायक सिद्ध होने की सम्भावना है, विशेषकर, समस्त ऐसे स्थानों पर टैलीफोन एक्सचेजों की व्यवस्था कर दो जाये जहां की आबादी ३०,००० से अधिक है तथा ऐसे स्थानों पर पब्लिक काल आफिस खोल दिये जायें, जहां की आबादी २०,००० से अधिक है। निस्सन्देह, यह योजना धन और उपकरण की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

**राष्ट्रीय राजमार्ग**

*१६२६. **श्री आर० एस० तिवारी :** (क) क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि विन्ध्य प्रदेश में से कौन कौन से विभिन्न राजमार्ग गुजरते हैं।

(ख) इन राजमार्गों की लम्बाई क्या है तथा इन पर प्रति वर्ष कितना व्यय होता है ?

**रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) :** (क) तथा (ख) बनारस-रींवा-केप कमोरिन रोड (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ७) लम्बाई १३० मील ; इलाहाबाद रींवा रोड (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या २७) लम्बाई ३२ मील तथा झांसी सागर-लाखनादन रोड (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या २६) लम्बाई २ मील। पहली दो सड़कों की

मरम्मत तथा देखभाल पर १९५०-५१ में २·८८ लाख रूपये तथा १९५१-५२ में २·८२ लाख रूपये व्यय हुए थे। विन्ध्य प्रदेश में तीसरी सड़क के दो मील वाले टुकडे की देखभाल उत्तर प्रदेश का लोक निर्माण विभाग करता है। उस पर प्रतिवर्ष कितना व्यय होता है इसके सम्बन्ध में आंकड़े सरलता से उपलब्ध नहीं हैं, किन्तु अनुमान किया जाता है कि इस टुकड़े पर प्रति वर्ष ६,००० रूपये व्यय होते हैं ?

**कोंकन–बेलगांव रेलवे लाइन:**

*१६२७. **मेजर जनरल भोंसले:** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या निकट भविष्य में कोलाबा और रत्नागिरी जिलों (कोंकन) तटीय लाइन को बम्बई तथा बेलगांव से मिलाने के लिये एक रेलवे लाइन को बनाने का काम प्रारम्भ करने का विचार है ?

**रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री):** इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

**मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग**

*१६२८. **श्री किरोलिकर:** (क) क्या यातायात मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश राज्य में कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग ऐसे हैं जिनकी देखभाल भारत सरकार करती है ?

(ख) सन १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में इन राष्ट्रीय राजमार्गों की देख भाल की लागत के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश राज्य को अपने अंश के रूप में कितना अनुदान प्राप्त हुआ था ?

(ग) सन १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में राष्ट्रीय राजमार्ग के रायपुर चिचोला भाग की मरम्मत पर कितनी धनराशि व्यय की गई थी ?

**रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री):** (क) बम्बई–नागपुर–कलकत्ता राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ६; बनारस-नागपुर-केप कमोरिन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ७; झांसी–सागर-लाखनादन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या २६; तथा रायपुर–विजयनगरम राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या ४३।

(ख) सन १९५०-५१ में १४·६२ लाख रूपये तथा सन १९५१-५२ में लगभग १८·०० लाख रूपये।

(ग) सन १९५०-५१ में लगभग ७५,६०० रूपये तथा सन १९५१-५२ में ७४,७०० रूपये।

**यमुना पर पुल**

*१६२९. **सेठ अचल सिंह:** क्या यातायात मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आगरे में यमुना नदी के उपर राष्ट्रीय राजमार्ग पुल बनाने का क्या कोई प्रस्ताव विचाराधीन है, यदि है, तो कब तक ?

**रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री):** जी हां, क्यों कि आगरे में यमुना के उपर पहले ही से एक सड़क व रेल का पुल बना हुआ है इस लिये इस पुल को कम प्राथमिकता दी गई है।

**आगरे में केन्द्रीय रेलवे स्टेशन**

*१६३०. **सेठ अचल सिंह:** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगें कि आगरे में केन्द्रीय रेलवे स्टेशन बनाने के सम्बन्ध में क्या कोई प्रस्ताव विचाराधीन है और यदि है, तो कब तक ?

**रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री):** आगरे में एक केन्द्रीय रेलवे स्टेशन बनाने के प्रस्ताव पर विचार किया गया था किन्तु कार्यसंचालन की दृष्टि से अव्यवहार्य पाकर उसे छोड़ दिया गया।

**नेल्लोर जिले में रेलवे लाइनों का परिमापन**

*१६३१. **श्री रामचन्द्र रेड्डी :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि नेल्लोर जिले में (मद्रास राज्य) कुछ नई रेलवे लाइनों के सम्बन्ध में परिमापन किया गया था।

(ख) यदि किया गया था तो वे परिमापित लाइनें कौन सी हैं तथा क्या परिमापित लाइनों में से किसी को कार्यान्वित करने का काम हाथ में लेने का विचार है ; तथा

(ग) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

**रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) :** (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) । भूतकाल में नेल्लोर जिले में इन रेलवे लाइनों का परिमापन किया गया था :–

१ ओल्लापेलेम ——— सिंगरायाकोंडा–कानीगिरि ।

२ कावली–उदयगिरि ।

३ कुम्बुम–कालाहस्ति–मद्रास ।

४ नेल्लोर–कानीगिरि ।

इस समय इस में से किसी भी लाइन को बनाने का कार्य प्रारम्भ करने का विचार नहीं है ।

जब इन लाइनों का परिमाप हुआ था तो किसी को भी निर्माण के लिये उपयुक्त नहीं पाया गया था ।

**दिल्ली सुधार प्रन्यास :**

*१६३२. **श्री पी० एन० राजभोज :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १४ अगस्त, १९४७ तक दिल्ली सुधार प्रन्यास ने कुल कितना लाभ उठाया तथा १५ अगस्त, १९४७ से अब तक कुल कितना लाभ उठाया ;

(ख) सरकारी कर्मचारियों तथा अन्य लोगों को जिन्हें दिल्ली में रहना पड़ता है, मकान बनवाने के लिये भूमि देने की आवश्यकता पर क्या दिल्ली सुधार प्रन्यास ने विचार किया है ; तथा

(ग) यदि विचार नहीं किया है तो सरकार दिल्ली में मध्यम श्रेणी के लोगों की मकान सम्बन्धी समस्या को किस प्रकार हल करने का विचार कर रही है ?

**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** (क) सुधार प्रन्यास लाभ कमाने वाली संस्था नहीं है । अपनी विकास योजनाओं द्वारा जो कुछ भी लाभ यह उठाता है वह सब गन्दी वस्तियों को साफ़ करने की योजनाओं में व्यय हो जाता है क्यों कि यह घाटे की योजनाएं होती हैं । ऐसा समझा जाता है कि इस समय प्रन्यास को १७ लाख से भी अधिक का घाटा सहना पड़ रहा है ।

(ख) सरकारी कर्मचारियों के लिये भूमि की व्यवस्था करने की कोई विशेष जिम्मेदारी प्रन्यास पर नहीं है । फ़िर भी, प्रन्यास की सुधार सम्बन्धी अधिकतर योजनाएं प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से मकान सम्बन्धी योजनाएं होती हैं । शहर के विभिन्न भागों में मकान बनाने के हेतु अब तक प्रन्यास लगभग १५०० एकड़ भूमि का विकास कर चुका है । विस्थापित व्यक्तियों को मकान बनवाने की सुविधा देने के लिये यह पुनर्वास मंत्रालय को भी लगभग २२६० एकड़ भमि दे चुका है । गन्दी बस्तियों को साफ़ करने के फ़लस्वरूप जो लोग विस्थापित हो गये थे उनके लिये प्रन्यास ने अब तक ५२७ मकान बनवाये हैं तथा ३३६ क्वार्टर अभी बन रहे हैं ।

(ग) मकानों की समस्या सरकार विचाराधीन है ।

**अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी**

*१६३३. **श्री मुनिस्वामी :** क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को वेतन के साथ छुट्टी तथा भविष्य निधि सम्बन्धी सुविधाएं प्राप्त हैं ?

**संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) :** जी नहीं ।

**केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशें**

*१६३४. **श्री मुनिस्वामी :** क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि रेल कर्मचारियों के लिये, मेंहगाई भत्ता तथा शिक्षा सम्बन्धी सहायता के बारे में , केन्द्रीय वेतन आयोग ने जो सिफ़ारिशें की थी उन्हें कार्यान्वित नहीं किया गया है और यदि नहीं किया गया है तो क्यों ?

**रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) :** सन १९४७ में जब केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा सिफ़ारिश की गई वेतन श्रेणियों को लागू किया गया था तो मेंहगाई भत्ते के सम्बन्ध में उनके द्वारा की गई इस सिफ़ारिश को, निर्वाह व्यय देशना के अनुसार मेंहगाई भत्ता दिया जाना चाहिये, उस समय के देशना के अनुसार पूर्णरूप से कार्यान्वित किया गया था । बाद में निर्वाह व्यय के बढ़ जाने पर, इस मामले पर समय समय पर पुन: विचार किया गया है तथा इस से होने वाली तकलीफ़ को कम करने के लिये--विशेष कर कम वेतन पाने वाले कमचारियों की तकलीफ़ को--सरकार ने, इन बातों को ध्यान में रखते हुए कि बजट में अधिक धाटा न हो जाये तथा मुद्रास्फ़ीति पर काबू बना रहे, ऐसे कर्मचारियों के सम्बन्ध में मेंहगाई भत्ता बढ़ा दिया।

सरकारी कर्मचारीयों के बच्चों को शिक्षा सम्बन्धी विशेष वित्तीय सहायता देने के सम्बन्ध में केन्द्रीय वेतन आयोग ने जो सिफ़ारिश की थी उसे सरकार के लिये स्वीकार करना सम्भव नहीं हो सका है क्यों कि ऐसा करने में सैद्धान्तिक तथा अन्य कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं. जो कि समस्त सम्बन्ध कर्मचारियों में किसी भी ऐसी योजना के लाभों का सामान बटवारा करने में अनुभव करनी पडेंगी ।

**साखीगोपाल रेलवे स्टेशन को डब्बों का संभरण**

*१६३५ **पंडित लिंगराज मिश्र** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) नारियल के यातायात के लिये भत पूर्व बी० एन० रेलवे के साखी गोपाल रेलवे स्टेशन पर डब्बों के अनियमित प्रदाय के सम्बन्ध में क्या पुरी ज़िले के नारियल उत्पादकों तथा व्यापारियों ने सरकार से शिकायत की है;

(ख) क्या यह सत्य है कि सामान भेजने के लिये प्राथमिकता के वर्तमान वर्गीकरण के अनुसार नारियल को नष्ट होने वाले खाद्य में न रख कर तिलहन के रूप में रखा गया है;

(ग) क्या यह सत्य है कि देश के इस भाग में उत्पादित किये जाने वाले नारियल को कोपरा की अपेक्षा खाद्य के रूप में अधिक प्रयोग किया जाता है;

(घ) डब्बों के संभरण के लिये नारियल की प्राथमिकता को और पहले रखने का क्या कोई विचार है; तथा

(ङ) इस कार्य के लिये साखीगोपाल रेलवे स्टेशन पर डब्बों की औसतन मासिक मांग क्या है ?

**रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री)** : (क) जी हां । इस सम्बन्ध में गत वर्ष सांखीगोपाल नारियल उत्पादक सहकारिता समिति सांखीगोपाल के सचिव द्वारा भेजे गये कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे ।

(ख) जी नहीं । नारियलों को नष्ट होने वाले सामान में नहीं गिना जाता । वे "अप्राथमिक" यातायात के वर्ग में आते हैं । भेजने वालों को उपलब्ध डब्बे उस क्रम से दिये जाते हैं जिस क्रम से उन के व्यादेश पंजीबद्ध हुए होते हैं किन्तु ऐसा करने में अधिमान्य यातायात अनुसूची अर्थात्, भारतीय रेलवे अधिनियम, १८९० की धारा २७–क के अन्तर्गत जारी किये गये सामान्य तथा विशेष आदेशों में निर्धारित तुलनात्मक अधिमान क्रम के अनुसार अधिमान्य व्यवहार के अधिकारी यातायात का ध्यान रखा जाता है ।

(ग) जी हां । पुरी ज़िले में उत्पन्न होने वाले नारियलों को अधिकतर कच्ची अवस्था में खाने के काम में लाया जाता है ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) लगभग ५० डब्बे ।

**पाकिस्तान के साथ "चावल के बदले गेहूं समझौता"**

* १६३६. **श्री हेडा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या हाल ही में पाकिस्तान सरकार के साथ "चावल के बदले गेहूं" समझौता हुआ है;

(ख) यदि हुआ है, तो इस समझौते के अन्तर्गत पाकिस्तान को गेहूं की कितनी मात्रा भेजी जा चुकी है तथा उस के बदले में वहां से चावल की कितनी मात्रा प्राप्त हो चुकी है; तथा

(ग) इस प्रकार जो चावल और गेहूं बदला गया है उस किस्म के अनाज का भारतीय बाज़ारों में प्रचलित मूल्य क्या है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई)** :

(क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) संयुक्त राष्ट्र अमरीका के ३९,७०० टन गेहूं के बदले में सिन्ध का ३७,७०० टन चावल लिया गया है ।

(ग) क्योंकि अदला बदली किये गये गेहूं और चावलों की किस्में भारत में पैदा किये जाने वाले अनाज से भिन्न हैं, अतः उन के मूल्यों की तुलना करना उचित नहीं होगा ।

**विन्ध्य प्रदेश में रेलवे लाइन**

*१६३७. **श्री बी० डी० शास्त्री**: क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि विन्ध्य प्रदेश में कुल कितने मील लम्बी रेलवे लाइन बिछी हुई है ?

**रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री)** : विन्ध्य प्रदेश में रेलवे लाइनों की कुल लम्बाई २९२ मील है ।

**मलनाद विकास पर्षद्**

*१६३८. **श्री मादिया गौडा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) मलनाद विकास पर्षद् कब बनाया गया था तथा उस का उद्देश्य क्या था;

(ख) क्या अब तक पर्षद् से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है; तथा

(ग) अब तक पर्षद् पर कितना व्यय किया गया है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई)** :

(क) अनुमानतः माननीय सदस्य केन्द्रीय मलनाद योजना समिति का निर्देश कर रहे हैं जिस को भारत सरकार ने अक्तूबर, १९५० में नियुक्त किया था । यदि अभिप्राय उसी से है तो माननीय सदस्य का ध्यान भारत सरकार

के संकल्प संख्या एक १४–१०/५०–जी० एम० एफ० (सी० ओ०), दिनांक ५ अक्तूबर, १९५० की ओर आकर्षित किया जाता है जिस की एक प्रति सदन पटल पर रखी जाती है। [देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ३]

(ख) जी हां। दिसम्बर, १९५० में एक अन्तरिम रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। तब से अब तक समिति समाप्त कर दी गई है।

(ग) २७२१ रुपये ३ आने।

**खाद्य तथा कृषि संस्था की बैठकों में भाग लेने के लिये भेजे गये प्रतिनिधि मंडल**

*१६३९. **श्री मादिया गौडा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५१-५२ में खाद्य तथा कृषि संस्था की बैठकों में भाग लेने के लिये जिन व्यक्तियों को भेजा गया था उन के नाम तथा नामोद्देश क्या हैं;

(ख) हमारे देश के कृषि हितों का ऐसे प्रतिनिधि मंडलों से कहां तक भला होता है; तथा

(ग) प्रतिनिधि मंडल में कितने किसान थे ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई)** : (क) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने से हमारे हितों का कहां तक भला होता है यह तो निश्चित रूप से बतलाना संभव नहीं है। ऐसे सम्मेलनों से सदस्य देशों को वैज्ञानिक ज्ञान के विनिमय करने तथा सामान्य समस्याओं के सम्बन्ध में अन्तरष्ट्रीय कार्यवाही करने में सहायता प्राप्त होती है। टैकनिकल सहायता प्राप्त करने टिड्डी नियंत्रण तथा संयन्त्र रक्षण कार्य में समायोजन करने, विश्व कृषि स्थिति तथा वस्तु समस्याओं का पुनर्विलोकन करने तथा अकाल से लड़ने के उपायों पर विचार करने के दृष्टिकोण से यह विशेष सम्मेलन भारत के हित में था।

निर्देश के लिये प्रतिनिधि मंडल की रिपोर्ट सदन के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ग) दो सदस्य किसान थे।

---

विवरण

**नवम्बर-दिसम्बर, १९५१ में हुये खाद्य तथा कृषि संस्था सम्मेलन के छठे सत्र तथा खाद्य तथा कृषि संस्था परिषद् के १३ वें सत्र में भाग लेने के लिजे भेचे गये भारतीय प्रतिनिधि मंड़ल के सदस्यों के नाम तथा नामोद्देश्य।**

१. माननीय श्री के० एम० मुन्शी, केन्द्रीय सरकार के तत्कालीन खाद्य तथा कृषि मंत्री—**नेता**

२. सरदार दातार सिंह, भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के उपसभापति—**वैकल्पिक प्रतिनिधि**

३. डा० पी० एस० देशमुख, संसद् सदस्य—**सहकारी प्रतिनिधि**

४. श्री एम० डी० चतुर्वेदी, आई० एफ० एस०, वन महानिरीक्षक, खाद्य तथा कृषि मंत्रालय—**सहकारी प्रतिनिधि**

५. श्री एस० एस० बाजपेयी, वाणिज्यिक उपदेष्टा, भारतीय दूतावास, रोम—**सहकारी प्रतिनिधि**

६. श्री जे० बी० ए० निहिमिह, सचिव, भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्, तथा खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के उपसचिव—**परामर्शक तथा सचिव**

---

**प्रकाशन तथा प्रचार**

*१५४०. **श्री मादिया गौडा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५१-५२ में कृषि तथा 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के सम्बन्ध में

प्रकाशन तथा प्रचार पर कितनी राशि व्यय की गई थी;

(ख) किस प्रकार का प्रकाशन तथा प्रचार किया गया; तथा

(ग) क्या कोई पुस्तक, पत्रिका, इश्तहार आदि प्रकाशित किये जाते हैं, और यदि किये जाते हैं तो उन के नाम क्या हैं तथा वे किस भाषा में प्रकाशित होते हैं ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई):** (क) ४२,४७६ रुपये ।

(ख) सूचना देने का मुख्य तरीका राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किये गये कर्मचारियों द्वारा खेतों में वास्तविक प्रदर्शन देना है । इस के अलावा मंत्रालय के लिये तथ्य सम्बन्धी तथा शिक्षाप्रद प्रचार, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय का प्रेस सूचना कार्यालय प्रेस, रेडियो, इश्तहारों, पोस्टरों, स्लाइडों तथा फिल्मों द्वारा करता है । सप्ताह में एक बार अखिल भारतीय रेडियो के चार स्टेशनों से किसानों के लाभ के लिये एक विशेष प्रोग्राम प्रसारित किया जाता है जिसे 'फार्म फोरम' कहते हैं

अंग्रेज़ी, हिन्दी, उर्दू तथा कुछ अन्य प्रादेशिक भाषाओं में भी एक साप्ताहिक बुलेटिन तैयार किया जाता है तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रेस सूचना कार्यालय द्वारा उसे व्यापक रूप से वितरित किया जाता है ।

(ग) प्रकाशनों की एक सूची जिस में उन के प्रकाशित किये जाने की भाषा बताई गई है, सदन पटल पर रखी जाती है ।

---

सूची

(१) टुवर्डस् लैण्ड ट्रान्सफार्मेशन—पार्ट १—(अंग्रेज़ी)

(२) टुवर्डस् लैण्ड ट्रान्सफार्मेशन—पार्ट २—(अंग्रेज़ी)

(३) लैण्ड ट्रान्सफार्मेशन, ए फिलासफी एण्ड ए फथ—(अंग्रेजी)

(४) टुवर्डस् सेल्फ सफीसिएन्सी—(अंग्रेज़ी)

(५) आत्म-निर्भरता की ओर—(हिन्दी)

(६) फूड एण्ड पीपुल नंबर १—(अंग्रेज़ी)

(७) फूड एण्ड पीपुल नंबर २—(अंग्रेज़ी)

(८) काल टू प्लाउ—(अंग्रेज़ी)

(९) हल जोतो—(हिन्दी)

(१०) हैल्प ग्रो मोर फूड—(अंग्रेज़ी)

(११) खाद—(हिन्दी)

(१२) व्यापारियों के लिये अनाज संग्रह—(हिन्दी)

(१३) घरेलू संग्रह—(हिन्दी)

(१४) लैण्ड रिक्लेमेशन—(अंग्रेज़ी)

(१५) गंगा खादर—(अंग्रेज़ी)

(१६) कांस इरैडीकेशन—(अंग्रेज़ी)

(१७) वाई दिस राशन कट—(अंग्रेज़ी तथा हिन्दी)

(१८) बैक टू १२ आउन्सेज—(अंग्रेज़ी तथा हिन्दी)

(१९) अच्छे बीज—(हिन्दी)

इसके अतिरिक्त अधिक अन्न उपजाओ के विभिन्न पहलुओं पर दस पोस्टर भी प्रकाशित किये गये हैं। मुख्य प्रादेशिक भाषाओं में वन महोत्सव पर भी पोस्टर तैयार किये गये हैं ।

पत्रिकायें

यह पत्रिकायें भी प्रकाशित की जाती हैं :—

१. एग्रीकलचरल सिचुएशन इन इन्डिया ( अंग्रेज़ी )—मासिक ।

२. ताड़ गुड़ खबर (अंग्रेज़ी तथा हिन्दी)—त्रैमासिक ।

३. कम्पोस्ट बुलेटिन (अंग्रेज़ी)—मासिक ।

४. इन्डियन फार्मिंग—(अंग्रेज़ी) (आई० सी० ए० आर० द्वारा प्रकाशित)—मासिक।

५. 'खेती' (हिन्दी) (आई० सी० ए० आर० द्वारा प्रकाशित) मासिक ।

इन सब के अलावा विभिन्न वस्तु समितियां अपनी अपनी पत्रिकायें प्रकाशित करती हैं ।

सहायक खाद्य योजना

*१६४१. **श्री मोहनलाल सक्सेना :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५१-५२ में सहायक खाद्य योजना पर विशेषकर, शकरकन्दी पर कितनी राशि व्यय की गई;

(ख) योजना किस प्रकार कार्यान्वित की गई तथा उस के परिणाम क्या निकले; तथा

(ग) शकरकन्दी योजना चलाने के लिये जिम्मेदार अधिकारी क्या अब भी खाद्य मंत्रालय में सलाहकार के रूप में कार्य कर रहा है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) :** (क) कुछ भी नहीं । अगस्त १९५० में सहायक खाद्य उत्पादन समिति को समाप्त कर दिया गया था ।

(ख) सहायक खाद्य उत्पादन समिति ने इस बात को ध्यान में रखते हुए सहायक खाद्य के सम्बन्ध में अनेक प्रयोग किये थे कि क्या सहायक खाद्य को अनाज के स्थान पर उपयोग किया जा सकता है जिस से अनाज की खपत पर जोर कम हो और खाद्यान्न के आयात में भी कमी की जा सके । अगस्त, १९५० में समिति के समाप्त कर दिये जाने पर उस के स्थान में अखिल-भारतीय महिला खाद्य परिषद् बनाई गई जिसने अनुपूरक खाद्यों को लोकप्रिय बनाने का कार्य अपने हाथ में ले लिया। सहायक खाद्य उत्पादन समिति की सिफारिशों के कुछ भागों को सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ४**]

(ग) इस योजना को चलाने के लिये कोई एक विशेष अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया था । योजना का कार्य सहायक खाद्य उत्पादन समिति ने स्वयं अपने हाथों में ले रखा था।

'खाद्यान्नों के समाहार तथा विक्रय सम्बन्धी आनुषंगिक व्यय

*१६४२. **श्री मोहनलाल सक्सेना :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री सदन-पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में विभिन्न राज्यों द्वारा अनाज, विशेषकर गेहूं और चावल, के समाहार तथा विक्रय के सम्बन्ध में किये गये आनुषंगिक व्यय का ब्यौरा दिया हो ?

(ख) नियंत्रण से पूर्व बीच के आदमी को जो लाभ होता था उस की तुलना में यह कैसा बैठता है ?

(ग) यदि यह व्यय बहुत अधिक है तो क्या सरकार इसे तुरन्त ही कम से कम करने का प्रयत्न करेगी ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) :** (क) एक विवरण, जिस में विभिन्न राज्यों में स्थानीय खाद्यान्नों के समाहार करने से

वितरण करने तक के आनुषंगिक व्यय दिये हुए हैं, सदन पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ५]

(ख) नियंत्रण लागू होने से पहले बीच के आदमी को कितना लाभ होता था इस के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) भारत सरकार समय समय पर विभिन्न राज्यों द्वारा किये जाने वाले आनुषंगिक व्यय का पुनर्विलोकन करती रहती है जिस से इस प्रकार का व्यय उचित स्तर से आगे न बढ़ जाये।

**कुछ संस्थाओं के साथ सम्बद्ध होना**

*१६४४. **श्री एच० एन० मुखर्जी :** क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों के प्रधानों को क्या इस प्रकार का कोई निदेश दिया गया है कि कुछ संस्थाओं के साथ सम्बन्ध रखने वाले कर्मचारी को नौकरी-से निकाला जा सकता है या मुअत्तल किया जा सकता है; तथा

(ख) यदि एसा है, तो उन संस्थाओं के नाम क्या हैं ?

**गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू):** (क) तथा (ख). सरकारी कर्मचारियों के आचरण तथा अनुशासन को नियमित करने वाले नियमों के अनुसार यदि कोई सरकारी कर्मचारी किसी राजनैतिक दल या संस्था का सदस्य हो अथवा उस के कार्यकलापों में भाग लेता हो तो उस के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है; ऐसी कार्यवाही, विशेषकर उन सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध की जा सकती है और की भी जानी चाहिये जो कि उपयुक्त अधिकारियों की राय में विध्वंसकारी कार्यों में लगे हुए हों या जिन के ऐसे कार्यों में लगे रहने का उचित रूप से सन्देह किया जा सकता हो या जो अन्य लोगों के साथ विध्वंसकारी कार्यों में लगे हुए हों। अधिक विस्तृत सूचना देना लोक हित में नहीं होगा।

**बनस्पति तेल**

३७१. **श्री बादशाह गुप्त:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १९४६-४७, १९४७-४८, १९४८-४९, १९४९-५०, १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में देश में बनस्पति तेल के कुल उत्पादन की मात्रा क्या है; तथा

(ख) उन स्थानों के नाम—ज़िला और राज्यों के साथ—क्या हैं जहां बनस्पति तेल के उत्पादन के लिये मिल स्थापित हैं ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई):** अनुमानत: माननीय सदस्य के प्रश्न का निर्देश बनस्पति तेल उत्पादन से है, यदि यही अभिप्राय है तो उत्तर इस प्रकार है :—

(क) सन् १९४६ से १९५२ तक बनस्पति तेल उत्पादन के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

| वर्ष | (मात्रा हजार टनों में) |
|---|---|
| १९४६ | १३५ |
| १९४७ | ९५ |
| १९४८ | १३० |
| १९४९ | १५५ |
| १९५० | १७२ |
| १९५१ | १७२ |
| १९५२ (३० अप्रैल तक) | ५९ |

(ख) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है।

विवरण

**बनस्पति तेल बनाने वाली फ़ैक्टरियों का राज्यवार तथा जिलेवार स्थान बनाने**

| फैक्टरी का नाम | स्थान | ज़िला | राज्य |
|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १. हिन्दुस्तान बनस्पति मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी. | बम्बई | बृहत्तर बम्बई | बम्बई |
| २. इन्डियन वैजीटेबिल प्रौडक्ट्स | बम्बई | बृहत्तर बम्बई | बम्बई |
| ३. स्वास्तिक आयल मिल्स लिमिटेड | बम्बई | बृहत्तर बम्बई | बम्बई |
| ४. अमृत बनस्पति कम्पनी | बम्बई | बृहत्तर बम्बई | बम्बई |
| ५. अमृत आयल मिल्स | बम्बई | बृहत्तर बम्बई | बम्बई |
| ६. वैजीटेबिल विटामिन फूड्स कम्पनी | बम्बई | बृहत्तर बम्बई | बम्बई |
| ७. लिली आयल इन्डस्ट्रीज़ | बड़ौदा | बड़ौदा | बम्बई |
| ८. मधुसूदन वैजीटेबिल प्रौडक्ट्स | राखियल | बड़ौदा | बम्बई |
| ९. भारत बनस्पति प्रौडक्ट्स | पचौरा | पूर्वी खानदेश | बम्बई |
| १०. वैस्टर्न इंडियन वैजीटेबिल प्रोडक्ट्स | आमलनेर | पूर्वी खानदेश | बम्बई |
| ११. पालनपुर वैजीटेबिल प्रोडक्ट्स | पालनपुर | पालनपुर | ,, |
| १२. वालचन्दनगर इंडस्ट्रीज | वालचन्दनगर | पूना | ,, |
| १३. गणेश फ्लोर मिल्स | कानपुर | कानपुर | उत्तर प्रदेश |
| १४. मोदी बनस्पति मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी | मोदीनगर | मेरठ | ,, |
| १५. अमृत बनस्पति कम्पनी | गाजियाबाद | ,, | ,, |
| १६. हिंदुस्तान बनस्पति मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी | ,, | ,, | ,, |
| १७. गणेश फ्लोर मिल्स कम्पनी | दिल्ली | दिल्ली | दिल्ली |
| १८. डी० सी० एम० बनस्पति मन्यूफैक्चरिंग कम्पनी | ,, | ,, | ,, |

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| १९. रोहतास इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड | डालमियानगर | चम्पारन | बिहार |
| २०. भारत वैजीटेबिल प्रोडक्ट्स | छत्तरपुर | गंजम | उड़ीसा |
| २१. स्नोह्वाइट फूड प्रोडक्ट्स | कलकत्ता | कलकत्ता | पश्चिमी बंगाल |
| २२. हिंदुस्तान डैवलपमेंट कारपोरेशन | ,, | ,, | ,, |
| २३. कुसुम प्रोडक्ट्स | ,, | ,, | ,, |
| २४. यूनाइटेड वैजीटेबिल मैन्यू-फैक्चरर्स | ,, | ,, | ,, |
| २५. स्वाइका बनस्पति लिमिटेड | ,, | ,, | ,, |
| २६. हिंदुस्तान बनस्पति मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी | ,, | ,, | ,, |
| २७. बरार स्वदेशी बनस्पति | शेगांव | वर्धा | मध्य प्रदेश |
| २८. बरार आयल इंडस्ट्रीज़ | अकोला | बरार | ,, |
| २९. मैसूर वैजीटेबिल प्रोडक्ट्स | मद्रास शहर | मद्रास | मद्रास |
| ३०. मैटुर कैमीकल एण्ड इंडस्ट्रीयल कारपोरेशन | मैटुर डाम | सलेम | मद्रास |
| ३१. हिंदुस्तान बनस्पति मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी | पुदुर | तिरुचरापल्ली | मद्रास |
| ३२. तुंगभद्रा इंडस्ट्रीज़ | कुरुनूल | कुरुनूल | ,, |
| ३३. दी वैजीटोल्स लिमिटेड | चित्तूर | चित्तूर | ,, |
| ३४. ईस्ट एशियाटिक कम्पनी | मद्रास शहर | मद्रास | ,, |
| ३५. ईस्ट कोस्ट फूड प्रोडक्ट्स | गन्तूर | गन्तूर | ,, |
| ३६. विजगापट्टम वैजीटेबिल आयल प्रोडक्ट्स | बोब्बीली | विजगापट्टम | ,, |
| ३७. मैसूर वैजीटेबिल आयल प्रोडक्ट्स | बंगलौर | बंगलौर | मैसूर |
| ३८. देवनीगरि बनस्पति वैजीटेबिल आयल कम्पनी | देवनगिरि | देवनगिरि | ,, |
| ३९. हैदराबाद वैजीटेबिल प्रोडक्ट्स | हैदराबाद | हैदराबाद | हैदराबाद |
| ४०. टाटा आयल मिल्स कम्पनी लिमिटेड | एरनाकुलम | त्रिचुर | त्रावनकोर-कोचीन |
| ४१. मालवा बनस्पति ऐंड कैमीकल कम्पनी | इन्दौर | इन्दौर | मध्य भारत |
| ४२. जगदीश इंडस्ट्रीज़ | पोरबन्दर | पोरबन्दर | सौराष्ट्र |
| ४३. भावनगर वैजीटेबिल प्रोडक्ट्स | भावनगर | भावनगर | ,, |
| ४४. मोरवी वैजीटेबिल प्रोडक्ट्स | मोरवी | मोरवी | ,, |
| ४५. एस० जी० वैजीटेबिल प्रोडक्ट्स | जमुना नगर | अम्बाला | पूर्वी पंजाब |

**पटसन की खेती के अन्तर्गत भूमि**

**३७२. डा० राम सुभग सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आगामी पांच वर्षों में सरकार का विचार पटसन की खेती के अन्तर्गत और कितनी अतिरिक्त भूमि को लाने का है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) :** राज्य सरकारों की वर्तमान योजनाओं के अनुसार पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत अर्थात् सन् १९५१-५२ से १९५५-५६ तक लगभग ९.५ लाख एकड़ भूमि पर और पटसन की खेती करने का विचार है। फ़िर भी, यह आशा की जाती है कि ज्यों ज्यों पटसन की सघन खेती अधिक क्रियाकारी होती जायेगी कदाचित् पटसन की खेती के लिये उतनी अधिक भूमि न लेनी पड़े जितनी का उल्लेख किया गया है ।

**सड़क यातातात सेवा के सम्बन्ध में श्री ए० डी० गोरवाला की रिपोर्ट**

**३७३. श्री एस० सी० सामन्त** (क) क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि राज्यों तथा केन्द्र में सड़क यातायात सेवा में सुधार करने के सम्बन्ध में श्री ए० डी० गोरवाला ने क्या सिफ़ारिशें की हैं ?

(ख) योजना आयोग ने किन किन सिफ़ारिशों को स्वीकार किया है तथा उन्हें किस प्रकार कार्यान्वित किया जायेगा ?

**रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) :** (क) "राज्य उपक्रमों का कुशलता से संचालन" पर अपनी रिपोर्ट में श्री ए० डी० गोरवाला ने सड़क यातायात सेवा के सम्बन्ध में निम्नलिखित सिफ़ारिशें की हैं :—

"बहुत से राज्यों में सरकार ने जिन मुख्य सार्वजनिक सेवाओं को अपने हाथ में लिया है उन में सड़क यातायात सेवा भी एक है। सामान्यतः उन्हें विभागीय रूप से चलाया जाता है यद्यपि एक दो मामलों में विशेष अधिनियमों के अन्तर्गत बोर्ड भी बना दिये गये हैं। वास्तव में, यह लोक निगम बनाने का प्रयास है यद्यपि बोर्डों के कुछ सदस्य सरकारी अफ़सर हैं जो अन्य सरकारी पदों पर कार्य कर रहे हैं। यह तो स्पष्ट ही है कि इन को भी कुशलता पूर्वक चलाने के लिये स्वायत्तता की आवश्यकता है। इन को लोक निगमों का स्वरूप देना ही सब से उत्तम प्रतीत होता है। एक पूर्ण कालिक सरकारी अधिकारी को प्रबन्ध संचालक नियुक्त किया जाना चाहिये तथा निगम के शेष बोर्ड पर काम करने के लिये व्यापारियों तथा सार्वजनिक कार्य कर्त्ताओं में से अंश-कालिक संचालक चुने जाने चाहियें। वाणिज्यिक प्रथा को समस्त मामलों में लागू किया जाना चाहिये चाहे वह कर्मचारियों का मामला हो या उचित लेखा-परीक्षा का।"

(ख) योजना आयोग ने इस सिफ़ारिश को स्वीकार कर लिया है कि राज्य सड़क यातायात सेवा का संचालन विभागीय रूप से न हो कर लोक निगमों को सौंप दिया जाना चाहिये। यातायात निगम अधिनियम, १९५० के अन्तर्गत ऐसे निगम बनाये जा सकते हैं तथा उस में यह भी बताया गया है कि अपने कार्यसंचालन में निगम को व्यापारी सिद्धान्तों का अनुसरण करना चाहिये।

क्योंकि सड़क यातायात सम्बन्धी मामलों के बारे में कार्यकारिणी सत्ता राज्य सरकारों में निहित है, अतः इस सिफ़ारिश को कार्यान्वित करने की ज़िम्मेदारी उन्हीं पर है।

दिल्ली में सड़क यातायात सेवा को एक संविहित प्राधिकार चलाता है जो दिल्ली

सड़क यातायात प्राधिकार अधिनियम, १९५० के अन्तर्गत बनाया गया है ।

### भूमि सेना

**३७४. पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भूमि सेना सम्बन्धी प्रशिक्षण देने के लिये देश के किन किन भागों में अग्रिम केन्द्र खोले गये हैं; तथा

(ख) इन केन्द्रों में प्रशिक्षार्थियों को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है तथा इन केन्द्रों का व्यय कहां से प्राप्त होता है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई):** (क) भूमि सेना में काम करने वालों को प्रशिक्षण देने के लिये कोई अग्रिम केन्द्र नहीं खोला गया है ।

(ख) उत्पन्न ही नहीं होता ।

### संयुक्त राज्य प्रविधिक सहयोग समझौता (टिड्डी आक्रमण)

**३७५. पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय:** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार तथा संयुक्त राज्य प्रविधिक सहयोग प्रशासन से भारत में टिड्डी आक्रमण रोकने के सम्बन्ध में कोई समझौता हो गया है ?

(ख) इस समझौते के अन्तर्गत भारत को कौन सा सामान तथा प्रविधिक सहायता प्राप्त होगी ?

(ग) इस परियोजना में भारत का कितना अंशदान होगा ?

(घ) भारत में टिड्डी दल का आक्रमण होने की कब तक सम्भावना है ?

**खाद्य तथा कृषिमंत्री (श्री किदवई):** (क) जी हां ।

(ख) इस समझौते के अन्तर्गत भारत को निम्न प्रकार का सामान तथा प्रविधिक (टैकनिकल) सहायता प्राप्त होगी :—

(१) सामान—

(१) ७५ हल्की गाड़ियां (चार पहिये वाली)

(२) ७५ बिजली से चलने वाले छिड़कने के यंत्र तथा

(३) ८ बेतार यंत्र ।

(२) प्रविधिक सहायता—

जुलाई-अक्तूबर १९५२ में वायुयान द्वारा तेल पाउडर छिड़क कर टिड्डियों पर काबू पाने के क्रियाकारी तरीकों का प्रदर्शन करने के लिये वायुयान चालकों तथा टैकनीशियनों सहित तीन वायुयान ।

(ग) २, ४८,००० रुपये ।

(घ) टिड्डीदल का आक्रमण मई, १९५२ के मध्य में आरम्भ हुआ है तथा जुलाई १९५२ के अन्त तक वह अपनी चरम सीमा पर पहुंच जायेगा । बरसात के समाप्त होते ही वे अण्डे देना आरम्भ कर देंगी ।

### भारत में अल्पसंख्यक

**३७६. श्री गणपति राम :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में अल्प संख्य माने गये व्यक्तियों की कुल संख्या राज्यवार क्या है ;

(ख) अल्पसंख्यकों में कौन सी जातियों, पन्थों तथा मतों के व्यक्ति सम्मिलित किये जाते हैं ; तथा

(ग) प्रत्येक राज्य में जाति, पन्थ तथा रंग के हिसाब से उनकी संख्या क्या है ?

**गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू)** : अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों को छोड़ कर सन् १९५१ की जनगणना में लोगों को जाति या पन्थ के आधार पर अलग अलग नहीं रखा गया

## राई और सरसों

**३७७. श्री गणपति राम :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पिछले तीन वर्षों में कुल जितने क्षेत्र पर राई और सरसों की खेती होती थी उस के मुकाबले में सन् १९५२ में क्या कोई वृद्धि हुई है और यदि हुई है तो कितने प्रति शत ;

(ख) वे राज्य कौन से हैं जिन में वृद्धि हुई है तथा वे राज्य कौन से हैं जिन में कमी हुई है तथा इस वृद्धि और कमी के क्या कारण हैं; तथा

(ग) इन तैल बीजों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये कौन से उपाय काम में लाये गये हैं तथा उन में कहां तक सफलता मिली है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) :** (क) तथा (ख). सन् १९५१-५२ की फ़स्ल के सम्बन्ध में अभी अन्तिम आगणन उपलब्ध नहीं हैं । फिर भी, वर्तमान आंकड़ों से पता लगता है कि पिछले वर्षों के मुकाबले में सन् १९५१-५२ में कुछ अधिक एकड़ भूमि पर खेती हुई है ।

(ग) अनुसन्धान कार्य के लिये राज्य सरकारों को भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति आर्थिक सहायता देती रही है जिससे राई और सरसों के अच्छे बीज पैदा किये जा सकें तथा फ़सलों में लगने वाले कीड़ों तथा बीमारियों की रोक थाम हो सके । एक विवरण, जिस में प्रारम्भ की गई अनुसन्धान योजनायें बताई गई हैं, सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ६]**

## चीनी फ़ैक्टरियां

**३७८. श्री एन० बी० चौधरी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत में सन् १९४७-४८, १९४८-४९, १९४९-५०, १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में स्थापित की गई नयी चीनी फ़ैक्टरियों की राज्यवार संख्या क्या है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) :** अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

**सन् १९४७-४८ से १९५१-५२ की अवधि नें विभिन्न राज्यों में स्थापित की गई नई चीनी फ़ैक्टरियां :**

| राज्य का नाम | १९४७-४८ | १९४८-४९ | १९४९-५० | १९५०-५१ | १९५१-५२ |
|---|---|---|---|---|---|
| अजमेर | १ | — | — | — | — |
| त्रावनकोर-कोचीन | — | १ | — | — | — |
| मध्य भारत | — | १ | — | — | — |
| मद्रास | — | — | १ | १ | १ |
| बम्बई | — | — | — | १ | — |
| हैदराबाद | — | — | — | १ | १ |
| | १ | २ | १ | ३ | २ |

**उड़ीसा के अनुसूचित क्षेत्रों में सड़कें**

३७९. **श्री संगण्णा :** क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में नई सड़कें बनाने या वर्तमान सड़कों में सुधार करने का क्या कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; तथा

(ख) यदि है, तो कहां पर तथा राज्य के किस भाग में ?

**रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) :** (क) जी हां।

(ख) मयूरभंज से गुज़रने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ६ (बम्बई-कलकत्ता सड़क) पर पुल बना कर उस का पूरी तरह से विकास किया जा रहा है। मयूरभंज में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ५ (कलकत्ता-मद्रास सड़क) तथा कोरापुट क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ४८ (रायपुर-विजयनगरम् सड़क) में भी कुछ सुधार किया जा रहा है।

**विस्थापित व्यक्ति (स्थायी बनाना)**

३८०. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) विभाजन के पश्चात् भारत सरकार के अन्तर्गत कितने विस्थापित व्यक्तियों को नौकर रखा गया है ; तथा

(ख) इन में से कितने व्यक्तियों को स्थायी कर दिया गया है ? तथा

**गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) :** (क) तथा (ख) : सूचना संग्रह की जा रही है तथा यथासमय सदन पटल पर रख दी जायेगी।

**डाक चिट्ठियों इत्यादि का लाना ले जाना**

३८१. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि डाकीय चिट्ठियों को लाने ले जाने के लिये रेलवे ने सन् १९५१-५२ में इन विभागों से कितना रुपया वसूल किया (१) डाक तथा तार विभाग से (२) सैनिकों तथा सामान को लाने ले जाने के लिये रक्षा विभाग से तथा (३) खाद्यान्न को लाने ले जाने के लिये खाद्य विभाग से ?

**रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) :** अनुमानतः माननीय सदस्य सन् १९५१-५२ में रेलवे द्वारा यातायात खर्च के रूप में (१) डाक तथा तार विभाग (२) रक्षा मंत्रालय तथा (३) केन्द्र के खाद्य मंत्रालय तथा राज्यों के खाद्य विभागों से प्राप्त किये गये राजस्व का निर्देश कर रहे हैं।

जहां तक (१) तथा (२) का सम्बन्ध है राशियां क्रमशः इस प्रकार हैं (१) ६३,३७,८८८ रुपये तथा (२) ७,७७,१६,४८६ रुपये।

जहां तक (३) का सम्बन्ध है केवल खाद्य मंत्रालय तथा खाद्य विभागों के लिये लाये ले जाये गये खाद्यान्नों से प्राप्त होने वाले राजस्व के बारे में पृथक् रूप से आंकड़े आसानी से उपलब्ध नहीं हैं। सन् १९५१-५२ में खाद्यान्नों के ढोने से रेलवे को जो कुल राजस्व प्राप्त हुआ है वह १६,१३,०८,२१८ रुपये है।

**राजमार्ग पर वृक्ष**

३८२. **श्री मादिया गौडा :** क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों ओर लगे वृक्षों की संख्या क्या है ;

(ख) जो वृक्ष वर्तमान हैं उन को बनाये रखने तथा नये वृक्ष लगाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ; तथा

(ग) इस कार्य के लिये कितनी धन-राशि की व्यवस्था की गई है ?

**रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री)** : (क) से (ग). राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों ओर लगे वृक्षों को बनाये रखना इन राजमार्गों की साधारण देख भाल तथा मरम्मत में शामिल है। इन राजमार्गों पर लगे हुए वृक्षों की देख भाल पर कितनी लागत आती है तथा उन की संख्या क्या है यह सूचना आसानी से उपलब्ध नहीं है। तथा समस्त सम्बद्ध राज्य जन वस्तु विभागों के सैकड़ों कार्यकारी अधिकारियों द्वारा ऐसी सूचना संग्रह करने में जो समय, श्रम तथा खर्चा होगा वह परिणाम के सममात्रिक नहीं होगा।

**टिड्डी दल**

३८३. **श्री मुनिस्वामी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि राजस्थान पर टिड्डी दलों को उड़ते देखा गया है; तथा

(ख) यदि देखा गया है तो उनके आक्रमण को रोकने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई)**: (क) जी हां।

(ख) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है।

---

विवरण

**टिड्डी दल के आक्रमण को रोकने के लिये की गई तथा की जाने वाली कार्यवाही**

**की गई कार्यवाही—**

राजस्थान, पंजाब, पैप्सू, बम्बई, सौराष्ट्र तथा कच्छ में अनुसूचित रेगिस्तानी क्षेत्रों में नियंत्रण कार्यवाही के लिये जिम्मेदार केन्द्रीय टिड्डी संगठन ने इन क्षेत्रों को तीन मंडलों में विभाजित कर दिया है तथा प्रत्येक मंडल का कार्य एक एक अनुभवी कीटवित् को दे दे दिया जिनके प्रधान कार्यालय बीकानेर, जोधपुर तथा पालनपुर में रखे गये हैं। टिड्डीयों पर काबू पाने के दृष्टिकोण से जो अन्य स्थान महत्वपूर्ण हैं, विशेकषर भारत-पाकिस्तान सीमा पर, वहां लगभग ६० चौकियां बना दी गई हैं जहां विष, हाथ तथा मशीनों से पाउडर छिड़कने तथा मोटर तथा मोटर यातायात की व्यवस्था कर दी गई है। आक्रमण का मुकाबला करने के लिये अस्थायीरूप से संगठन में कर्मचारियों की वृद्धि कर दी गई है। कुछ अतिरिक्त कीटाणुनाशक दवायें तथा उपकरण भी खरीद लिये गये हैं। शीघ्रता तथा समय पर काम करने के लिये अनेक स्थानों पर बेतार यंत्रों की व्यवस्था कर दी गई है।

जहां तक उन राज्यों का सम्बन्ध है जिन पर आक्रमण होने की सम्भावना है, वहां पर भी सम्बद्ध राज्य की आवश्यकतानुसार करीब करीब इसी प्रकार की तैयारी कर ली गई है।

**की जाने वाली कार्यवाही—**

संयुक्त राज्य अमेरिका के चार सूत्री कार्यक्रम के अधीन टिड्डीयों के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाहियों में तेल-पाउडर आदि छिड़कने का काम करने के लिये इस महीने के मध्य तक भारत में (जैसलमेर) तीन छोटे वायुयान आजायेंगे। टैकनिकल सहयोग प्रशासन के साथ साथ हाल में हुए एक समझौते के अन्तर्गत निम्नलिखित उपकरण भारत को प्राप्त हो रहे हैं :—

(१) ७५ हल्की गाड़ियां।

(२) ५० तेल-पाउडर छिड़कने के यंत्र।

(३) २५ पाउडर लगाने के यंत्र।

(४) ८ बेतार यंत्र।

इन उपकरणों के संयुक्त राज्य अमरीका से आने तक रक्षा सेवाओं तथा प्रविधिक सहयोग प्रशासन प्राधिकारियों से क्रमशः मोटर गाड़ियों तथा जीपें उधार लेने का प्रबन्ध किया जा रहा है ।

भारत में उपलब्ध स्टाक में से शक्ति परिचालित छिड़कने के यंत्र तथा पाउडर डालने के यंत्र भी खरीदे जा रहे हैं जिन का मूल्य कुछ सीमा तक प्रविधिक सहयोग प्रशासन निधि में से चुकाया जायेगा ।

---

**दया याचिकायें**

३८४. **श्री मुनिस्वामी** : क्या गृहकार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे ।

(क) वर्ष १९५२ में अब तक मृत्यु दण्ड पाने वाले कैदियों से कितनी दया याचिकायें प्राप्त हो चुकी हैं ; तथा

(ख) उन्हें क्या कार्यवाही की गई है ?

**गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू)**: (क) ९९.

(ख) १८ मामलों में मृत्यु दण्ड को आजीवन कालेपानी में बदल दिया गया तथा एक मामले में ७ वर्ष के कारावास में । शेष ८० याचिकायें अस्वीकार कर दी गईं ।

---

Wednesday 9, July, 1952

अंक ३

संख्या १

सत्यमेव जयते

# संसदीय वाद विवाद

## लोक सभा

### शासकीय वृत्तान्त

1st Lok Sabha (First Session)

हिन्दी संस्करण

भाग २--प्रश्न और उत्तर से पृथक कार्यवाही

विषय-सूची


समिति के निर्वाचन—

केन्द्रीय पुरातत्व परामर्शदात्री पर्षद् [पृष्ठ भाग २४२७]

अखिल भारतीय प्रविधिक शिक्षा परिषद् [पृष्ठ भाग २४२७--२४२८]

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कोर्ट [पृष्ठ भाग २४२८]

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय कोर्ट [पृष्ठ भाग २४२८—२४२९]

भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् [पृष्ठ भाग २४२९—२४३०]

विनियोग (रेलवेज) संख्या २ विधेयक—पारित [पृष्ठ भाग २४३०—२४३५]

विनियोग (संख्या २) विधेयक—पारित [पृष्ठभाग २४३५—२४७७]

सारभूत वस्तुयें (क्रय अथवा विक्रय पर कर की घोषणा तथा विनियमन) विधेयक—प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के प्रस्ताव पर चर्चा असमाप्त [पृष्ठ भाग २४७७—२४९२]


(मूल्य ६ आने)


391 PSD



...vation ... 133 ... Catalogued ... Parliament Library

# लोक सभा

बुधवार ९ जुलाई, १९५२

---

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई.

[अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष पद पर आसीन थे]

## प्रश्न और उत्तर

(देखिए भाग १)

---

१-९५ म० पू०

## विशेषाधिकार समिति

### श्री वी० जी० दशपांडे की गिरफ्तारी पर प्रतिवेदन की प्रस्तुति

**गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू)** : सदन के एक सदस्य श्री विष्णु घनश्याम देशपांडे की गिरफ्तारी में अंतर्ग्रस्त विशेषाधिकार के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन को मैं सविनय प्रस्तुत करता हूं। यह प्रश्न समिति को २७ मई १९५२ को सौंपा गया था।

**डा० एस० पी० मुखर्जी** (कलकत्ता दक्षिण-पूर्व) : ऐसा प्रतिवेदन प्रथम बार पेश हो रहा है। क्या हम इसके लिये कोई तारीख नियत करेंगे या कोई अन्य प्रक्रिया रखेंगे।

---





**अध्यक्ष महोदय** : मैं सोच कर माननीय सदस्य को अवगत कर दूंगा।

---

## समितियों के चुनाव

### शिक्षा सम्बन्धी केन्द्रीय मंत्रणा मंडली

**संसद कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिन्हा)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"यह सदन ऐसे प्रकार से, जैसे अध्यक्ष महोदय निदेश दें, शिक्षा सम्बन्धी केन्द्रीय मंत्रणा मंडली के लिये लोक सभा से तीन सदस्य चुने।"

प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्तुत किया गया तथा स्वीकृत हुआ।

### दिल्ली विश्वविद्यालय संसद्

**श्री सत्यनारायण सिन्हा** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दिल्ली विश्वविद्यालय के पुनरीक्षित परिनियमों के परिनियम २ के खंड (१) की मद (१६) के अनुसार, यह सदन ऐसे प्रकार से, जैसे अध्यक्ष महोदय निदेश दें, पांच वर्ष के लिये दिल्ली विश्वविद्यालय की संसद् के लिये अपने में से दो सदस्य चुने।"

प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्तुत किया गया तथा स्वीकृत हुआ।

**अध्यक्ष महोदय** : इन समितियों के चुनावों के लिये यह तारीखें निश्चित की गई हैं :

| | नाम निर्देशन की तारीख | निर्वाचन की तारीख |
|---|---|---|
| (१) शिक्षा संबंधी केंद्रीय मंत्रणा मंडली | ११.७.१९५२ | १५.७.१९५२ |
| (२) दिल्ली विश्वविद्यालय संसद् | | |

नाम निर्देशन पत्र उक्त तारीख को १२ बजे दोपहर तक आने चाहियें। निर्वाचन एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा उप-सचिव के कमरे (सं० २१) में साढ़े दस तथा १ बजे के बीच होगा।

## निवारक निरोध (द्वितीय संशोधन) विधेयक

**गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू)** : मैं सविनय प्रस्ताव करता हूं कि निवारक निरोध अधिनियम १९५० में अग्रेतर संशोधन करने के हेतु एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

**डा० एस० पी० मुखर्जी** (कलकत्ता दक्षिण-पूर्व) : श्रीमान्, मैं प्रक्रिया नियमों के नियम ७२ के अन्तर्गत इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। सामान्यतः पुरःस्थापन के समय विधेयक का विरोध प्रायः नहीं किया जाता, परन्तु यह विधेयक विशेष प्रकार का है जिसका हम इस समय भी और बाद में हर समय विरोध करना अपना कर्तव्य समझते हैं।

हम इसका विरोध इसलिये करते हैं कि बिना मुकदमे के निरोध का सिद्धान्त लोकतंत्र के मूल सिद्धान्तों के विरुद्ध है। अन्य किसी लोकतंत्रात्मक देश की विधि में ऐसी बात नहीं मिलती। यदि आपात हो तो इसकी आवश्यकता हो सकती है परन्तु ऐसी परिस्थितियां यहां पर विद्यमान नहीं हैं। कभी तो ऐसा समय आना ही चाहिये जब 'विधि का शासन' देश में स्थापित हो।

इस विधेयक के प्रशासन पर उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों तक ने यह राय अभिव्यक्त की है कि स्पष्ट अन्याय होने की दशा में भी वे कुछ नहीं कर सकते। इस कारण तथा अन्य कारणों से हम इस प्रस्ताव का पुरःस्थापन के समय ही विरोध करते हैं।

**डा० काटजू** : श्रीमान्, मुझे वास्तव में आश्चर्य है कि मेरे माननीय मित्र —पता नहीं उन्होंने इस विधेयक को पढ़ा भी है या नहीं—इसके पुरःस्थापन का विरोध करने उठ खड़े हुए हैं और इस विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति देने का मैंने जो प्रस्ताव रखा है उसका विरोध किया है। संविधान के मसौदा-कारों ने ऐसे अधिनियम के होने की संभावना को अभिज्ञात किया और निवारक निरोध के लिये विस्तृत उपबन्ध रखे हैं मैं इस समय कोई विवादास्पद बातों में नहीं पड़ना चाहता। यदि अनुमति दे दी जायगी और विधेयक पर विचार आरम्भ होगा, तो मैं सदन का समाधान कर दूंगा कि दलबंदी की भावना को छोड़कर भी, इसकी आवश्यकता आज है और काफी समय तक रहेगी। यह हो सकता है—मैं बहुत आदर के साथ कहता हूं—कि मेरे माननीय मित्र, जिन्होंने अभी अनुमति देने का विरोध किया है, शायद दल की भावना से ही ऐसा कह रहे हैं; हो सकता है कि वे कदाचित सदैव विधि के अन्तर्गत ही कार्य करेंगे और इसलिए निवारक निरोध का उन्हें कोई भय नहीं रहेगा। परन्तु अन्य लोग ऐसे भी हैं जो सार्वजनिक सुरक्षितता के विरुद्ध कार्यवाहियों में संलग्न हैं। उदाहरण के लिये ऐसे व्यक्ति हैं जो अब भी अनुज्ञप्ति के बिना शस्त्र रखते हैं, और कहते हैं कि 'रखेंगे, जब तक कि उनके

साथ कोई समझौता न किया जाये। क्या यह चीज विधि के प्रवर्तन से संगत है

जैसा कि मैं कह चुका हूं, मैं विस्तार की बातों को नहीं लेना चाहता। हम ने इस विधेयक को प्रस्तावित करने में या तयार करने में और सदन के समक्ष रखने में प्रत्येक पहलू पर विचार कर लिया है। मैं केवल उस वचन को पूरा कर रहा हूं जो मैंने गत अवसर पर दिया था। पुराना अधिनियम ३१ मार्च को समाप्त होना था, और हम सदन से यह अधिकार मांग सकते थे कि इसे १२ या १८ या २४ मास या किसी कालावधि के लिये और बढ़ा दिया जाये। हमने समझा कि इस नवनिर्वाचित सदन के सामने इस विषय को रखना और उसके अधिनियमन में इस सदन की सहमति प्राप्त करना उचित है और सदन के प्रति सम्मान प्रदर्शन है, और इसलिए अधिनियम को छः ही मास के लिए बढ़ाया गया। ये छः मास ३० सितम्बर को समाप्त हो जायेंगे। हम विशेषतः सदन को जुलाई मास में कष्ट दे रहे हैं क्योंकि हम कार्यपालिका-प्राधिकार मात्र पर कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते। सदन के लिए यह बात अधिक उचित होगी कि वह विधेयक को अपने समक्ष आने दे, उस के उपबन्धों पर विचार करे और फिर विधेयक के गुणागुणों पर सोच विचार कर राय दे। यदि सदन का यह विचार है कि ऐसे किसी विधेयक की आवश्यकता नहीं है, देश सर्वथा सुरक्षित है और अन्दर से या बाहर से कोई खतरा नहीं है और कदाचित निवारक निरोध प्रभावी नहीं होगा, तो सदन ऐसा कह सकता है परन्तु मुझे इस कथन पर आपत्ति है कि यह विधि-हीनता जैसी कोई चीज़ है। संविधान में उस के लिये उपबन्ध है। वह प्रथम सूची में और समवर्ती सूची में है। संविधान में लिखा है कि ऐसी विधि बन सकती है, और जिसे संविधान अभिज्ञात करता है वह देश की विधि के अन्तर्गत है। इस अवसर पर मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न है कि :

"निवारक निरोध अधिनियम, १९५० में अग्रेतर संशोधन करने के हेतु एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रश्न पर मतदान हुआ। पक्ष में २७९ मत, विपक्ष में ८४।

**डा० काटजू** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

## संविधान (द्वितीय संशोधक) विधेयक

**डा० एच० एन० मुखर्जी** (कलकत्ता उत्तर-पूर्व): श्रीमान्, कल मैं इस विधेयक को जनता की राय जानने के लिये प्रचारित करने के सम्बन्ध में अपने संशोधन पर बोल रहा था। थोड़ा सा विलम्ब होने से कोई अनर्थ नहीं हो जायगा। कुछ परिवर्तन तो आवश्यक हैं ही। अतः मुझे संशोधन पर इतनी आपत्ति नहीं है जितनी कि इसे स्वीकार कराने के ढंग पर है।

माननीय विधि मंत्री अनुच्छेद ८१ का संशोधन करना चाहते हैं। उस के खंड (१) के उपखंड (क) में लोक सभा की सदस्य-संख्या की सीमा ५०० रखी गई है और उपखंड (ख) में निर्वाचन-क्षेत्र की जनसंख्या की सीमाएं निश्चित हैं। प्रश्न यह है कि संविधान

[डा० एच० एन० मुखर्जी]

के निर्माताओं का उद्देश्य किस पर अधिक बल देना था ।

हमारे संविधान का प्रयोजन निश्चय ही लोकतंत्रात्मक है, जो कि प्रस्तावना से और मूलाधिकारों तथा राज्य की नीति के निदेशक तत्वों से स्पष्ट है । अतः संविधान का संशोधन भी इस के लोकतन्त्रात्मक सिद्धान्तों से संगत होना चाहिये । यह सुझाव अत्यन्त अनर्गल है कि ५०० की संख्या को हमें कभी नहीं बढ़ाना चाहिये ।

कल मैंने कहा था कि संयुक्त राज्य अमरीका की प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या ६५ से बढ़ते बढ़ते ४३५ तक जा पहुंची है । समय समय पर कनाडा तथा दक्षिणी अफीका में भी ऐसा ही हुआ है । जनसंख्या बढ़ने पर ऐसा ही होता है और यहां भी होना चाहिये । ५०० बहुत बड़ी संख्या नहीं है, संयुक्त राजतन्त्र ग्रेट ब्रिटेन की लोक सभा में ६४० सदस्य हैं । वहां २५००० लोगों के पीछे एक सदस्य होता है, आयरलैंड में ३०,००० लोगों के पीछे एक से अनधिक सदस्य होता है । बर्मा में यह संख्या एक लाख है ।

इस सदन में स्थान की कमी का तर्क इतना व्यर्थ है कि वह विचारणीय नहीं है । हमारे पास स्थान की व्यवस्था करने के साधन हैं; मैं तो समझता हूं कि संख्या ७५० तक पहुंचनी चाहिए । ऐसी दशा में हमें अनुच्छेद ८१ (१) (क) का संशोधन करना चाहिये, ८१ (१) (ख) का नहीं । हमें सदस्य संख्या बढ़ानी चाहिये, वह अत्यन्त लोकतन्त्रात्मक ढंग होगा ।

इस प्रश्न पर जनता अपने विचार प्रकट कर चुकी है । वह इसे मताधिकार का अपहरण करना समझती है । मेरा सुझाव है कि इसे जल्दबाजी में पास नहीं करना चाहिये । अतः मेरे संशोधन को स्वीकार कर लेना चाहिये । देश की जनता की राय जान कर आगे बढ़ना चाहिये ।

**श्री श्यामनन्दन सहाय** (मुजफ्फरपुर मध्य) उठे——

**विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री बिस्वास)**: क्या मैं इस समय मेरे माननीय मित्र की बात काट कर, आपकी अनुमति से यह कह सकता हूं कि यहां जो विचार व्यक्त हुए हैं और मुझे सदन के बाहर जो विचार प्रकट किये गये हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए मैं यह संशोधन स्वीकार कर लूंगा कि विधेयक को जनमत जानने के लिये प्रचारित किया जाये । अगले विधेयक के संबंध में भी, जो परिसीमन आयोग से सम्बद्ध है, मेरा ऐसा ही करने का विचार है ।

१० म० पू०

**अध्यक्ष महोदय** : मैं श्री मुखर्जी के संशोधन पर मत लेता हूं । क्या माननीय मंत्री को तारीख भी स्वीकार्य है ?

**प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: मैं यह सुझाव देता हूं कि अवधि कम कर दी जाये । आप आज से तीन मास रख सकते हैं या सितम्बर के अन्त तक रख सकते हैं ।

**एक माननीय सदस्य** : अक्टूबर के अन्त तक रखिये ।

**श्री जवाहरलाल नेहरू**: मेरे विचार में अब से तीन मास काफी रहेंगे ।

**श्री एच० एन० मुखर्जी** : मुझे स्वीकार है ।

**श्री नन्द लाल शर्मा** (सीकर) : तीन मास काफी नहीं रहेंगे ।

**अध्यक्ष महोदय** : तीन मास का अर्थ होगा ९ अक्टूबर तक ।

**श्री ए० के० गोपालन** (कन्नानूर) : १५ अक्टूबर रख दीजिये ।

**अध्यक्ष महोदय** : आशा है सदस्य इसे स्वीकार करेंगे ।

प्रश्न यह है :

"१५ अक्टूबर, १९५२ तक सर्वसाधारण की सम्मति जानने के लिए विधेयक को परिचालित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

## निरसन तथा संशोधन विधेयक

**विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री बिस्वास)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कुछ अधिनियमों का निरसन करने और कुछ अन्य अधिनियमों में संशोधन करने के हेतु एक विधेयक पर विचार किया जाये ।"

एक संशोधन भी है जिस की सूचना मैंने दी है । उसका उद्देश्य एक कमी को पूरा करना है जो बहुत पहले पूरी की जानी जाहिये थी । इसका कारण बाल विवाह निवारक अधिनियक के अधीन विवाह की आयु का बदल जाना है । अब उसमें वर के लिये १८ वर्ष तथा वधू के लिये १५ वर्ष की आयु है । १८७२ के भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम में सीमाएं अन्यथा निश्चित की गई हैं । संशोधन यह है कि भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम (१८७२ के अधिनियम १५) के अधीन द्वितीय अनुसूची में मैं यह नया उपबन्ध रखना चाहता हूं : "धारा ६० में, शर्त संख्या (१) में, 'shall exceed sixteen years' (सोलह वर्ष से अधिक होगी) और 'shall exceed thirteen years' ('तेरह वर्ष से अधिक होगी') शब्दों के स्थान पर 'shall not be under eighteen years' ('अठारह वर्ष से कम नहीं होगी') और 'shall not be under fifteen years' ('पंद्रह वर्ष से कम नहीं होगी') शब्द क्रमशः रख दिये जायें ।" इसका उद्देश्य उसे बाल विवाह निवारक अधिनियम के अनुकूल बनाना है । यह केवल औपचारिक संशोधन है, जो बहुत पहले हो जाना चाहिये था । इस ओर हमारा ध्यान एक ईसाई पादरी ने आकृष्ट किया है । इसी कारण मैंने यह संशोधन भेजा है ।

प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा स्वीकृत हुआ ।

खंड १ से ४ विधेयक का अंग बना लिये गये ।

प्रथम अनुसूची विधयक का अंग बना ली गई ।

**संशोधन प्रस्तुत हुआ**

**पृष्ठ ३ पर, पंक्ति १५ में--**

स्तम्भ ४ में, शब्द 'In section 81' ("धारा ८१ में") के पहले, यह शब्द प्रविष्ट किये जायें :

"In section 60, in condition No. (1), for the words 'shall exceed sixteen years' and 'shall exceed thirteen years' the words 'shall not be under eighteen years' and 'shall not be under

fifteen years' shall respectively be substituted. "

*[Shri Biswas]*

["धारा ६० में, शर्त संख्या (१) में 'सोलह वर्ष से अधिक होगी' और 'तेहर बर्ष से अधिक होगी' शब्दों के स्थान पर 'अठारह वर्ष से कमं नहीं होगीं' और 'पन्द्रह वर्ष से कम नहीं होगी' शब्द क्रमशः आदिष्ट किये जायें।]

**[श्री बिस्वास]**

द्वितीय अनुसूची संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना ली गई।

विधेयक का नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक का अंग बना लिये गये।

**श्री बिस्वास** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

**[उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

## परिसीमन आयोग विधेयक

**विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री बिस्वास)** : मैं सविनय प्रस्ताव करता हूं* :

"कि लोक सभा में और राज्य विधान सभाओं में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के प्रतिनिधित्य के समायोजन की और तत्सम्बन्धी मामलों की व्यवस्था करने वाले एक विधेयक पर विचार किया जाये।"

---

* राष्ट्रपति की पूर्व-सिफारिश से प्रस्तावित।

जैसा कि मैं ने संविधान के संशोधन के लिये पहले विधयक को पेश करते समय बताया था, दोनों विधेयक परस्पर सम्बन्धित हैं। वर्तमान विधेयक को संविधान के अनुच्छेद ८१ के खंड (३) के उपबन्धों के अनुसार सदन के समक्ष रखा गया है। उक्त खंड (३) इस प्रकार है :

"प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर लोक सभा में विभिन्न प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति से और ऐसी तारीख से प्रभावी होने के लिये पुनः समायोजन किया जायेगा जैसा कि संसद् विधि द्वारा निर्धारित करें :

परन्तु ऐसे समायोजन से लोक सभा में के प्रतिनिधित्व पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक कि उस समय वर्तमान सदन का विघटन न हो जाये।"

जैसा कि मैंने कल समझाया था, इस समय निर्वाचन-क्षेत्रों का जो परिसीमन है वह २६ जनवरी १९५३ तक प्रभावी रहेगा, और हमें ऐसे कदम उठाने हैं जिससे कि उसके बाद यथासंभव शीघ्र नया परिसीमन हो जाये। इन दोनों विधेयकों का यही उद्देश्य है।

दोनों विधेयक जुड़े हुए हैं और दूसरे वाले को जनमत जानने के लिय प्रचारित किया जायेगा, अतः इस विधेयक को भी उसी प्रकार निबटाना ठीक होगा। मैं इसे विचार के लिये प्रस्तावित करने के विषय में लम्बी वक्तृता नहीं देना चाहता, क्योंकि रायें प्राप्त होने तक यह मामला स्थगित रहेगा।

**उपाध्यक्ष महोदय** : परिचालित करने का संशोधन डा० मुखर्जी प्रस्तुत करें।

**डा० एस० पी० मुखर्जी:** (कलकत्ता दक्षिण-पूर्व) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"१५ अक्तूबर १९५२ तक सर्वसाधारण की सम्मति जानने के लिये विधेयक को परिचालित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

———

## भारतीय आय-कर (संशोधन) विधेयक

**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख):** मैं सविनय प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय आय-कर अधिनियम १९२२ में अग्रेतर संशोधन करने वाले श्री एस० सिन्हा, पंडित अलगूराय शास्त्री, प्रो० राम शरण, श्री धमंडी लाल बंसल, श्री सी० आर० बासप्पा, श्री शान्ति लाल गिरधारी लाल पारिख, श्री हरि विनायक पातस्कर, श्री राधेश्याम रामकुमार मुरारका, श्री पी० नटेशन, पंडित चतुर नारायण मालवीय, श्री अहमद मोहीउद्दीन, पं० ठाकुर दास भार्गव, श्री ए० के० बसु, डा० पंजाबराव एस० देशमुख, कर्नल बी० एस० ज़ैदी, श्री सी० पी० मातन श्री पूर्णेन्दु शेखर नस्कर, श्री सोहन लाल धूसिया, श्री पी० एन० राजभोज, श्री कमल कुमार बसु, श्री एन० सी० चटर्जी, श्री के० ए० दामोदर मेनन, श्री तुलसीदास किलाचन्द, श्री एस० वी० रामस्वामी, श्री महावीर त्यागी, और प्रस्तावक की एक प्रवर समिति को सौंपा जाये तथा प्रवर समिति को अपना प्रतिवेदन २९ जुलाई तक या उससे पूर्व प्रस्तुत करन का अनुदेश दिया जाये।"

सबसे पहली बात जो मैं बताना चाहता हूं वह यह है कि इस विधेयक का क्षत्र १९५१ के विधेयक से जो व्ययगत हो गया है सर्वथा भिन्न है, चाहे इसका सार भिन्न न हो। वर्तमान विधेयक की मुख्य बातें ये हैं कि इसमें बहुत से लाभदायक उपबन्ध हैं जो विदेशों में व्यापार करने वाले भारतीयों के अन्य देशों में एकत्र लाभों का भारत में लाना सुगम बनाने के लिये और उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिय और भवनों के निर्माण के लिये आवश्यक समझे गए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विमुक्तियां हैं। और एक दो अन्य प्रशासनीय उपबन्ध हैं।

मुख्य उपबन्ध निम्नलिखित हैं : एक, भारत को भेजे गए वैदेशिक लाभों को विमुक्ति। अब इस विषय में, मई १९५० में ही एक रियायत की घोषणा की गई थी, और उसकी अभिपूर्ति अब इस अधिनियम के प्रस्थापित संशोधन द्वारा ी जा रही है। इसका उद्देश्य यह है कि गैर-निवासी व्यक्ति जो विदेशों में व्यापार करते हैं, जो हाल ही में भारत लौटे हैं और निवासी बन गए हैं, भारत में अपने वैदेशिक लाभों को ला सकें और उन पर कोई कर की दायित्व न पड़े। कुछ अन्य देशों में, दशा पहले से बिगड़ी है और स्वाभिमानी भारतीयों के लिये वहां अपना कारोबार चलाना कठिन हो गया है। और हमें पूंजी की आवश्यकता है। इन परिस्थितियों में, वे अपने बैदेशिक लाभों को भारत लाकर यहां कोई उद्योग या व्यापार आरम्भ करने के लिये आतुर हो सकते हैं, जो हमारे लिये स्पष्टतः लाभकारी है।

[श्री सी० डी० देशमुख]

दूसरी रियायत वैदेशिक लाभों को लाने के विषय में है जो केवल उन लोगों पर लागू है जो पहले से ही भारत में रह रहे हैं। यह रियायत भी गत वर्ष सितम्बर मास में घोषित की गई थी। यह केवल ऐसे वैदेशिक लाभों पर लागू है जो भेजे जाने पर ही कर-योग्य बन जाते हैं, अन्यथा नहीं। सम्बद्ध व्यक्ति भारत भेजी गई आधी राशि को रक्षित बंक की मारफत खरीदी गई सरकारी प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटियों) में लगा कर कर से विमुक्ति पा सकता है। इसका औचित्य यह है कि यदि यह रियायत नहीं दी जाती, तो वैदेशिक लाभों को या तो चोरी से लाने का या ऐसा न हो सके तो उन्हें अन्य देशों में ले जाने का प्रलोभन रहता है।

भवनों के निर्माण तथा उद्योगों के विकास के सम्बन्ध में, रियायतें ये हैं। सर्व प्रथम बात यह है कि नये भवनों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिये हम ने १९४६ में उन सम्पत्तियों के किराये की आय के विषय में विमुक्ति दी थी जो १ अप्रैल १९४६ और ३१ मार्च १९४८ के बीच बनाई गई हों। इस कालावधि को प्रत्येक दो वर्ष के लिये बढ़ाया गया, लगभग तीन बार एसा किया गया। अब इस दो और वर्ष के लिये अर्थात् १९५४ तक के लिय बढ़ा दिया गया है। अतः वह कुल तीन बार बढ़ाई जा चुकी है। इसी प्रकार व्यापार के प्रयोजनों के लिये जो भवन बनाये गए हैं उन के विषय में कालावधि ३१ मार्च १९५४ तक के लिये बढ़ा दी गई है। उस तारीख से पूर्व निर्मित भवनों पर निर्माण वाले वर्ष में अधिक प्रारम्भिक घिसाई-खर्च १५ प्रतिशत दिया जायेगा। १९५० के आसाम भूकम्प द्वारा प्रभावित क्षेत्र में स्थित भवनों के विषय में, मरम्मत के लिये दी जाने वाली छूट की १/६ से बढ़ा कर करारोपण वर्ष १९५१-५२ के वार्षिक किराये-सम्बन्धी मूल्य का अधिकतम अर्धांश कर दिया गया है।

नये औद्योगिक उपक्रमों के विषय में, रियायत की कालावधि को ऐसे प्रकार बढ़ा कर पांच वर्ष कर दिया गया है कि प्रत्येक उपक्रम को पांच वर्ष की रियायत मिल जाती है। छोटे उद्योगों को इस विमुक्ति का लाभ प्राप्त कराने के लिये, नियोजित व्यक्तियों की संख्या ५० से घटा कर २५ कर दी गई है। नये भवनों, यंत्रों या महायंत्रों के विषय में भी जो ३१ मार्च १९४८ के पश्चात् लगाये गये हों, जिन्हें पांच निरन्तर वर्षों के लिये दुगने घिसाई-खर्च का हक्क है इस दुगने घिसाई-खर्च के प्राप्त करने की अवधि को ३१ मार्च १९५४ से बढ़ा कर ३१ मार्च १९५९ तक कर दिया गया है। ऐसी आस्तियों पर भी अब घिसाई-खर्च दिया जा सकेगा जो दान या उत्तराधिकार से अर्जित हों, जिन पर करारोपित व्यक्ति का कोई भी व्यय नहीं हुआ हो। परन्तु जहां आस्ति का एक भाग व्यापार के दौरान में किसी व्यक्ति ने अदा किया हो, वहां घिसाई केवल नकद लागत पर दी जा सकेगी, जो करारोपित व्यक्ति ने वास्तव में दी हो।

हम जीवन-बीमा समवायों को कुछ रियायतें देने का विचार कर रहे हैं। जीवन बीमा समवायों को शायद इस विधेयक के अधीन सर्वाधिक लाभ प्राप्त होता है। कुछ वर्षों से वे अभिवेदन करते रहे हैं कि कर-योग्य आय का हिसाब लगाते समय पालिसी होल्डरों के लिये रक्षित आधे बोनस की कटौती अथवा प्रबन्ध-व्यय के रूप में प्रथम के अतिरिक्त अन्य प्रीमियमों के १२ प्रतिशत की छूट, कम है,

जब कि ब्याज की नकद दरें कम हो गई हैं और प्रबन्ध-व्यय बढ़ गया है क्योंकि कर्मीवृन्द के वेतन बढ़ गये हैं। इस अभिवेदन को ध्यान में रखते हुए, पालिसी-होल्डरों के लिये रक्षित बोनस की कटौती ो ५० से बढ़ा कर ८० प्रतिशत किया जा रहा है और प्रीमियमों की छूट को १२ से बढ़ा कर १५ प्रतिशत किया जा रहा है। जो विधेयक व्ययगत हो गया है उस में पालिसी-दारों के लिये रक्षित बोनस की छूट दो तिहाई तक सीमित की गई थी। उसे बढ़ा कर चार पंचमाश करना पड़ा क्योंकि दो तृतीयांश भी अपर्याप्त दिखाई पड़ा। प्रस्थापना यह है कि इस रियायत को करारोपण वर्ष १९५१-५२ से लागू किया जाये, क्योंकि यदि गत वर्ष पुरः-स्थापित विधेयक व्ययगत न होता तो बीमा समवायों को यह अनुतोष मिल जाता। हम उसे मानते हैं।

फिर अन्य विमुक्तियां भी हैं जिनमें से मैं कुछ महत्वपूर्ण विमुक्तियों का ही उल्लेख करूंगा। उन में से एक का असर इस सदन के और पिछले सदन के और संविधान सभा के माननीय सदस्यों पर भी पड़ता है। अब मैं देखता हूं कि दिलचस्पी पैदा होने लगी है। क्योंकि सदस्यों को दैनिक भत्ता दिया जाता था अतः सदस्यों के तथा आयकर विभाग के मन में सामान्य आशंका थी कि ये भत्ते उन दैनिक भत्तों के समान ही हैं जो सरकारी नौकरों को यात्रा करने पर मिलते हैं। परन्तु वास्तव में हमने देखा कि ये भत्ते केवल उन्हीं सदस्यों को नहीं दिये जाते थे जो दिल्ली के बाहर से आते थे, वरन् दिल्ली में रहने वाले सदस्यों को भी मिलते हैं। उस पर, विधि-वेत्ताओं की धारणा यह थी कि इसे संसद् सदस्यों द्वारा दिये गये समय का पारिश्रमिक कम से कम अंशतः ऐसा समझना संभव है, और इसलिये हमें यह मंत्रणा दी गई थी कि उस पर कर लगाया जा सकता था। हम जानते हैं कि यदि यह विधि-रूप स्थिति कई वर्षों के लिये लागू कर दी जाती, जिनके लिये पुनः करारोपण की कार्यवाही भारतीय आयकर अधिनियम के अधीन की जा सकती है, तो सदस्यों को बहुत कठिनाई हो जाती। इस कठिनाई को हटाने के लिये, इस भत्ते को इस विधेयक में विशेषतः विमुक्त कर दिया गया है और इसका सभी करारोपण वर्षों पर भूत-लक्षी प्रभाव होगा।

**श्री एस० एस० मोरे** (शोलापुर) : भविष्य में क्या होगा ?

**श्री सी० डी० देशमुख** : यह तो समिति की सिपारिश पर निर्भर होगा। मैं समझता हूं कि भत्ते निर्धारित करने में वैसी ही गलती नहीं की जायेगी जैसी हुई थी, जिससे इसे पारिश्रमिक समझ लिया गया था।

मार्च १९५१ में, भारत से बाहर दिये जाने वाले निवृत्ति वेतनों को दी गई विमुक्ति कार्यपालिका अधिसूचना से वापस ले ली गई थी। तब यह अभ्यावेदन प्राप्त हुआ कि भारत-मंत्री सेवाओं के पदाधिकारियों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विषय में, जो १५ अगस्त १९४७ से पूर्व नियुक्त किये गये हों, १९४७ के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में उनके विद्यमान निवृति-वेतन सम्बन्धी अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया गया है और वह संरक्षण संविधान में भी रहने दिया गया है। अतएव इस विमुक्ति को भी इस अधिनियम के एक संशोधन द्वारा प्रभावी बनाया जा रहा है।

[श्री सी० डी० देशमुख]

एक और विमुक्ति है जिसका कि मैं उल्लेख करना चाहता हूं, और वह पुनरीक्षित निवृत्ति-वेतन नियमों के अधीन सरकारी नौकरों को दिये जाने वाले मृत्यु अथवा निवृत्ति सम्बन्धी उपदान के विषय में है। उपदान की राशि निश्चित करते समय उस पर कर के दायित्व के प्रश्न पर विचार नहीं किया गया था। उसे इस धारणा पर निश्चित किया गया प्रतीत होता है कि वह एक प्रकार का निवृत्तिवेतन का लघुकरण सा है, अतः उस पर कर नहीं लग सकता। इस उपदान की विमुक्ति को अधिनियम में विशेषतः सम्मिलित कर दिया गया है जिससे कि वह स्थिति के अनुरूप बन जाये।

अब मैं उन उपबन्धों को लेता हूं, जिन्हें मैं प्रशासन-विषयक कहता हूं, यद्यपि मुझे आशा है कि उन्हें लाभहीन नहीं समझा जायेगा क्योंकि वे अधिनियम के समुचित प्रवर्तन के लिये आवश्यक हैं, अथवा कर से बचने को रोकने में सहायक होंगे। सर्वप्रथम, धार्मिक तथा पूर्त संस्थाओं के लिये विमुक्ति के उपबन्धों को कुछ कड़ा किया जा रहा है जिससे यह सुनिश्चित रहे कि वह भारत में ही पूर्त प्रयोजनों पर लागू रहे, और ऐसी आय पर लागू रहे जो वास्तव में इन प्रयोजनों में लगाई गई हैं। परन्तु केन्द्रीय राजस्व मंडली को शक्ति दी गई है कि वह किसी विद्यमान न्यासों को विमुक्त कर सकती है जिनकी आय भारत के बाहर पूर्त प्रयोजनों में लगाई गई हो। इस समय, विमुक्ति का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, क्योंकि यह पता लगा है कि उसका दुरुपयोग करने के लिये ऐसे पूर्त न्यास बना दिये जाते हैं जो उसकी आय को अन्य प्रयोजनों पर व्यय करते हैं।

अगली बात, आय-कर पदाधिकारी को शक्ति दी गई है कि वह चालू लेखों को उपस्थित कराने और ऐसी लिखित जानकारी देने की अपेक्षा कर सकता है जिसे वह पड़ताल के प्रयोजनों के लिये आवश्यक समझे। आय-कर प्राधिकारियों को यह भी शक्ति देना आवश्यक था कि वे उन लेखा-बहियों को अपने कब्जे में ले सके जो नकली हों—वे कई वार ऐसी होती हैं। इस शक्ति का प्रयोग बहुत कम और सावधानी से किया जायेगा जिससे कि कोई कठिनाई न हो। हम अनुभव करते हैं कि यह शक्ति प्रदान करना आवश्यक है क्योंकि ज्यों ही ऐसी नकली बहियां करदाता को मिल जाती हैं तो कह दिया जाता है कि वे या तो खो गई हैं या किसी दुर्घटना से नष्ट हो गई हैं, उद्देश्य जुर्माने या मुकदमे से बचना ही होता है।

फिर एक अन्य उपबन्ध भी है जिसका उल्लेख करना शायद आवश्यक है जिस का सम्बन्ध इस विषय में सब संदेह को दूर करना है कि १९४८ में संशोधित आय-कर अधिनियम की धारा ३४ के उपबन्ध पूर्ववर्ती वर्षों की सभी कार्यवाही पर लागू होते हैं जो ३० मार्च १९४८ के पश्चात् आरम्भ हुई हो। इस उपबन्ध के सम्बन्ध में, यह हो सकता है कि हमें यह कहा जाये कि हम विधान बनाने में शीघ्रता कर रहे हैं और अभी तक इस मामले पर सर्वोच्च न्यायाधिकरण ने निर्णय भी नहीं दिया है। परन्तु हमारा उद्देश्य यह है कि बहुत सी मुकदमे बाजी को जो दूर की जा सकती है

दूर कर दिया जाये, और ऐसा तभी हो सकता हैं यदि हम इस उपबन्ध को अब स्पष्ट कर दें और इस समय यह कह दें कि संशोधन का क्या मंशा है । यह याद रखना चाहिये कि कर-निर्धारण के ५०,००० मामले होते हैं और १० करोड़ रुपये की आय है जो पुनर्निर्धारण करने में अन्तर्ग्रस्त होगी ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

**श्री पी० टी० चाको** (मीनाचिल) : मैं प्रवर समिति को विधेयक भेजने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और समिति के विचारार्थ कुछ बातें कहता हूं ।

धार्मिक तथा पूर्त संस्थाओं को दान देने के विषय में उपबन्ध कठोर बनाना गलत है । भारत जैसे निर्धन देश में हमें दान की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना चाहिये ।

खंड ३ से धारा ४ की उपधारा (३) के खंड (१) और (१ क) का संशोधन किया गया है । उसमें उस सम्पत्ति की आय पर तो कोई प्रभाव नहीं है जो अंशतः ही धार्मिक या पूर्त प्रयोजनों के लिये हो । परन्तु सर्वथा धार्मिक या पूर्त प्रयोजनों के लिये न्यास के अधीन की सम्पत्ति की आय के विषय में परिवर्तन किया गया है । इसका अर्थ यह निकलता है कि यदि कोई न्यास बना दिया जाये जिससे कोई सम्पत्ति धार्मिक या पूर्त प्रयोजनों के लिये रख दी जाये तो कुछ हद तक ही विमुक्ति होगी, परन्तु यदि सम्पत्ति को केवल अंशत ऐसे प्रयोजनों के लिये रखा जाता है तो अधिक विमुक्ति होती है । मेरा निर्वचन ठीक है तो यह पिछड़े हुए खिलाड़ी को प्रथम पुरस्कार देने के समान है ।

मेरे विचार से उन न्यासों पर, जो इस अधिनियम के लागू होने के बाद बनेंगे, इसका परन्तुक लागू नहीं होगा । अतः उस पर उप-खंड (१) लागू होगा । ऐसे न्यासों की आयकर से मुक्त नहीं होगी, जब तक की केन्द्रीय राजस्व मंडली अन्यथा निदेश न दे । यदि मेरा निर्वचन ठीक है तो यह परन्तुक असंगत दिखाई देता है । प्रवर समिति को इस पर विचार करना चाहिये ।

ब्रह्मा के पृथककरण मे पूर्व बनाये गये चिकित्सा-मिशन अब भी वहां कार्य करते हों यह संभव है । क्या उन्हें अपना कार्य वहां बन्द करना होगा ? सामाजिक सेवा और पूर्त कार्य पर हमारा ऐसा संकीर्ण दृष्टिकोण नहीं होना चाहिये ।

अब मैं परन्तुक के भाग (२) को लेता हूं, इसे बनाने का उद्देश्य कुछ न्यायिक निर्णयों का निराकरण करना है जिनमें एक निर्णय ए० आइ० आर० ४४ लाहौर ४६५ भी है । उक्त निर्णय के अनुसार किसी पूर्त न्यास के व्यापार करने पर ही, उसकी आय पर कर नहीं लग सकता क्योंकि 'सम्पत्ति' शब्द में व्यापार भी सम्मिलित है । अब ऐसी पूर्त और धार्मिक संस्थाओं की आय की विमुक्ति के क्षेत्र को सीमित किया जा रहा है । इससे देवस्वम मंडली आदि के सामाजिक कार्य में भी बाधा पड़ सकती है, जिसके लिये संविधान तक में उपबन्ध रखा गया है । यदि वह मंडली कोई कालेज चलाये या बुनाई का उद्योग आरम्भ करे तो उस पर भी कर लग सकता है । लाहौर के उक्त निर्णय के अनुसार उसकी आय विमुक्त थी । अब ऐसा नहीं होगा । वह तभी विमुक्त होगा जब कि उस न्यास का प्रधान प्रयोजन उस उद्योग को चलाना हो । इस प्रकार धार्मिक

[ श्री पी० टी० चाको ]

या पूर्त न्यासों की सभी आय कराधीन हो जायेगी।

११ म० पू०

खंड (१) के अनुसार प्रतिसंहरण होने योग्य न्यासों की सभी आय विमुक्ति से अपवर्जित है। ऐसा नहीं होना चाहिये। हां, ऐसे न्यासों का दुरुपयोग होने की दशा में सरकार अन्य अधिनियमों के अधीन कदम उठा सकती है।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव अध्यक्ष-पद पर आसीन थे।]

प्रस्थापित धारा ४६क के अनुसार किसी व्यक्ति को, जो भारत से बाहर जाये आय-कर प्राधिकारियों से, यदि उन की राय में उसका वापस लौटने का विचार नहीं है तो यह प्रमाण-पत्र लेना होगा कि उसका आयकर आदि का हिसाब साफ है। प्रस्थापित उप-धारा (२) के अनुसार, यदि कोई जहाज या विमान का स्वामी किसी व्यक्ति को बिना ऐसे प्रमाण-पत्र के भारत से बाहर जाने देगा तो उसे उसका आयकर देना पड़ेगा और २००० रुपये तक दंड भी। अब एक उदाहरण लीजिये। कोई व्यक्ति पाकिस्तान या किसी अन्य देश को जाता है और विमान या जहाज वाले को विश्वास है कि वह वापस आ जायेगा। आयकर प्राधिकारियों का मत अन्यथा हो सकता है। उस बिचारे वाहक का इसमें क्या दोष है। उसकी नियत साफ हो सकती है, आयकर प्राधिकारी की राय से उसकी नियत की परीक्षा क्यों हो? यह विचित्र उपबन्ध है। इस का अर्थ यह है कि जो भी भारत से बाहर जाना चाहे, उसे आय-कर प्राधिकारी से प्रमाण-पत्र मांगना होगा।

**वित्त राज्य मंत्री** (श्री त्यागी) : ऐसा तो अब भी होता है, कोई भी तब तक भारत से बाहर नहीं जा सकता जब तक कि वह आय कर के हिसाब साफ होने का प्रमाण पत्र प्राप्त न कर ले। ऐसा प्रमाणपत्र ले कर ही वह जा सकता है।

**श्री पी० टी० चाको** : विधि के किस उपबन्ध के अधीन यह सब होता है?

**श्री त्यागी** : यह तो मैं देखे बिना नहीं बता सकता। मैं आपको बाद में बताऊंगा, परन्तु आज कल यही नियम है।

**श्री पी० टी० चाको** : पता नहीं ऐसा किस विधि के अंतर्गत होता है। ऐसा कार्यपालिका आदेश हो सकता है, उस दशा में यह अवैध है। (**श्री त्यागी** : नहीं नहीं।) मुझे पता है कि पार पत्र आवश्यक है।

**श्री त्यागी** : पार पत्र आवश्यक है और उसके साथ साथ आयकर के हिसाब साफ होने का प्रमाणपत्र भी आवश्यक है।

**श्री पी० टी० चाको** : मुझे ऐसी किसी विधि का ज्ञान नहीं है। खैर।

**श्री त्यागी** : अनुज्ञा-पत्र ले कर पाकिस्तान जाने वाले लोगों के लिये ऐसा प्रमाणपत्र आवश्यक है, और मेरे मित्र की यह बात ठीक है कि आयकर विधि में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है। इसी धारा में ऐसा उपबन्ध रखने का विचार है जिसकी आलोचना माननीय सदस्य कर रहे हैं। पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों को तो तब तक अनुज्ञा-पत्र ही नहीं दिये जाते जब तक कि वे आयकर प्राधिकारियों से प्रमाण-पत्र न ले लें कि उन्होंने कर दे दिये हैं।

**श्री पी० टी० चाको** : क्यअबा बिना प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति को ले जाने पर किसी जहाज या विमान के स्वामी को दण्ड दिया जा सकता है ?

**श्री त्यागी** : अभी तक ऐसा नहीं है। सदन इस खंड को मान लेगा तब वह स्वामी दंडनीय हो जायेगा।

**श्री पी० टी० चाको** : प्रश्न तो विमान या जहाज के स्वामी को दंड देने का है। उसके अपने कार्य या नीयत से उसे दोषी नहीं ठहराया जाता, अपितु आय-कर अधिकारी की राय पर ऐसा होता है। इस प्रकार की दंड-व्यवस्था आय-कर विधि में नहीं होनी चाहिये।

**श्री एन० पी० नथवानी** (मेरठ) : क्या मैं जान सकता हूं कि माननीय सदस्यों को जो दैनिक भत्ते मिलते हैं, क्या वे आय या लाभ होते हैं, और क्या उनके कारण सदस्य लाभ पद पर नियुक्त समझे जायेंगे ?

**श्री त्यागी** : माननीय सदस्यों को वेतन या भत्तों के रूप में इस संसद् के अधिनियम द्वारा जो कुछ भी दिया जाता है वह सांविधानिक रूप में विनियमित है और उन उपलब्धियो के विषय में सदस्यों को सभी अनर्हताओं से विमुक्त कर दिया गया है। अतः इन भत्तों या वेतन को पाने से वे अनर्ह नहीं होंगे और लाभ-पद धारण किये हुए नहीं समझे जायेंगे, क्योंकि यह पद और राशियां विमुक्त कर दी गई हैं।

**श्री दातार** : (बेलगांव उत्तर) : माननीय मंत्री ने कहा हैं कि हमारा दैनिक भत्ता पारिश्रमिक के रूप में है। ३१ मार्च १९५२ से पूर्व तो उस भत्ते को पारिश्रमिक समझा ही नहीं जा सकता था।

वर्तमान स्थिति यह है कि संविधान के अनुच्छेद १०६ के अन्तर्गत केवल भत्ते ही नहीं, वेतन तथा भत्ते दिये जाने हैं। माननीय सदस्य ने जो समिति नियुक्त की है वह कुछ वेतन तथा कुछ भत्तों की सिपारिश कर सकती है। हमें स्पष्ट कर देना चाहिये कि भत्तों को चाहे वे किसी प्रकार के हों आय-कर से सर्वथा विमुक्ति होगी, परन्तु वेतन तथा तनख्वाहों पर आयकर लगेगा।

**श्री मोहन लाल सक्सेना** (जिला लखनऊ व जिला बाराबंकी) : १९५१ के विधेयक में जो व्यक्तगत हो गया है, आयकर अनुसंधान आयोग की सिपारिशों को सम्मिलित किया गया था। इस नये विधेयक में उन्हें नहीं रखा गया है। कम से कम उन चार सिपारिशों को तो रखना ही चाहिये था जो पिछले विधेयक में शामिल थीं।

एक उपबन्ध यह था कि आयकर प्राधिकारियों का लेखा-बहियों को खोजने के लिये मकान में प्रवेश करने का अधिकार होना चाहिये। यह बहुत आवश्यक है जो इस विधेयक में भी होना चाहिय। विविध राज्यों में विक्रय कर अधिनियमों के अधीन विक्रय-कर प्राधिकारियों को यह अधिकार प्राप्त है।

दूसरा उपबन्ध मिथ्या बयान देने वाले व्यक्तियों को दंड देने के विषय में था। पता नहीं किस की आपत्ति पर इसे हटाया गया है। यह आवश्यक उपबन्ध है।

तीसरा यह भी उपबन्ध था, जिसे इस विधेयक में नहीं रखा गया है, कि किसी की बहियों को आयुक्त की अनुज्ञा से तीसरे व्यक्ति को दिखाया जा सकता है, जो कि उस व्यवसाय की पोल को जानता हो।

अन्तिम उपबन्ध पुरस्कार देने के विषय में था जो बहुत लाभदायक था।

[श्री मोहनलाल सक्सेना]

इन सिपारिशों की अभिपूर्ति के लिये विधेयक कब आयेगा ?

**श्री सी० डी० देशमुख** : अगले सत्र में आयेगा ऐसी आशा है ।

**श्री मोहन लाल सक्सेना** : आयकर अनुसंधान आयोग की सिपारिशें १९४८ से सरकार के पास हैं, पर उन पर अभी तक अमल नहीं किया जा सका है । इस पर शीघ्रता की आवश्यकता है ।

**डा० कृष्णस्वामी** (कांचीपुरम्) : यह विधेयक केवल एक खंड विधेयक है, पूर्ण तथा बड़े विधेयक के लिये हमें अभी ठहरना होगा । हमें ब्रिटेन के अनुभव से भी लाभ उठाना है ।

वर्तमान विधेयक पिछले विधेयक से अधिक अच्छा है । पालिसीदारों को विमुक्ति देने का उपबन्ध बहुत उचित है । ब्रिटेन में १०० प्रतिशत विमुक्ति होती है, यहां हम ८० प्रतिशत ही दे रहे हैं, यह अच्छा है, क्योंकि हम बचत को प्रोत्साहन देना चाहते हैं ।

परन्तु कई उपबन्ध बहुत कठोर हैं, जो न्यायपूर्ण या उचित नहीं हैं । श्री चाको ने खंड २३ और नई धारा ४६क की चर्चा की है । आप कर न देने वाले को दंड दे सकते हैं परन्तु वाहक को दंड देना अनुचित है । पारपत्र देते समय सरकार को इसका ध्यान रखना चाहिये; वाहक पर भार क्यों डाला जाये ? इस धारा के साथ जो व्याख्या दी गई है वह आश्चर्यजनक है क्योंकि यदि वाहक का लिपिक भी ऐसी कोई गलती करदे तो वाहक का उत्तरदायित्व हो जाता है । यह बहुत कठोर नियम है जिस पर प्रवर समिति को परिवर्तन करना चाहिये ।

धारा ३४ के लागू होने के विषय में और कुछ सूचनाओं और कर-निर्धारण को वैध बनाने के लिए जो संशोधन किया जा रहा है वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और न्याय के विरुद्ध है । यह प्रश्न उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है और सरकार को कोई भूतलक्षी परिवर्तन करने से पूर्व, उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिये थी । किसी भी विधि को विशेषतः करारोपण सम्बन्धी विधियों को भूतलक्षी बनाना न्याय नहीं होता और न्यायालय उनका भूतलक्षी प्रवर्तन नहीं करते । भूतलक्षी उपबन्ध न्याय के मूल तत्वों के विपरीत होते हैं । ऐसे भूतलक्षी उपबन्धों से निर्धन करदाता मारे जाते हैं, जब उनकी सम्पत्ति बिक चुकती है तब अपील के परिणामस्वरूप भी वे उसे बापस नहीं पा सकते । इस भूतलक्षी उपबंध से संविधान के अनुच्छेद १९ का कोई मूल्य नहीं रहता जिसके अनुसार व्यापार या कारवार करने का अधिकार दिया गया है । इन मामलों पर प्रवर समिति को पुनर्विचार करना चाहिये ।

**पंडित के० सी० शर्मा** (जिला मेरठ—दक्षिण) मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और अपने मित्र श्री सक्सेना से सहमत हूं कि १९५१ के विधेयक में जो प्राधिकार दिया गया था, कि बही खातों को प्राप्त करने के लिए घर में प्रवेश किया जा सकता है वह आवश्यक था । दूसरी प्रस्थापना झूठ बयान देने पर दंड देने के विषय में है । वह भी बहुत महत्वपूर्ण है । जो न्यायालय में झूठा बयान देता है वह दंडनीय होता है । इसी प्रकार कर को टालने के लिये जो झूठा बयान देता है, वह अपराध करता है और हमारा राज्य के प्रति कर्तव्य है कि हम उसेदंड दें ।

धारा ४६ क के विषय में मैं उन लोगों से सहमत नहीं हूं जो यह कहते हैं कि वाहक को दंड नहीं मिलना चाहिये। अभिकरण-विधि का यह साधारण नियम है कि अभिकर्ताओं को भी दंड मिलता है। लिपिक हो या कोई अन्य हो वह उस कर से बचने वाले की सहायता करता है और उसका अभिकर्ता है, अतः उसे दंड मिलना चाहिये। इसमें कोई विचित्र बात नहीं है।

उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करना क्यों आवश्यक है? संसद जनता की प्रतिनिधि है। जब हम जनता की ओर से कोई निर्णय करते है तो उसमें न्याय-शास्त्र के विपरीत क्या बात है?

**श्री सी० डी० देशमुख:** मैं यह समझता हूं कि प्रस्थापित विधेयक प्रायः सदन को पसंद है, क्योंकि, जैसा कि मैं कह चुका हूं, अधिकांश उपबन्ध लाभदायक हैं। दो तीन उपबन्ध ऐसे हैं जिनकी आलोचना की गई है। पूर्त न्यासों के विषय में बहुत लम्बा तथा उलझा हुआ तर्क उपस्थित किया गया है। हमारा मंशा सर्वथा स्पष्ट है, और वह यह है कि इन न्यासों की आय उस स्थिति में विमुक्त होनी चाहिये जब कि वह न्यास के प्रयोजनों के लिए और भारत में प्रयुक्त हो। यदि इसकी रचना ऐसी है कि विद्यमान न्यासों के विषय में इस प्रकार की आय पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है तो हमें प्रवर समिति में इस पर विचार करना होगा। मेरा विचार निम्न संशोधन का सुझाव देकर इस मंशा को पूर्णतः स्पष्ट कर देने का है:

(क) यदि आय पूर्त प्रयोजनों के लिये वास्तव में प्रयुक्त न हो, परन्तु संग्रह की जाय तो विमुक्ति मिल सकेगी;

(ख) कि मंडली विद्यमान न्यासों के विषय में निदेश देगी, जिनकी आय पूर्त प्रयोजनों के लिये बाहर प्रयुक्त होती है, परन्तु यह किसी भावी न्यास पर लागू नहीं होगा; और

(ग) कि यदि पूर्त प्रयोजन भारत में हैं तो विमुक्ति प्रायः मिल सकती है।

मुझे विश्वास है कि हम उन बातों पर ध्यान दे सकेंगे जिन पर माननीय सदस्य ने इस विषय में ज़ोर दिया है।

एक अन्य खंड जिससे कुछ भ्रान्तियां उत्पन्न हो गई हैं खंड २३ है। उद्देश्य तो यही है कि प्रत्येक व्यक्ति से आयकर के हिसाब साफ होने के या विमुक्ति के प्रमाण पत्र उपस्थित करने की अपेक्षा की जानी चाहिये। मेरे समझ में नहीं आता कि यह प्रयोजन और किस प्रकार सिद्ध हो सकता है। मेरे विचार में साधारण प्रक्रिया यह होगी कि जो व्यक्ति भारत में अधिवासी है उसके विषय में आयकर प्राधिकारी उस जानकारी पर कार्य करेंगे जो उन्हें ऐसे व्यक्ति के वाहक दें। परन्तु मैंने कहा है कि हम केवल उसी प्रथा पर चल रहे हैं जो अन्य देशों में पहले ही प्रचलित है। हमने यही सिद्धान्त अपनाया है। हमारे पड़ौसी देशों में यात्रियों को ले जाने के विषय में हमें विशेष कठिनाइयां होती हैं, और इसमें विशेष सावधानी बरतना आवश्यक है। अन्य देशों में यात्रा के विषय में, विमुक्ति की विस्तृत सूची रखी जा सकती है। परन्तु इन मामलों पर सामान्य रूप से कुछ करना कठिन होता है, अतः ऐसे मामलों पर जब भी वे व्यवहार में उठते हैं, निर्णय करना पड़ता है। परन्तु मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दे सकता हूं कि हम इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि लोगों को कोई दिक्कत न हो। हम देश देश के बीच विभेद नहीं कर सकते, और यदि इस नये

[श्री सी० डी० देशमुख]

उपबन्ध को हल्का करने के कोई अन्य उपाय हैं तो हम निस्संदेह उनका पता लगायेंगे।

**१२ मध्याह्न**

दूसरा प्रश्न अभिकरणों के विषय में था। मैं समझता हूं कि यह तो साधारण अभिकरण-विधि है। यदि हम इसमें कुछ ढील कर दें तो इससे कई प्रकार कर बचाया जा सकेगा। परन्तु माननीय सदस्य ने जो कुछ विचार व्यक्त किये हैं वे अभिलिखित हैं और मुझे इसमें संदेह नहीं है कि प्रवर समिति उन पर भी विचार करेगी।

फिर मैं सदस्यों के भत्तों तथा वेतनों के विषय मे निर्देश करना चाहता हूं जिसके विषय में कुछ प्रश्न पूछे गये थे। इस विषय में यही अवस्था है जो श्री दातार ने समझाई है, कि हम इस स्थिति पर अच्छी तरह विचार कर रहे हैं और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि संयुक्त समिति इस पर विचार करेगी।

**श्री अच्युतन** (क्रैंगन्नुर) : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या एकत्रित मासिक भत्ते इस विमुक्ति के अधीन होंगे ?

**श्री सी०डी० देशमुख:** मैं ने अपनी वक्तृता में पहले जो कुछ कहा था उसी को दोहराता हूं। यह कठिनाई इस कारण उत्पन्न हुई थी कि दिल्ली के सदस्यों को भी ठीक वही भत्ता मिलता है जो अन्य सदस्यों को मिलता है। अब यदि हम उसे प्रतिकरात्मक भत्ता कहें तो हमारी समझ में यह नहीं आया कि दिल्ली के सदस्यों को किस बात के लिये प्रतिकर दिया जाय। हमने कहा "मद्रास के एक सदस्य को ४० रुपये प्रतिदिन मिलता है और एक दिल्ली का सदस्य भी है। दिल्ली का सदस्य तो इतना ही करता है कि सवारी लेकर सदन में आ जाता है।" अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इसमें से कुछ अंश तो प्रतिकर भत्ता बन ही नहीं सकता। जब हम वेतन तथा भत्ते, या केवल वेतन या भत्ते निश्चित करेंगे तब हम इस पर विचार करेंगे--इस विशेष कठिनाई पर जो दिल्ली के सदस्यों के विषय में है। यदि वह वेतन के रूप में है तो स्पष्टतः वह आयकर के अधीन है। और उसकी मात्रा निश्चित करते समय इस बात का भी विचार किया जायगा कि वह आयकर के अधीन है। भत्तों के विषय में, यह हो सकता है--और मुझे ऐसी बात कहनी पड़ती है जो वास्तव में संयुक्त समिति के विचार करने की वस्तु है--कि दिल्ली के सदस्यों के विषय में कोई विभेद करना पड़ेगा, जिससे यह सुनिश्चित रहे कि यह भत्ता वास्तव में प्रतिकरात्मक बन जाये।

**श्री राधा रमण** (दिल्ली नगर): दिल्ली के सदस्यों को तो अन्य सदस्यों से दो दिन कम का भत्ता मिलता है।

**श्री सी० डी० देशमुख :** दिल्ली के सदस्यो को तो इतना ही करना पड़ेगा कि उन्हें पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली आना होगा, और मेरे विचार में यह कोई बहुत बड़ी कठिनाई नहीं है। मेरा कहना यह है कि 'कुछ नहीं' के लिये कोई प्रतिकर नहीं हो सकता जो कि बहुत स्पष्ट हैं।

मुझे श्री सेक्सेना ने कुछ प्रश्न पूछे थे। मेरा उत्तर यह है कि चाहे ये उपबन्ध कितने भी महत्वपूर्ण हों, फिर हमने यह अनुभव किया कि इस सत्र में अत्यधिक आय-व्ययक सम्बन्धी

वाद-विवाद और विधान निर्माण कार्य रखने से यह सत्र अनचित रूप में लम्बा हो जायगा । अतः हमन कहा कि हम इस विधेयक में केवल वे ही उपबन्ध रखने का प्रयत्न करेंग जिन्हें हम अविवादास्पद समझते हैं । मेरे विचार में आज की चर्चा से पता लग गया है कि वे लगभग अविवादास्पद ही हैं । यदि हम इन्हें और कुछ अन्य उपबन्धों को रखते जिनको अन्य सदस्य महत्वपूर्ण समझते हैं, तो मुझे भय ह कि हम अगस्त तक सत्र बढ़ाना पड़ता । केवल सी कारण से हमने अभी एक साधारण विधयक रखने का निश्चय किया और अधिक व्यापक विधेयक को कदाचित् अगले सत्र में, जब कि हमें आशा है कि हम विधान-निर्माण को अधिक समय दे सकेंगे, रखने का विनिश्चय किया । इसका यह आशय नहीं है कि कहीं से आलोचना हो हम उससे आतंकित हो जाते हैं, केवल यही बात है कि इस प्रकार के उलझे हुए उपबन्ध पर जनता के सभी वर्गों द्वारा अभिव्यक्त विचारों पर विचार करना सुविधाजनक होता है ।

फिर अन्त में, खंड ३४ का प्रश्न था । एक माननीय सदस्य ने एक उत्तर दिया है और वह प्रश्न बारंबार उठ जाता है कि क्या संसद के लिये किसी विधि के आशय को स्पष्ट करने के लिये कोई विधान पारित करना उचित है । मैं स्वयं यह समझने में असमर्थ हूं कि इससे न्यायालय का क्या अनादर होता है, और जैसा कि मेरे अपने सहयोगी ने उस दिन कहा था, यदि सचमुच हम लार्ड रीडिंग राय के विरुद्ध चल कर विधान-मंडल की मंशा को शीघ्रातिशीघ्र स्पष्ट कर दें तो मेरे विचार में न्यायपालिका से हमें प्रशंसा पाने का हक्क होगा अन्यथा नहीं । इस धारा के विषय में स्थिति यह है कि १९३८ में उसका संशोधन किया गया था और कर-निर्धारण पर पुनर्विचार करने की कालावधि बढ़ा कर साधारण मामलों में चार वर्ष और धोखे के मामलों में आठ वर्ष कर दी गई थी । फिर १९४८ में उसका संशोधन किया था जब कि कर-निर्धारण की स्थिति और प्रक्रिया को बदल दिया गया था । परन्तु चार वर्ष तथा आठ वर्ष की सीमा को रहने दिया गया था, केवल यह उपबन्ध रखा गया था कि यदि कार्यवाही समय पर आरंभ कर दी जाये तो वह एक वर्ष के अन्दर पूरी की जा सकती है । अब राजकीय परिषद् (Privy Council) ने इस धारा को प्रक्रिया सम्बन्धी धारा घोषित कर दिया है और इसलिये उससें विहित प्रक्रिया पूर्ववती वर्षों पर भी लागू होती है । फिर उसे बदलने का कोई अवसर नहीं आया । परन्तु अभी हाल ही में कलकत्ता उच्च-न्यायालय ने यह निर्णय किया है कि फिर कर-निर्धारण को पूरा करने में कालावधि को बढ़ाने का प्रभाव कर-दाता के सारवान अधिकारों पर भी पड़ता है, १९४८ में संशोधित रूप में धारा ३४ का प्रभाव केवल प्रक्रिया सम्बन्धी नहीं कहा जा सकता और उसका भूतलक्षी प्रभाव नहीं पड़ सकता जब तक कि विशिष्ट रूप से ऐसा उपबन्ध न किया जाये । उच्चतम न्यायालय में अपील कर दी गई है परन्तु उनका विनिश्चय होने में बहुत देर लग सकती है । इसी बीच में, जैसा कि मैं ने बताया है, बहुत से मामलों पर इस का प्रभाव पड़ता है जिन की संख्या ५०,००० है और १६ करोड़ रुपये का राजस्व अन्तर्ग्रस्त है । मेरे विचार में उन माननीय सदस्य महोदय ने जो इस पर बहुत बोल रहे थे कहा था कि ठहरने

[श्री सी० डी० देशमुख]

से कोई हानि नहीं है । खैर, आजकल करोड़ों को कुछ नहीं समझने की आदत हो जाती ह, परन्तु, साफ बात है कि हम तो इस पर चिन्तित हैं, और हम इस अवसर पर स्थिति को स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि यह पहली अप्रैल १९४८ से पूर्व के कर-निर्धारण के वर्षों पर भी लागू है ।

मेरे विचार में, श्रीमान्, इस वाद-विवाद के दौरान में यो मुख्य प्रश्न उठाये गये थे, और मैं ने अभी जो कुछ कहा है वह निर्णायक विनिश्चय नहीं है और सारे मामले पर प्रवर समिति द्वारा विचार किया जाना है ।

**सभापति महोदय** : प्रश्न है कि:

"भारतीय आयकर अधिनियम, १९२२ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को श्री एस० सिन्हा, पंडित अलगू राय शास्त्री, प्रो० राम शरण, श्री घमंडीलाल बंसल, श्री सी० आर० बासप्पा, श्री शान्तिलाल गिरधारीलाल पारीख, श्री हरिविनायक पाटस्कर, श्री राधेश्याम राम कुमार मुरारका, श्री पी० नटेशन, पंडित चतुर नारायण मालवीय, श्री अहमद मोहीउद्दीन, पंडित ठाकुर दास भार्गव, श्री ए० के० बसु, डाक्टर पंजाबराव एस० देशमुख, कर्नल बी० एच० जैदी, श्री सी० पी० मातन, श्री पूणेनु शेखर नस्कर, श्री सोहनलाल धूसिया, श्री पी० एन० राजभोज, श्री कमल कुमार वसु, श्री एन० सी० चटर्जी, श्री के० ए० दामोदर मेनन, श्री तुलसीदास किलाचन्द, श्री एस० वी० रामस्वामी, श्री महावीर त्यागी, और प्रस्तावक की एक प्रवर समिति को सौंपा जाये और प्रवर समिति को अपना प्रतिवेदन २१ जुलाई, १९५१ तक या उस से पूर्व प्रस्तुत करने का अनुदेश दिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

# दंड प्रक्रिया संहिता (द्वितीय संशोधन) विधेयक

**गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दंड प्रक्रिया संहिता, १८९८ में अग्रेतर संशोधन करने के हेतु एक विधेयक पर विचार किया जाये ।"

यद्यपि इस पर बहुत से संशोधनों की सूचना प्राप्त हुई है, तथापि यह एक निरापद विधेयक है, और इसके पुरःस्थापित करने का कारण उद्देश्यों तथा कारणों के छोटे से विवरण मे संक्षेपतः दे दिया गया है । जैसा कि सदन को पता है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १२८ से १३२ के अधीन, असैनिक प्राधिकारियों को अधिकार है कि जब भी वे आवश्यक समझें विधि-विरुद्ध मजमों को तितर-बितर करने के प्रयोजनार्थ, जिन्हें वे अपने पास उपलब्ध बलों से छिन्न-भिन्न न कर सकें, सैनिक बलों की सहायता ले सकते हैं; और क्योंकि यह संहिता सर्वप्रथम १८५२ के लगभग पारित हुई थी और उस समय केवल एकमात्र सैनिक बल थल-सेना ही थी; अतः संहिता में थल सेना के कमीशन्ड और अन-कमीशन्ड पदाधिकारियों एवं सिपाहियों की ही चर्चा है । उन का प्रयोग दंडाधीश के आदेश से और उस की सामान्य देख रेख में किया जा सकता ह । अब सभी को ज्ञात है कि राज्य के सशस्त्र बलों में

थल सेना, जल सेना और विमान-बल सम्मिलित हैं। देश भर में ऐसे स्थान बिखरे हुए हैं जहां विमान-बल के कुछ व्यक्ति हैं (**एक माननीय सदस्य** : बमवर्षा करने के लिये) और बन्दरगाहों पर—बम्बई तथा कलकत्ता में कुछ जल सेना के पदाधिकारी तथा सैनिक हैं। उन लोगों को सैनिक प्रशिक्षण मिला हुआ है और उनका प्रयोग किया जा सकता है। इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि उन लोगों का क्षेत्र विस्तृत कर दिया जाये जिन्हें सैनिक सहायता देने के लिए बुलाया जा सकता है और उन्हें थल सेना के कमीशन्ड तथा अन-कमीशन्ड पदाधिकारी कहने की बजाय हम कहते हैं कि उनका प्रयोग 'राज्य के सशस्त्र बलों' के रूप में किया जाये—वे सशस्त्र बल जिन्हें भारत संघ रखता है। और सशस्त्र बलों में ये तीनों विविध यूथ सम्मिलित होंगे। शेष संहिता वैसी ही रहेगी जैसी कि वह लगभग सौ वर्ष से चली आ रही है।

अब, जैसा कि मैं ने कहा था, मेरा ख्याल था कि इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं होगी। परन्तु मुझे विस्मय हुआ—मैं इस शब्द का प्रयोग जान बूझकर कर रहा हूं—जब मैं ने यह सुना कि यह बदमाश सरकार अब असैनिक लोगों पर विमान से बमवर्षा करने का प्राधिकार चाहती है। मैं सविनय सुझाव देता हूं कि मुझे तो कम से कम इस बात का ख्याल भी नहीं था, और मुझे विश्वास है कि इस सदन के ९९ प्रति शत सदस्यों को इस का ख्याल नहीं था। प्रश्न यही था कि विधि-विरुद्ध मजमों को तितर-बितर करने के लिए आपको कुछ प्राधिकार चाहियें। हो सकता है थल-सैनिक उपलब्ध न हों, जल सेना की टुकड़ियां वहां हों, विमान अड्डों या विमान क्षत्रों में कुछ लोग हों, तो आप उन्हें बुला सकते हैं और दंडाधीश उनका प्रयोग मजमे को तितर-बितर करने के लिए कर सकता है। बस यही बात है। और मैं कहता हूं कि यह बात तो किसी ने सोची भी नहीं थी—यह तो कभी सम्भव ही नहीं है कि ऐसी नीच बात की जाये जिस की हम सर्वत्र निन्दा करते हैं।

मैं ने यहां देखा है कि विधेयक को परिचालित करने के संशोधनों की सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं स्वयं राय जानना चाहता हूं। परन्तु किस लिए प्रचारित किया जाये? आप कह सकते हैं "लोकमत जानने के लिये"। परन्तु क्या आप यह नहीं चाहते कि विधि-विरुद्ध मजमों को छिन्न-भिन्न किया जाये अथवा क्या आपका यह सुझाव है कि दंडाधीश जो सहायता ले वह थल-सेना के सिपाहियों तक ही सीमित् हो जो आज कई प्रकार से सशस्त्र होते हैं। मैं ने कलकत्ते की सड़कों पर उपद्रवियों को देखा है जो तेजाबी बल्बों और सब प्रकार के बमों तथा शस्त्रों से लेस होते हैं। इसी प्रकार पुलिस की बात है, उस के पास तेजाबी बल्ब और बम नहीं होते, परन्तु पिस्तौल और उस प्रकार के अन्य अग्न्यस्त्र होते ह। अब यदि कलकत्ता में कोई जल-सैनिक यूथ हो तो उसे बुलाया जा सकता है। सौ या ५० व्यक्ति सड़कों पर गश्त लगा सकते हैं।

यह विधयक छोटा सा है। इसे यहीं निबटाया जा सकता है। या तो इसे पास कीजिये या रद्द कर दीजिये, बस। इसे लोकमत के लिए प्रचारित कर के सब को कष्ट देने और कागज़ स्याही खराब करने से क्या लाभ है? बात बहुत स्पष्ट है। समुचित मामलों में जब दंडाधीस ठीक समझे और आवश्यक समझे तब उस के पास विधि-विरुद्ध मजमों को तितर-बितर करने के लिए द्रुततम उपाय उपलब्ध होने

[डा० काटजू]

चाहियें। मजमे को तितर-बितर करने में देरी नहीं की जा सकती, यह कार्य तो करना ही है।

फिर कुछ ऐसे संशोधन हैं जिनका यह आशय है कि राष्ट्रपति को आपात की घोषणा कर देनी चाहिये और उद्घोषणा जारी कर देनी चाहिये। यह बेहूदा बात है। इस पर जरा विचार तो कीजिये। यहां यदि कोई मजमा है--मान लीजिये यहां या किसी अन्य स्थान पर है--तो दूर भाष्य यन्त्र से संदेश भेजना होगा। विधि-विरुद्ध मजमा कहीं भी हो सकता है, दिल्ली में, कलकत्ते में या बम्बई में तेलंगाना में ही। ऐसा मजमा है, लोग पत्थर फेंक रहे हैं; ईंटें फेंक रहे हैं, तेजाबी बल्ब और बम फेंक रहे हैं तो असैनिक प्राधिकारियों को रुके रहना होगा और राष्ट्रपति को तार भेजना होगा "कृपया उद्घोषणा कीजिये और आपात घोषित कर दीजिये" और जब तक राष्ट्रपति ऐसी उद्घोषणा न करे और आनुषंगिक आदेश न निकाले, तब तक वह भीड़ जमी रहेगी और लूट मार तथा अग्निकांड आदि करती रहेगी। मैं इसे हास्यास्पद समझता हूं।

अतः, श्रीमान्, मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा और यह सुझाव देता हूं कि प्रत्येक माननीय सदस्य उद्देश्यों और कारणों के वक्तव्य की लगभग दस पंक्तियों को पढ़ने की कृपा करें। यह स्पष्ट विधेयक है, और इस पर बहुत थोड़े से विचार की ही अपेक्षा है, और इस पर तत्काल विचार करके इसे पारित कर दिया जाना चाहिये।

सभापति महोदय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

**श्री वैलायुधन** (क्विलोन व मावेलिक्करा--रक्षित--अनुसूचित जातियां): मैं सविनय प्रस्ताव करता हूं:

"कि सर्वसाधारण की सम्मति जानने के लिए विधेयक को परिचालित किया जाये।"

मैं माननीय मंत्री से सहमत नहीं हूं कि यह निरापद विधेयक है। यह हानिकारक विधेयक है जिसे कोई लोकतंत्रात्मक देश सहन नहीं करेगा। यह छोटा सा मामला नहीं है। सरकार विधि व्यवस्था बनाये रखने के लिये अब जल सेना और विमान-बल की भी सहायता लेना चाहती है। यह छोटी सी बात नहीं है। हम इस विधेयक का सिद्धांत पर ही विरोध करते हैं। हम इस लोकतन्त्रात्मक देश में ऐसा विधेयक चाहते ही नहीं।

**सभापति महोदय**: माननीय सदस्य को विधेयक तक अपना भाषण सीमित रखना चाहिये और विषयान्तर नहीं करना चाहिये।

**डा० एस० पी० मुखर्जी** (कलकत्ता दक्षिण-पूर्व): क्या आपका यह निर्णय है, श्रीमान्, कि हम विधेयक के सिद्धांत पर चर्चा नहीं कर सकते? हमें सिद्धांत का विरोध करने का हक्क है, और आप इसे रोक नहीं सकते।

**सभापति महोदय**: मैं विधेयक के सिद्धांत पर चर्चा करने के अधिकार पर आपत्ति नहीं कर रहा हूं, परन्तु यह तो संशोधन विधेयक ही है। हम मुख्य अधिनियम के सिद्धांतों पर नहीं जा सकते।

**डा० एस० पी० मुखर्जी**: विधेयक का सिद्धांत यह है कि विधि-विरुद्ध भीड़ को तितर-बितर करने लिय जल सेना तथा विमान-बल का भी प्रयोग किया जा

सकता है। नियम ७५ के अधीन विधेयक के सिद्धान्तों पर भी चर्चा हो सकती है।

**सभापति महोदय** : हम केवल संशोधक विधेयक पर ही चर्चा कर रहे हैं, और कुछ शब्दों का ही परिवर्तन कर रहे हैं। पहले भी, विधि के अनुसार, असैनिक प्राधिकारी थल सेना, जल सेना और विमान-बल की सहायता ले सकते थे। केवल भाषा ही बदली जा रही है।

**श्री एच० एन० मुखर्जी** कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : जहां तक मैं समझता हूं सरकार उपद्रवों को शांत करने के लिए सशस्त्र बलों के प्रयोग के उपबन्धों को विस्तृत करना चाहती है।

**सभापति महोदय** : विस्तार के लिए कहां कहा गया है ?

**सरदार हुक्म सिंह** (कपूरथला-भटिंडा): जहां तक मैं समझता हूं पुराने अधिनियम की धारा १२९ के अधीन दंडाधीश भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सैनिक बल को बुलवा सकता था। जिसका अर्थ थल सेना ही था। अब यह संशोधन किया जा रहा है कि दंडाधीश विमान-बल तथा जल सेना को भी बुला सकता है। यही विस्तार किया जा रहा है। आशंका यह है कि दंगा तो छोटा सा ही हो, पर दंडाधीश, नये उपबन्धों के अनुसार, विमान-बल को बुला सकता है, जो कि विमानों से आ सकता है, या जल सेना को बुला सकता है। हमें यही आशंका है, चाहे सरकार ने यह बात न सोची हो।

**श्री धुलेकर** (ज़िला झांसी—दक्षिण) : एक औचित्य प्रश्न है, श्रीमान्। श्री हुक्म सिंह को आशंका है, तो वे क्या शब्द रखना चाहते ह, जिन पर हम विचार कर सकें।

**सरदार हुक्म सिंह** : मैं तो केवल यही कहना चाहता था कि सभापति की यह धारणा थी कि इस विधेयक से कोई सारवान परिवर्तन नहीं होगा, मैं यह दिखाना चाहता था कि एक बड़ा और महान परिवर्तन इस विधेयक में अंतर्ग्रस्त है।

**सभापति महोदय** : बिल्कुल ठीक। मैं गलती पर था। परिवर्तन है। मैं समझता था कि पहले भी सेना में नाविक और विमान-चालक शामिल थे। मैं गलती पर था। परन्तु वक्ता ने जो व्यापक बात कही थी उसका औचित्य नहीं है। अतः मैं इस चर्चा को दो बातों तक ही सीमित करना चाहता हूं। एक यह है कि उपद्रवों को शान्त करने के लिए सेना और प्रादेशिक बल के अतिरिक्त जल सेना और विमान-बल को भी बुलाने का परिवर्तन ठीक है या नहीं। दूसरी यह ह कि 'भारसाधक पदाधिकारी' के स्थान पर 'कमीशन्ड या नान-कमीशन्ड पदाधिकारी' रखना चाहिये या नहीं।

**श्री एन० सी० चटर्जी** (हुगली) : मैं यह निवेदन कर रहा था कि धारा १२८ के अनुसार थल सेना, जल सेना या विमान-बल या प्रादेशिक सेना के पदाधिकारी को छोड़कर अन्य किसी भी पुरुष को विधि-विरुद्ध मजमे को तितर-बितर करने के लिए बुलाया जा सकता था। परन्तु धारा १३० के संशोधन के अनुसार इन व्यक्तियों को भी अब बुलाया जा सकेगा। और तीसरी श्रेणी का दंडाधीश भी उन्हें बुला सकेगा। हम चाहते हैं कि बल ज़िला दंडाधीश को ही यह शक्ति दी जानी चाहिए।

**श्री वैलायुधन** : पिछले विधेयक में केवल सेना के बुलाने का उपबन्ध था'

[श्री वैलायुधन]

पर इस विधेयक में जल सेना और विमान-बल के बुलाने को अनुमति दी जा रही है। इस में महान अन्तर है। यदि यह विधेयक अस्वीकृत हो जाता है तो इस का प्रभाव यह होगा कि सेना को भी नहीं बुलाया जा सकता।

यदि इस विधेयक को पारित कर दिया जाता है तो किसी समय पुलिस, थल सेना, जल सेना या विमान-बल को बुलाया जा सकता है और कहीं भी बमवर्षा की जा सकती है। इस संसद् पर भी बमवर्षा की जा सकती है (**माननीय सदस्य** : नहीं, नहीं)।

**सभापति महोदय** : यह संसद् कभी विधि-विरुद्ध मजमा नहीं हो सकती। यहां सरकार को प्राधिकार नहीं है, अध्यक्ष तथा सदस्यों को है।

**श्री वैलायुधन** : पहले अधिनियम में सरकार को केवल थल सेना के प्रयोग की शक्ति थी, परन्तु क्या उन्होंने उसका समुचित उपयोग किया? आवश्यकता न होने पर भी सेना को बुलाया गया। कूच-बिहार में जब भूखों का जलूस निकला तो केवल पुलिस ही नहीं, सेना भी बुलाई गई। पत्रों में तो लिखा था कि बम वर्षा भी की गई। इस प्रकार शक्ति का दुरुपयोग किया गया। मैं देश में लोकतंत्र चाहता हूं। अभी साम्यवाद या समाजवाद का समय नहीं आया है, जब आयेगा तो उसे आप रोक नहीं सकेंगे। आप तो देश में तानाशाही स्थापित कर रहे हैं।

गृह मंत्री के हृदय तो है ही नहीं। वे हृदयहीन हैं। इस विधेयक के अनुसार असैनिकों पर बमवर्षा की जा सकती है। और ऐसा आदेश ७५ रुपये पाने वाला दंडाधीश दे सकता है।

मैं समझ सकता हूं कि राष्ट्रपति आपात की घोषणा करें और सेना को बुला लें। पर आप 'छोटे' दंडाधीश को शक्ति दे रहे हैं कि वह थल सेना ही नहीं, जल सेना और विमान-बल को भी बुला सकता है। इस शक्ति का प्रयोग केन्द्र नहीं करेगा, राज्य करेंगे और वह दुरुपयोग कर सकते हैं। गोरखपुर की दुर्घटना पर यहां बहस हो चुकी है। वहां गोली से दो व्यक्ति मरे थे। शान्ति व्यवस्था रखने का यह उपाय नहीं है कि पुलिस-राज्य स्थापित किया जाये। ऐसा तो अंग्रेजी राज्य में होता था।

यह विधेयक निवारक निरोध अधिनियम से भी अधिक भयानक है। उसमें तो लोगों को जेल में ही बन्द किया जा सकता है, इसके द्वारा तो आप बमवर्षा कर के सहस्त्रों व्यक्तियों का वध कर सकते हैं।

किसी अन्य देश में ऐसा विधेयक आता तो सरकार चौबीस घन्टे भी नहीं रह सकती थी। पर यहां के लोग भोले हैं, अशिक्षित हैं, अतः आप ऐसा दुस्साहस कर रहे हैं।

यदि सरकार ऐसे विधेयक रखेगी तो जनता उसे सहन नहीं करेगी, जो कांग्रेस से, साम्यवादियों या समाजवादियों से भी बड़ी है। इन से मेरे सम्प्रदाय वालों—अछूतों को—सब से अधिक कष्ट भोगना पड़ता है, गोपालन आदि ने नहीं। मैं इस विधेयक को लोकमत के लिए प्रचारित करने का प्रस्ताव करता हूं।

**सभापति महोदय :** संशोधन प्रस्तुत हुआ :

"सर्व साधारण की सम्मति जानने के लिए बिधेयक को परिचालित किया जाय।"

**श्री नामधारी** (फ़ाज़िल्का-सिरसा) : मुझे आश्चर्य है कि जब भी सरकार विधि व्यवस्था बनाय रखने के लिए कोई विधेयक पुरःस्थापित करती है, तब साम्यवादी दल के अतिरिक्त कोई अन्य विरोधी दल इतने घबराते नहीं। मुझे पता लगा है कि उन्हों ने अभी तक अपने शस्त्रास्त्र सरकार को नहीं सौपे हैं। क्या उनके पास विधि-व्यवस्था में गड़बड़ डालने की कोई योजना है.....

**सभापति महोदय :** माननीय सदस्य कल अपनी वक्तृता जारी रखें।

कल और परसों इन विधेयकों को, जो कुछ समय पूर्व पुरःस्थापित किये गये थे, लेने का विचार है।

(१) आज की कार्यावलि का शेष कार्य।

(२) राज्य सशस्त्र पुलिस बल (विधियों का विस्तार) विधेयक।

(३) भ्रष्टाचार निवारक (द्वितीय संशोधन) विधेयक।

(४) ंड विधि संशोधन विधेयक।

(५) भारतीय चाय नियंत्रण संशोधन विधेयक।

(६) रबड़ (उत्पादन तथा विक्रय) संशोधन विधेयक।

(७) भारतीय समवाय (संशोधन) विधेयक।

(८) भारतीय पत्तन (संशोधन) विधेयक।

(९) रक्षित तथा सहायक वायु बैल विधेयक।

माननीय सदस्य संशोधनों की सूचना आज दे सकते हैं।

**इसके पश्चात् सदन की बैठक बृहस्पतिवार, १० जुलाई, १९५२ के सवा आठ बजे तक के लिए स्थगित हो गई।**